खण्ड-124, अंक-4
गुरूवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1875
(6 अगस्त, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 124 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गेंदासिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटा शंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन बाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूख चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त , श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रावेवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचंद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुखजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[१४ अगस्त, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या १९–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३–४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[स्थानान्तरित किये गये ।]

*५–६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ २३२ पर ।]

*७–९—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—[प्रश्न विचाराधीन है ।]

चीनी मिलमालिकों की बकाया रकमें

*१०—श्रीगेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलमालिकों पर गन्ना की कीमत राज्य ईख कर तथा ईख सोसाइटियों के कमीशन की रकमें बकाया पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो किस चीनी मिल के ऊपर कितनी कितनी रकम उक्त प्रकार की १९५२–५३ के सीजन की तथा पिछले सीजन की इस वर्ष मिल बन्द होते समय बकाया थी और अब कितनी रकम देने से बाकी रह गई है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी)—जी हां, किस चीनी मिल के ऊपर कितनी रकम १९५२-५३ सीजन की तथा पिछले सीजन की इस वर्ष मिलें बन्द होते समय बकाया थी और अब कितनी रकम देने से बाकी रह गई है, इसके आंकड़े जहां तक मालूम किये जा सके हैं संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९५-३०२ पर ।)

श्री गेंदा सिंह—क्या यह मुमकिन नहीं है कि उस तालिका को पढ़ दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि तालिका बहुत लम्बी है। आपको जवाब मालूम हो गया है, आप सवाल पूछ सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—इसमें कितनी फैक्टरीज ऐसी हैं जिन पर दो लाख रुपया से ज्यादा बाकी है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—तालिका देखने से पता चल जायगा ।

श्री गेंदासिंह—गोरखपुर के सरदार नगर फैक्टरी के ऊपर केन सेस का १२ लाख रुपया बाकी है। क्या उनकी हैसियत बिगड़ गई है ?

श्री हुकुम सिंह—मुझे इसकी इत्तिला नहीं है कि उनकी हैसियत बिगड़ गई है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी ने कोशिश की कि यह रुपया वसूल किया जाय और क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि उनकी हैसियत कैसी है ?

श्री हुकुम सिंह—कोशिश मैंने की कि रुपया अदा हो जाय लेकिन उनकी हैसियत के बारे में मैंने जानकारी नहीं की ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मंत्री जी बतलायें कि क्या कोशिश की गई और उसका क्या जवाब मिला ?

श्री अध्यक्ष—आप विवाद के तौर पर प्रश्न करते हैं। आप सीधे प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री गेंदासिंह—सरदार नगर मिलमालिकान की हैसियत बहुत अच्छी है और उन्होंने जानबूझ कर इस रुपये को दबा लिया है, क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह—सही भी हो सकती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रुपया दिलवाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह—कहीं कहीं आरबीट्रेशन में उनके केसेज को भेज दिया गया है, कलेक्टर को भी हिदायत दी गई है कि वह हर तरह से कोशिश करके रुपया दिलवा दे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो आदेश मिलमालिकों से रुपया दिलवाने के लिये जारी किये गये थे क्या जिलाधीश ने उनके अनुसार कार्रवाई की ?

श्री हुकुम सिंह—जरूर की।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पंजिनी शुगर मिल गोकलनगर के लिये क्या कार्यवाही की ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---मैं आपकी इजाजत से कुछ इस मामले में कह दूं। जहां तक गन्ने के रुपये के बकाया रहने की बात है हमें बड़ा अफसोस है। गन्ने का भी रुपया बाकी रहा और सेस भी सरकार का काफी बाकी रहा, लेकिन इसकी बराबर कोशिश की जाती रही कि यह रुपया किसी न किसी तरह से वसूल किया जाय। पंजिनी शुगर मिल के बारे में नारायण दत्त जी ने पूछा है उसके बारे में कई दफा उनके मालिक से बातें हुई कि किसी तरह से मामला सुलझ जाय क्योंकि हमेशा हमारा यही ख्याल रहता है कि एक तरफ तो मिल चलती रहे उसमें कोई दिक्कत न हो और दूसरी तरफ काश्तकार का भी बकाया रुपया जरूर मिल जाय। चाहे बाज वक्त हमने यह मंजूर किया है कि केन सेस का रुपया वसूल करने में कुछ रियायत दी जाय और कुछ वक्त दिया जाय। लेकिन जहां तक काश्तकार के रुपये की बात है, उसमें हमने कोई रियायत नहीं दी और उसमें दस लाख रुपये की डिग्री भी हो गई थी मगर इसके बाद मिल मालिक ने हाई कोर्ट में रिट की दरख्वास्त दे दी और इंजेंक्शन जारी करा दिया कि जो डिग्री दी गई है उसकी इजरा न की जाय। अब वसूल करने का तरीका यही हो सकता है कि जो शकर बनी होती है उसको बेचा जाय। उसको बेचने की कोशिश की जाती है। लेकिन हर जगह उस पर पहले बैंक का चार्ज है। इसलिये जब पहले उनको मिल जाय तब रुपया बच सकता है। दूसरी बात यह है कि यह शकर गवर्नमेंट आफ इंडिया रिलीज करती है जितनी जरूरत होती है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की हिदायत होती है। उसके बाद जो रुपया बचता है वह हमारे काम में आ सकता है। तीसरी बात यह है, जो मिल के लोगों को खुद करना है और नीलाम करने की बात है जिसमें काफी वक्त लग जाता है और एकदम कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक नारायण दत्त और गेंदा सिंह जी की ख्वाहिश है कि रुपया वसूल हो जाय तो उसमें हमारी ख्वाहिश भी कुछ कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। मगर हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे कि पंजिनी मिल की बात है कि जब हाई कोर्ट से इंजक्शन हो जाता है जो कार्यवाही हम करते हैं उसमें भी दिक्कत आ जाती है मगर कोशिश की जाती है कि रुपया जल्दी वसूल हो जाय क्योंकि हम नहीं चाहते कि रुपया के वसूल होने में एक दिन की भी देरी हो। बाज वक्त कुछ रियायत करनी पड़ती है, इसलिये कि काश्तकार के गन्ने पेले जाने का जब जमाना आता है तो यह देखते हैं कि ऐसी हालत न आ जाय कि मिल वाले कहें कि हमारे पास पैसा नहीं रहा। हमारी वर्किंग कैपीटल खप गई। इस ख्याल से से सका रुपया भी बकाया रहने दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इन सवालों का मतलब यह है कि इसमें पूरी कोशिश की जाय। उससे हम लोग वाकिफ हैं और पूरी कोशिश होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पडरौना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज और रामकोला, इन चार मिलों पर ४५ लाख रुपया केन प्राइस और केन सेस का बाक़ी है और दो व्यक्तियों को अथराइज्ड कंट्रोलर पिछले वर्ष सरकार ने बनाया था?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इसके बारे में भी सही है कि रुपया बाकी है। मैं ठीक रकम नहीं कह सकता, शायद गेंदा सिंह जी जो रक़म बताते हैं वह सही हो। मगर जो वहां अथराइज्ड कंट्रोलर बनाया गया है वह इस वजह से कि मिलें चल नहीं रही थीं और उनको चलाने के लिये कोई जरिया निकालना था और वह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की तरफ से मुक़र्रर होते हैं, गोकि हमारी राय भी रहती है। इसलिये जहां तक कठकुइयां और दूसरी मिलों का ताल्लुक है उसके बारे में कल ही गवर्नमेंट आफ इंडिया के रेप्रेजेन्टेटिव, गोपालकृष्णन् यहां आये थे और उनसे बातचीत हुई। हम चाहते हैं कि जल्दी हो मगर दो ही चारे रह जाते हैं, या तो मिल का नीलाम किया जाय जिसमें वक्त लगता है या कोई ऐसा जरिया निकाला जाय जिससे रुपया जल्दी मिल जाय। उनसे यह बातें हुई कि कोई तरीक़ा ऐसा निकालें जिससे जल्द से जल्द उनका रुपया निपटाया जा सके। जो गवर्नमेंट का सेस बाक़ी है उसमें चाहे थोड़ी देर भी हो मगर काश्तकारों के रुपये में देर न हो।

मगर आप जानते हैं कि कठकुइयां, पडरौना और इन मिलों के बारे में आपस में झगड़ा चल रहा है और उन झगड़ों की वजह से सारी मिलों में दिक्क़तें पैदा हो रही हैं। मगर जहां तक कोशिश होती है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का इनसे सीधा ताल्लुक है और हमारा हाथ अब उतना रहा नहीं है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह मामला जल्दी तय हो जाय। इनके अलावा और मिलों का भी जिनका जिक्र किया गया है उनका मामला भी हमारे सामने है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन मिलों के ऊपर रुपया वाजिब है उनको अगले मौसम में न चलने के लिये बाध्य करेगी जिससे कि वे गन्ना न ख़रीद सकें ?

श्री हुकुम सिंह---बन्द करना और चलाना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं और हम बन्द करना भी नहीं चाहते।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन कृषकों का रुपया मिल पर बाक़ी है उसके भुगतान की कोई तिथि निश्चित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह---तिथि निश्चित करना बड़ा मुश्किल है लेकिन उद्योग करना हमारे अख्तियार में है, हम भरसक कोशिश करेंगे।

*११---श्री गेंदासिंह---[१० अगस्त, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गन्ने की कीमत में कमी

*१२---श्री गेंदासिंह---क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मिलों को यह आदेश दिया गया है कि १ अप्रैल, १९५३ के बाद मिलों में आये गन्ने की कीमत कम की जायगी इसलिये वह ईख उत्पादकों को कीमत न दें ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके जवाब की नक़ल नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब तो सिर्फ "नहीं" है।

* * * *

उर्दू को राज्य भाषा घोषित करने की प्रार्थना

*५---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को राज्य भाषा घोषित करने के लिये अंजुमन तरक्की उर्दू-ए-हिन्दी ने सरकार के पास कोई पत्र अथवा प्रस्ताव भेजा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सरकार के पास कोई पत्र नहीं आया। कुछ अरसा हुआ श्री राज्यपाल को इस अंजुमन की एक सभा का प्रस्ताव मिला था।

*६---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार के विचार मांगे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या विचार प्रगट किये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न ५ व ६ राजा वीरेन्द्रशाह ने पूछे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को यह पता है कि अंजुमने-तरक्कियें-उर्दू ने कुछ लोगों से एक प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर कराये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैंने भी सुना है। इसकी काफी चर्चा है कि हस्ताक्षर कराये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय मुख्य मंत्री के पास जो पत्र मेरठ से आया था उसमें राज्य भाषा कराने के लिये लिखा है या रीजनल भाषा कराने के लिये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--- मुख्य मंत्री के पास कोई पत्र नहीं आया एक प्रस्ताव राज्यपाल के पास पहुंचा था जो उन्होंने यहां भेज दिया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि उर्दू को प्रादेशिक भाषा न बनाने के बारे में खेद प्रकट करते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार को यह भी मालूम है कि अंजुमन वालों ने जो हस्ताक्षर कराये हैं वे २० लाख के करीब हैं।

श्री अध्यक्ष---गवर्नमेंट के पास इतनी डिटेल नहीं हो सकती है---पूर्व उत्तरों से प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सरकार को उर्दू के राज्य भाषा मानने में क्या क्या दिक्कतें हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह भी प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि मेरठ के उस प्रस्ताव के बारे में उनके क्या विचार हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस आन्दोलन से साम्प्रदायिकता जोर पकड़ती जा रही है

श्री अध्यक्ष---यह सवाल इससे उत्पन्न नहीं होता।

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कौर्ट के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल के त्यागपत्र तथा श्री द्वारका प्रसाद मौर्य की अवधि समाप्त हो जाने के कारण इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, श्री राधा कृष्ण अग्रवाल के त्यागपत्र तथा श्री द्वारका प्रसाद मौर्य की अवधि समाप्त हो जाने के कारण इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाकपथर टी० बी० सेनीटोरियम, जिला देहरादून की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, डाकपथर टी० बी० सेनीटोरियम, जिला देहरादून की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, डाकपथर टी० बी० सेनेटोरियम, जिला देहरादून की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दोनों कमेटियों के लिये कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा —

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	.. १० अगस्त, १९५३, ३ बजे सायंकाल तक।
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा	.. ११ अगस्त, १९५३, १ बजकर ३० मिनट तक।
नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि तथा समय	.. १२ अगस्त, १९५३, ४ बजे सायंकाल तक।
निर्वाचन का समय तथा स्थान यदि आवश्यकता हुई तो	.. १३ अगस्त, १९५३ को १२ बजे से ३ बजे तक, विधान वाचनालय में।

*उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल को इस सदन के सामने प्रस्तुत करने में माननीय उद्योग मंत्री जी ने कुछ जल्दी की। अगर वे इस बिल को लाने के पहले उस कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कर देते जिसको कि बड़ी कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं अपने ही प्रयत्नों से पिछले साल २९ मई की घोषणा बनायी थी तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्योग की अधिक तरक्की हो सकती है। क्योंकि कल माननीय उद्योग मंत्री जी ने इस बात की शिकायत की थी इसलिये मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से २९ मई, सन् ५२ के उनके भाषण और माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण की प्रतिलिपि आपके पास भेज देना चाहता हूं। पेज ४४७ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था "मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे और वह गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि ऐक्ट है कायदों को देखे और उसके बाद गौर करे कि कायदों में तरमीम करने की जरूरत है या नहीं"

इसके बाद जो कमेटी बनी उसके बारे में जैसा कि मैंने कल कोटेशन पढ़ा था माननीय उद्योग मंत्री जी ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि उसकी रिपोर्ट उपस्थित होने के बाद बिल आयेगा। तो वह कमेटी बनी उसकी मीटिंग्स भी हुईं परन्तु उस रिपोर्ट का क्या हुआ यह हमें मालूम नहीं है। साथ ही साथ माननीय उद्योग मंत्री जी ने कल माननीय गेंदा सिंह जी को कई बार टोका और उन्होंने कहा कि अब तो हम गन्ने की कीमत के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते चूंकि इंडस्ट्रियल ऐक्ट के अनुसार वह रेगुलेट होती है। मुझे आश्चर्य हुआ माननीय उद्योग मंत्री जी से यह सुनकर कि इंडस्ट्रियल ऐक्ट के अनुसार गन्ने की

---

*३ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

क़ीमत रेगुलेट होगी। इंडस्ट्रियल ऐक्ट के अनुसार चीनी की क़ीमत रेगुलेट हो सकती है लेकिन इंडस्ट्रियल ऐक्ट की किस धारा के अनुसार गन्ने की कीमत रेगुलेट होगी मैं जानना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी कृपया उसे दिखलावें। एसेंशियल सप्लाई ऐक्ट के अनुसार एक आर्डर की प्रतिलिपि मुझे मिली है जिसके अनुसार गन्ने की कीमत भारत सरकार तय करती है। एसेंशियल ऐक्ट की धारा ३ और उसकी उपधारा ३ के अनुसार भारत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गन्ने की कीमत तय करे। लेकिन उसके साथ ही साथ उसी धारा ३ के नीचे उपधारा (४) में भारत सरकार ने सप्लाई को रेगुलेट करने और रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार भी ले रखा है जिसके बारे में एक बिल आज आ रहा है। मैं शुगर ऐंड गुड कंट्रोल आर्डर, १९५० की धारा ४ आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं :

"(4) No person shall sell or agree to sell sugarcane to a producer and no producer shall purchase or agree to purchase sugarcane at a price lower than the one notified in this clause.

Power to regulate movement of sugarcane and produce and movement of gur and sugar.

(a) No person shall sell or agree to sell and prohibit restriction on the export of sugarcane from any area."

ये अलग-अलग उपधारायें हैं जिनके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को शुगर और केन की कीमत को भी रेगुलेट करने का अधिकार है।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस पुस्तिका से पढ़ रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह शुगर ऐंड गुड़ इंडस्ट्रीज कंट्रोल आर्डर, १९५०। इस तरह से जो बिल आप हमारे सामने लाये हैं, उसको भी नहीं ला सकते, क्योंकि भारत सरकार ने केवल गन्ने की कीमत को ही अपने हाथ में लेने की बात नहीं कही है बल्कि उसी आज्ञा में यह भी कहा गया है कि वह गन्ने के मवमेंट व रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी ताकत लेती है। इस तरह से यह विधेयक जिसकी कि यहां चर्चा है उसको भी आप नहीं ला सकते। अगर माननीय उद्योग मंत्री जी विधान के कांक्रीट शेडयूल प्राइस कंट्रोल ३७ देखें तो उसमें भी कहा गया है— यानी प्राइस कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट भी विधान बना सकती है और यह सदन भी विधान बना सकता है। तो जहां तक गन्ने की खरीद और पूर्ति का संबंध है, श्रीमन, मेरे विचार से यह उतना आवश्यक है कि हम लोग जब सिद्धांत की बात करते हैं और गन्ने के विकास की बातें करते हैं तो हमें कुछ न कुछ उसकी कीमत की तरफ ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल शुगर कांफ्रेंस इंटरनेशनल शुगर कौंसिल की तरफ से हो चुकी है। गन्ने और चीनी की समस्या के इस सामंजस्य की ओर ध्यान यहां दिलाया गया है। आखिर हमारी सरकार के प्रतिनिधि इन सभी कांफ्रेंसेज में होते रहे हैं। भारत सरकार गन्ने और चीनी के सम्बन्ध में इसी प्रकार के सिद्धान्त से प्रभावित होती है। तो क्या हम यह आशा करें कि माननीय उद्योग मंत्री जी अपने बिल में उन सभी संशोधनों को स्थान देंगे जो इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त से सम्बन्धित हों। माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने इस विधेयक में शुगर कमिश्नर को स्थान दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि शुगर कमिश्नर का गन्ने की पूर्ति और खरीद से क्या सम्बन्ध है। चीनी की व्याख्या इस विधेयक में नहीं है। शुगर कमीशन को आपने खत्म कर दिया है। शुगर कंट्रोल बोर्ड भी आपने इस ऐक्ट द्वारा खत्म कर दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के नियमों के अनुसार शुगर कमिश्नर का क्या काम होगा, खास तौर से जब हम विधेयक के द्वारा यह रखने जा रहे हैं कि केन कमिश्नर और शुगर कमिश्नर एक ही व्यक्ति हो सकता है। आज जब हम दूसरे देशों में गन्ने की विकास की समस्या को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि निरन्तर सन् ३६ से अकथ प्रयत्नों के बावजूद भी हमारा प्रदेश गन्ने के विकास में अधिक सफल नहीं हुआ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है। सन् ३०, ३१ में पहली बार इस बात की चेष्ठा हुई थी कि जब कि इंडियन शुगर केन कौंसिल ने इस बात की सिफारिश की थी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के विकास कार्यों को बढ़ाया जाय। लेकिन उनकी सिफारिशों को सन् ३५ में कार्यान्वित किया जा सका। सन् ३५ से लेकर आज तक हम केन डेवलपमेंट कौंसिल और कोआपरेटिव सोसाइटीज और शुगर फैक्टरीज ऐक्ट के जरिये विकास कार्य करते रहे हैं। जब माननीय मंत्री इस विधेयक के द्वारा गन्ना विकास परिषद् जैसी समितियां कायम करने को तैयार हैं और पहले से वे काम करती आई हैं लेकिन अगर आंकड़ों द्वारा देखा जाय कि डेवलेपमेंट वर्क होने पर भी गन्ने की रिकवरी कितनी बढ़ी है तो हमें मालूम होगा कि बढ़ने के बजाय घटी ही है। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे इस प्रदेश में चीनी का एवरेज प्रोडक्शन सालाना कम होता चला गया है। सन् ४३–४४ में चीनी की रिकवरी १०.२० थी, सन् ४५–४६ में १०.६, सन् ४६–४७ में १०.३, सन् ४७–४८ में ९.८०, सन् ४८–४९ में ९.९५, सन् ४९–५० में ९.६३, सन् ५०–५१ में ९.८१ और ५१–५२ में ९.२७ थी और सन् ३९–४०में ९.३७ थी और आज सन् ५१–५२ में फीगर्स ९.२७ हैं। इतने सालों के विकास कार्य के बाद हम यह देखते हैं कि लगातार रिकवरी का जहां तक सम्बन्ध है रिकवरी कम होती चली गई है। आखिर रिकवरी में कमी हुई है तो केन की पैदावार में शायद वृद्धि हुई हो। लेकिन आंकड़े यह बतलाते हैं कि फ़ी एकड़ गन्ने की पैदावार में भी वृद्धि हुई है। ३१–३२ में ३० लाख ७६ हजार एकड़ जमीन में गन्ना लगाया गया और १ एकड़ में १४ टन गन्ना पैदा होने का एवरेज था और उस समय ११ लाख एकड़ जमीन ऐसी थी जिसमें अच्छे किस्म का गन्ना लगाया गया था, डिपार्टमेंट के जरिये। लेकिन सन् १९४९–५० में जब कि जमीन का एवरेज बढ़ गया था, जब कि तीस लाख एकड़ से बढ़ कर वह ३६ लाख एकड़ हो गई, तब गन्ने की औसत पैदावार घट कर १३ टन तक पहुँच गई। सन् ३१–३२ में १४ टन फी एकड़ पैदा होता था, और ४९–५० में वह घट कर १३ टन हो गई। सन् १९३६–३७ में १५ टन प्रति एकड़ थी जब कि पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल था और आज के कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ४९–५० में वह घट कर केवल १३ एकड़ हो गई है जब कि आज विकास विभाग ने दावा किया है कि गन्ने की ऐवरेज ११ लाख एकड़ से बढ़ कर ३४ लाख एकड़ हो गई है। इससे मालूम कर सकते हैं कि विकास कार्य में हम लोग कितने पीछे रहे हैं। यह ठीक है कि क्षेत्रफल में वृद्धि अवश्य हुई है लेकिन गन्ने की ऐवरेज पैदावार और चीनी की ऐवरेज वेराइटी में हम पीछे हटे हैं। इसका कारण मैं समझता हूं कि हमारे रिसर्च वर्क पर बहुत कम खर्च हुआ है। जब हम दूसरे मुल्कों की ओर ध्यान देते हैं जैसे कि हवाई, जावा और क्यूबा की तरफ ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि जब कि हवाई टापुओं में एक एकड़ जमीन के पीछे १२ रुपया रिसर्च पर खर्च होता है और जावा में एक एकड़ पर तीन रुपया खर्च होता है, जापान में तीन रुपया फी एकड़ खर्च होता है, हमारे हिन्दुस्तान में केवल ६ आना प्रति एकड़ खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष—आप विधेयक की तरफ आइये, उसके उसूलों की बातें इस वक्त करनी होंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—गन्ने के विकास में कमियां जो विकास परिषद् को दूर करनी हैं उसके उद्देश्य से सम्बन्धित रिसर्च की बात है। इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी कहां पर कमी रही है। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा।

तो जब कि भारत में ६ आना प्रति एकड़ हम लोग रिसर्च वर्क में खर्च करते हैं उस समय हवाई टापुओं में इससे ३२ गुना ज्यादा खर्च होता है, जावा में १२ गुना और जापान में ८ गुना ज्यादा खर्च होता है। तो यह कमी है, हमारे रिसर्च के काम में। यू० पी० गवर्नमेंट ने एक स्वामीनाथन् कमेटी बैठाई थी। उसने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि हमारे प्रदेश में रिसर्च वर्क और फील्ड वर्क में कोआर्डिनेशन नहीं है।

मैं यह देखता हूं कि रिसर्च वर्क और फील्ड वर्क में कोआर्डिनेशन के सिलसिले में कोई विशेष कार्य नहीं किया है। सरकार इस विधेयक के जरिये से केन सेस और गन्ने पर सेल्स टैक्स को बढ़ाना चाहती है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह आश्वासन दे सकती है कि जितनी आमदनी इस प्रकार होगी वह गन्ने के विकास के कार्य में लगाई जावेगी और जितनी इस प्रकार की आमदनी होगी उससे रिसर्च के काम को और डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ावेगी। मैं समझता हूं कि सरकार अपने वादे को भूलने के लिये तैयार है जो उसने सेस लगाते समय किया था कि यह सेस डेवलपमेंट के कार्यों पर खर्च किया जायगा। श्रीमान्, मेरे पास काफी इस बात के सबूत मौजूद हैं जिसके अनुसार सरकार ने कितनी सेस से आमदनी की और कितना खर्च किया है। उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि सरकार ने कितनी वादा खिलाफी की है। सन् १९४४-४५ में यू० पी० सरकार ने सेस से १ करोड़ ११ लाख रुपये की आमदनी की किन्तु सेस से खर्चा २ लाख ५७ हजार खर्च किया गया। सन् १९४५-४६ में सरकार ने सेस से ९३ लाख ७३ हजार रुपये की आमदनी की किन्तु सेस से खर्चा एक लाख ९३ हजार रुपया खर्च किया गया। उसमें १ लाख ९३ हजार खर्चा हुआ। सन् १९४६-४७ में ८७ लाख रुपये की आमदनी और १ लाख का खर्चा। सन् १९४७-४८ में १,४६, लाख की आमदनी और खर्चा कुछ भी नहीं किया। सन् १९४८-४९ में ३,१२ लाख की आमदनी और ३७ लाख खर्चा। सन् १९४९-५० में २१४ लाख आमदनी और ४१४ हजार खर्चा हुआ। इस प्रकार रिपोर्ट में जो सरकारी आंकड़े हैं और केन कमिश्नर ने जो दिये हैं उससे साफ यह मालूम होता है कि केन सेस से कितनी आमदनी हुई और उसमें से कितना खर्चा हुआ। हमारे सारे भारत में मिला कर पिछले ६ सालों के अन्दर ९२ लाख रुपया खर्च किया गया है और उसमें से हमारे यहां ६।। लाख रुपया खर्च किया गया है। जितना टैक्स हमारे काश्तकार भाई देते हैं उनको पूरा केन डेवलेपमेंट के कामों में खर्च नहीं किया जाता है। तो फिर हम किस प्रकार से काश्तकारों से कह सकते हैं कि तुम टैक्स दो। मिल मालिक तो टैक्स देता नहीं है उसको तो अपनी जेब से देना नहीं पड़ता है। सेस जो वे लोग देते हैं वह तो चीनी की कीमत में जोड़ दिया जाता है। उसको वह कास्ट आफ शुगर में शामिल कर लेता है और उसका असर जाकर कंज्यूमर पर पड़ता है। इसलिये इस विधेयक पर विचार करते समय इस प्रश्न की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। आखिर जब हम गन्ने की बात करते हैं और उसके खरीदने की बात करते हैं, गन्ने के उत्पादन की क़ीमत की ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि आखिर काश्तकार को अपने गन्ने के पैदा करने में कितना खर्च करना पड़ता है। जब हम लोग गन्ने के विकास की बात करते हैं, अच्छी खाद की बात करते हैं और अच्छी सिंचाई की बात करते हैं, तो हमको यह भी याद रखना चाहिये

(इस समय ११ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, पीठासीन हुए।)

कि हम जितनी अच्छी खाद गन्ने के लिये डालेंगे तो उतनी ही गन्ने की कीमत बढ़ेगी। मैंने १९४८-४९ के आंकड़ों को देखा, तो मालूम हुआ कि इंडियन शुगर केन कमेटी ने इस बात का प्रयत्न किया कि यह पता लगाया जाय कि फी मन गन्ना उत्पादन में कितना खर्च करना पड़ता है। हमारे मित्र श्री बलवन्त सिंह जी ने जो कल कहा था इससे उसकी पुष्टि होती है। यू० पी० के पश्चिमी जिलों में १ रुपया ४ आना फी मन काश्तकार को गन्ने पर खर्च पड़ता है। यू० पी० के बीच के जिलों में रुहेलखंड में १ रुपया ३ आना ६ पाई खर्च करना पड़ता है। यू० पी० के पूर्वी जिलों में १ रुपया ३ आना ३ पाई गन्ने के उत्पादन पर काश्तकार को खर्च करना पड़ता है। यह १९४८-४९ की रिपोर्ट के फिगर्स हैं। उसके बाद अगर खाद की कीमत को लगाया जाय और सिंचाई के रेट को भी जोड़ा जाय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जो कि इधर बढ़ाया गया है तो मैं समझता हूं कि यह कीमत १ रुपए ६ आना जाकर लागत की पड़ेगी । आज गन्ना १ रु० ५-४ आना मन कीमत पर बिकता है । इसलिये माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब कि सरकार की ओर से नियुक्त इंडियन शुगर केन कमेटी ने इस बात को मान लिया है कि काश्तकार को गन्ने के उत्पादन पर कितना खर्च करना पड़ता है और उसके पैदा करने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके अनुसार उसको नहीं मिलता। और दूसरे गन्ने की पैदावार ऐसी है कि उसका असर उसकी कीमत पर पड़ता है। चीनी के मामलों के जितने भी जानकार हैं, उनका यह कहना है कि गन्ने की पैदावार में वैरियेशन होते रहते हैं। उसमें कमी बेशी होती रहती है। इसलिये जहां हम इस विधेयक के सिद्धान्तों पर विचार करें वहां हम सब के लिये यह भी आवश्यक होगा कि गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत सरकारी तौर पर इस प्रकार से नियत करें कि जिससे काश्तकारों को सन्तोष हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि हम गन्ने की उचित सप्लाई का प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे। आखिर सप्लाई के तरीके क्या होते हैं ? सप्लाई के ४ तरीके इस सरकार ने इस्तेमाल किये हैं। एक तो जावा सिस्टम है और मैं समझता हूं कि सरकार थोड़ा बहुत जावा सिस्टम को अपना कर असफल ही हुई है। उसके अनुसार २००० एकड़ के एरिया में डेवलपमेंट कराया जाता था। लेकिन वहां चीनी के अलावा गुड़ वगैरा दूसरी चीजें बनाने की मुमानियत रहती थी। दूसरा तरीका बम्बई सिस्टम था जिसके अनुसार फैक्टरी के चारों तरफ तक निश्चित जोन को मान कर सब प्रकार के उत्पादन गुड़ खंड़सारी वगैरा को बन्द कर दिया जाता था और तीसरा तरीका था कोल्हू के लाइसेंस का जो कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा एक और चौथा तरीका था गुड़ की कीमत नियत करने का लेकिन इन चारों तरीकों में सरकार असफल रही है। सरकार ने गुड़ के दाम निर्धारित करने की चेष्टा की और वह उस में भी असफल रही है और आखिर में उस को गुड़ के नियंत्रण को ढीला करना पड़ा। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बात उनको सिद्धांत के रूप में तय करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इधर ध्यान दें। हमको एक बात एक बार तय करनी पड़ेगी कि हमें अपने यहां किस किस्म का गन्ना लगाना है। आया ऐसा गन्ना लगाना है कि जिसकी पैदावार हो और चीनी की मात्रा उसमें कम हो या ऐसा लगाना है कि जिसमें सुक्रोज ज्यादा हो और पैदावार कम हो। अभी तक हमारी सरकार का विकास विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि किस वेराइटी का गन्ना लगाया जाय। इसका नतीजा यह होता है कि काश्तकार का नुकसान होता है और उसको ठीक से कीमत नहीं मिल पाती है और उसका बेकार में खर्च होता है। कभी उस से कहा जाता है कि ३०८ नम्बर बोओ, कभी ३३१ कभी, २३० इसी तरह से रोज गन्ने की किस्में बदलने को उस से कहा जाता है और हर दो साल बाद कह दिया जाता है कि यह वेराइटी खराब हो गई अब उसको न बोकर और दूसरी बोओ।खास तौरसे तराई के इलाके की शिकायत है कि पिछले साल हजारों एकड़ जमीन में गन्ना खड़ा रह गया। खुद केन डिपार्टमेंट ने ३३१ नम्बर वहां लगवाया था और बाद में कह दिया गया कि यह बेकार है। इसकी जड़ में एक बात है और वह यह कि अभी तक केन डिपार्टमेंट यह तय नहीं कर पाया कि कौन सा गन्ना बोया जाय, आया वह गन्ना बोया जाय जिसमें पैदावार ज्यादा है और सुक्रोज कम है या वह गन्ना बोया जाय जिस में सुक्रोज की मात्रा अधिक है और पैदावार कम है। मैं विकास विभाग के मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि कोयमबटोर के रिसर्च एक्सपर्ट श्री दत्ता ने बताया है कि हवाई टापुओं में जो गन्ने की पैदावार की बृद्धि हुई है वह इसलिये हुई है कि वहां पर केन डिपार्टमेंड ने फैसला किया है कि ज्यादा पैदावार करने वाले गन्ने की ओर ध्यान दिया जाय और वहां पर पैदावार में ४५ प्रतिशत वृद्धि २ साल में हुई और क्वीन्सलैंड के केन डिपार्टमेंट ने रिकवरी पर ज्यादा ध्यान दिया लेकिन वहां २३ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई। श्री दत्ताने सिफारिश की थी कि यू० पी० और बिहार की सरकार को अपने यहां ऐसा गन्ना लगवाना चाहिये कि जो ज्यादा गन्ना पैदा

हो चाहे उस में सुक्रोज कम हो लेकिन हमारे विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कि सरकार को आदेश देना पड़ा कि गन्ने की कीमत रिकवरी के अनुसार लगाई जायगी और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तराई के इलाकों की मिलों को आदेश दिया गया है कि गन्ने की कीमत रिकवरी के हिसाब से लगावें और उसी हिसाब से वह गन्ने की कीमत तै की जाती है।

श्रीमन्, इन सारी सिद्धांत की बातों को मैं केवल इसलिये कह रहा हूं कि चूंकि विकास पूर्ति और खरीद से संबंधित हैं। हमारे माननीय मंत्री जी को ऐसी नीति पकड़नी चाहिये अपने इस विधेयक और नियमों के द्वारा जिसके अनुसार कम से कम जमीन में अधिक से अधिक गन्ने की पैदावार हो सके। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जरा यहां की फैक्टरीज की इफीशेंसी की तरफ भी ले जाना चाहता हूं जिससे काश्तकारों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे पूर्वी जिलों की मिलों में सबसे ज्यादा स्टापेज होते हैं। नतीजा क्या होता है। काश्तकार का जितना गन्ना सूखता है, जो डैमेज्ड केन कहलाता है उसका कोई प्रबंध नहीं हो पाता है। पिछले फैक्टरी ऐक्ट के नियमों में इस बात की व्यवस्था थी कि डैमेज्ड केन के बारे में नियम बनाये जायेंगे। लेकिन जब इस विधेयक को देखता हूं तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस विधेयक की कमियों के बारे में क्या कहूं। एक के बाद एक कमी लगातार इस विधेयक में हम को दिखलायी देती है, जैसे इसके नियमों में कहीं भी जुरमाने की गुंजाइश नहीं रखी गयी है। शुगर फैक्टरीज कंट्रोल ऐक्ट जिसको खत्म किया जा रहा है उसकी धारा ३० (३) में लिखा हुआ था:

'In making any rule under sub-section (1) or (2) the Provincial Government may provide that a breach of such rule shall be punishable with fine not exceeding two thousand rupees.'

यानी शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट के रूल्स के वाइलेशन में अगर कोई फैक्टरी काम करेगी तो दो हजार रुपया जुरमाना हो सकता है। इस विधेयक को देख लीजिये। नियमों के वाइलेशन के लिये कोई प्राविजन नहीं है। इसका कोई जिक्र इस विधेयक में नहीं है। साथ ही साथ पुराने शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट की धारा ३० की उपधारा (४) की ओर भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

'The rules made under this section shall come into force on such date as may be fixed by the Provincial Government. Such rules shall be laid before both Chambers of the Legislature whenever they may meet after the rules have come into force, and if an amendement of any such rule is carried in both the Chambers in the session following the promuglation of such rules, such rule shall be amended accordingly.

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में इस धारा को गायब कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को आखिर क्यों इस सदन पर विश्वास की कमी दिखाई देती है। अगर अपने ही बहुमत के ऊपर उनको कुछ ·····

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

मेरे माननीय दोस्त जो हैं वह इधर उधर भटक रहे हैं। पार्टी पर अटैक हो रहा है या क्या हो रहा है। मैं नहीं जानता कि बिल पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह सलाह देना तो मेरा काम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इसी विधेयक के ऊपर कह रहा हूं। श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि इस विधेयक में पुराने फैक्टरी कंट्रोल की इस धारा को बिलकुल निकाल दिया गया है कि जो भी नियम इस ऐक्ट के अनुसार बनाये जायेंगे वह सदन के सामने रखे जायेंगे। आखिर सरकार को क्यों अविश्वास होता चला जा रहा है कि नियमों को इस सदन के सामने न रखें। गन्ने जैसी महत्वपूर्ण चीज का विधेयक है और उसके नियम सदन के सामने स्वीकृति के लिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

न प्रस्तुत हों। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि पिछले १९३८ से ले कर आज तक १५ साल व्यतीत हो गये। इस सदन को अधिकार मिला हुआ है कि वह फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट को बनाये या संशोधित करे। और आज सहसा माननीय मंत्री जी इस बिल के द्वारा सदन से अधिकार छीन लेना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है ?

साथ ही साथ पुराने फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट के नियमों की धारा ३० की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें Payment of the price and regulation of the supply of cane इसके बारे में नियम बनाने का अधिकार था। इस विधेयक को उठाकर देखिये जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है और धारा २५ को देखिये जिसे माननीय मंत्री जी ने एक बार गजट में संशोधित भी कर दिया, उसमें कहीं पर भी प्राइस बनाने के नियम नहीं हैं और कहीं पर भी रेगुलेशन आफ सप्लाईज के नियम नहीं हैं। पहले फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट में है और रूल्स भी मौजूद हैं लेकिन आप इसमें अधिकार नहीं लेते।

साथ ही साथ एक और आश्चर्य की बात देखने में आती है। पहले एक केन ग्रोअर्स रजिस्टर बनाने का अधिकार माननीय मंत्री जी को था कि हर एक फैक्टरी का एक केन ग्रोअर का रजिस्टर होगा जिसमें एंट्री रहेगी कि कितनी जमीन है, उसमें कितना गन्ना लगा है और कितना पेमेंट प्राइस का होता है, लेकिन अब माननीय मंत्री जी ने उस केन ग्रोअर्स रजिस्टर की धारा को साफ कर दिया। यह पुराने ऐक्ट की धारा १७ में था। यह बहुत ही आवश्यक धारा है जिसका होना मैं समझता हूं अनिवार्य है। धारा १७ जो पुराने ऐक्ट की थी उसमें लिखा हुआ है :

"17 (a) The occupier of a factory for the purposes of which an area has been reserved shall maintain register is the prescribed form and manner of all 'Cane-growers' Co-operative Societies in such areas, who offer under section 18, to sell cane to him."

इस विधेयक मे यह केन ग्रोअर्स रजिस्टर गायब है। तो श्रीमन् आप सोचें कि अगर केन ग्रोअर रजिस्टर मिल मालिक के पास नहीं रहेगा तो उससे कितनी बड़ी गलतियां होने की संभावनायें हैं इसको माननीय मंत्री जी और डिपार्टमेंट स्वयं विचार करें।

साथ ही साथ इस विधेयक की धारा १२ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बारहवीं धारा के अनुसार माननीय मंत्री जी ने केन कमिश्नर महोदय को अधिकार देना चाहा है कि—

"गन्ना कमिश्नर, धारा १४ के प्रयोजनों के लिये आज्ञा द्वारा फैक्टरी के अध्यासी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट रीति में तथा दिनांक तक गन्ने के उस अनुमानित परिमाण को उसे बतलावे जो फैक्टरी को पेराई के ऐसे मौसम के लिये अपेक्षित होगा जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय"। यानी एस्टीमेट बनायेगी हर एक फैक्टरी। अब श्रीमन्, आप नियमों की तरफ चलें। जब हम नियमों की तरफ दृष्टिपेक्षण करते हैं तो नियमों में कुछ नहीं मिलता है कि किस प्रकार एस्टीमेट बनेगा, कौन बनायेगा, इसमें कोई नियम नहीं है। एक गलती हो तो मैं आपको बताऊं। जो जो गलतियां हैं वही दिखला रहा हूं।

फिर माननीय मंत्री ने केन सेस लगाने का अधिकार धारा १८ के अनुसार लिया है कि हम १२ पाई मन सेस लगायेंगे और उपधारा (२) में लिखा है कि ४ आने मन तक सेस लगायेंगे लेकिन कितनी लगायेंगे इसका जिक्र नहीं है, नियमों की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून में यह है कि ४ आने तक लगा सकते हैं लेकिन कितनी लगेगी यह कोई प्रस्तावना नहीं है। आप धारा २५ देख लें और एक भी नियम दिखला दें जिसके अनुसार इस बात की ताकत दी हो कि वह किसी अधिकारी को ऐसा अधिकार देंगे जिसके अनुसार वह केन सेस लगायेगा। कौन सेस

इकट्ठा करेगा, कौन सेस का हिसाब लगायेगा, यह उसमें कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां हमारे माननीय मंत्री के विधेयक में हैं।

परचेंजिग एजेंट के सवाल को लीजिये। परचेंजिग एजेंट ही गन्ने की परचेज और सप्लाई की व्यवस्था करता है। मंत्री जी कोई उसका फंक्शन बतला दें। पुराने विधेयक में तो पर्चेंजिग एजेंट के बारे में एक पूरा का पूरा क्लाज है जिसमें पर्चेंजिग एजेंट के फंक्शंस को बतलाया गया है। माननीय मंत्री जी ने क्या किया है कि पर्चेंजिग एजेंट बेचारे को नियमों में डाल दिया है। इतनी महत्वपूर्ण बात जिसको कि विधेयक की धारा होना चाहिये था वह नियमों का अंश बना दी गयी है। गन्ने की परिभाषा जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की है कि ऐसा गन्ना जो फैक्टरी में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट हो, यह परिभाषा कितनी अपूर्ण है। फैक्टरी में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ने की इस परिभाषा को स्वामीनाथन् कमेटी ने उपयुक्त नहीं कहा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर सरप्लस गन्ने की समस्या इतनी बड़ी होती है तो यह गन्ना फैक्टरी के लिये उद्दिष्ट होता है या नहीं। पिछले दो सालों से सरप्लस गन्ने की समस्या सरकार को परेशान करती रही है तो सरप्लस गन्ना फैक्टरी में भी जा सकता है। लेकिन ऐंग्रीमेंट के अनुसार नहीं जा सकता है। तो आया यह गन्ने की परिभाषा में जो माननीय मंत्री जी ने रखी है, यह गन्ना किसी खास एरिया का गन्ना है या ऐग्रीमेंट का गन्ना है या टोटल शुगरकेन जो है, उसका गन्ना है, यह समझ में नहीं आता। इसलिये इस परिभाषा से विद्वान लोग असन्तुष्ट रहे लेकिन फिर यही परिभाषा हमारे सामने है।

अब आकुपायर की परिभाषा लीजिये। फैक्टरी के आकुपायर की परिभाषा देखिये। इसमें लिखा है कि:

"आकुपायर आफ फैक्टरी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका फैक्टरी के मामलों पर अंतिम (अल्टिमेट) नियंत्रण हो और जहां फैक्ट्री के ऐसे मामले प्रबन्ध करने वाले एजेंट के अधीनस्थ हो, ऐसे एजेंट से है।"

यानी या तो जिसका अंतिम नियंत्रण हो या जो मैनेजिंग एजेंट हो। कितनी अधूरी परिभाषा श्रीमन्, यह है। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि इंडस्ट्रीज ऐक्ट से इसका संबंध है, इंडस्ट्रीज ऐक्ट १९५१ से इसका संबंध है, तो माननीय मंत्री जी अगर उस ऐक्ट में आकुपायर की परिभाषा को देखते तो उन्हें यह मालूम होता कि वहां के आकुपायर की परिभाषा और यहां के आकुपायर की परिभाषा में कितना बड़ा फर्क है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट में ओनर की परिभाषा यह है : धारा ३-एफ—

"Owner in relation to an Industrial undertaking means the person who or the authority which has the ultimate control over the affairs of the under taking and where the said affairs are entrusted to a Manager, Managing Director or Managing agent, such Manager, Managing Director or Managing Agent shall be deemed to be the Owner of the undertaking."

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—There is difference between Owner and Occupier.

श्री नारायण दत्त तिवारी—But in U. P. there are no owners. There are all Occupiers. तो आकुपायर और ओनर की परिभाषा जब तक एक नहीं होगी तब तक परिभाषा ठीक कैसे होगी क्योंकि चीनी की कीमत तो निर्धारित करे भारत सरकार और गन्ने की सप्लाई निर्धारित करें आप तो कैसे, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता, अरे कहीं तो आप संतुलन रखिये, परिभाषा में तो आप एक हो जाइये। कौन अंतिम कंट्रोल करने वाला है, क्या मैनेजिंग डाइरेक्टर अंतिम कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या शेयर होल्डर अंतिम कंट्रोल नहीं कर सकता और शेयर होल्डर को तो आपने स्वयं मान लिया, मैं माननीय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मंत्रीजी को दिखाना चाहता हूं क्योंकि उन्हें कुछ शंका है । इसलिये मैं उनका ध्यान धारा १९ की उपधारा (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं । "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कम्पनी कलेक्टर को इस बात की नोटिस दे सकती है कि उसने अपने किसी संचालक को अथवा निजी कम्पनी की दशा में किसी हिस्सेदार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी नामांकित किया है और ऐसा संचालक अथवा हिस्सेदार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अध्यासी समझा जायगा जब तक उसके नामांकन के निरसन की नोटिस कलेक्टर को प्राप्त न हो जाय अथवा जब तक उसकी संचालकता अथवा हिस्सेदारी समाप्त न हो जाय ।"

इस धारा १९ (२) के प्रतिबन्ध में आपने शेयरहोल्डर को भी आकूपायर मान लिया है, डाइरेक्टर को भी आकूपायर मान लिया है लेकिन परिभाषा में आप नहीं लिखते ह । कैसा आपने बिल बनाया है, कैसी इसकी भाषा है, कैसी इसकी ड्राफ्टिंग है । यह स्वयं अपने विरोध में तो है ही, इंडस्ट्रीज ऐक्ट के भी विरोध में यह है ।

गन्ना कमिश्नर के अधिकारों के बारे में मैं क्या कहूं और माननीय सदस्य इस संबंध में अधिक कह चुके हैं । मुझे आश्चर्य है कि पहले एक गन्ना कमिश्नर तो थे ही, इसमें एक एडीशनल कमिश्नर की और व्यवस्था है । मैं कहता हूं कि इस सर्वाधिकार सम्पन्न नौकर शाही को बढ़ाने की प्रवृत्ति कब तक हमारी सरकार की बनी रहेगी । हमको सबको मालूम है कि एक केन कमिश्नर साहब मौजूद हैं, तीन तीन असिस्टेंट केन कमिश्नर मौजूद है, रेंज आफिसर मौजूद हैं, कोआपरेटिव डेवलपमेंट आफिसर मौजूद हैं, और फिर इनके अतिरिक्त एक केन कमिश्नर और हों, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधिकारों की वृद्धि करना, बिना किसी कारण के इस प्रकार के आफिसरों की वृद्धि करना किसी प्रकार भी न्यायसंगत बात नहीं कही जा सकती ।

साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सरप्लस केन की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । चाहे फैक्ट्री कंट्रोल ऐक्ट हो चाहे गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन हो जो बहुतसे क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा गन्ना के पैदावार की समस्या हर साल खड़ी हो जाती है, उसका हल करना बड़ा आवश्यक है । हमारे तराई भाबर के क्षेत्र में और बहुत से पश्चिमी जिलों में, जहां तक मुझे सूचना मिली है, पिछले दो सालों के अन्दर इस अतिरिक्त गन्ने की समस्या को हल करना बड़ा ही आवश्यक हो गया है । दूसरे मुल्कों में आस्ट्रेलिया में यह होता है कि मिल की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है । सक्सेना खेतान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसी बात की सिफारिश की थी कि सरप्लस केन की समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि यू० पी० के हर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी एक हजार टन करा दी जाय । मैं नहीं जानता कि सक्सेना खेतान कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गयी हैं उनको सरकार ने मंजूर किया है या नहीं । लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एक ओर चीनी की नई फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं और दूसरी ओर यू० पी० चीनी की मिलों की यह टेंडेंसी हो रही है कि वे एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रियों के ले जाने की अर्जियां दें । नवाबगंज मिल तबादिला चाहता है, खलीलाबाद मिल तबादिला चाहता है, किच्छा गोकुलनगर मिल तबादिला चाहता है ।

एक सदस्य—खलीलाबाद मिल वाले नहीं चाहते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—खैर बहुत से मिल मालिक चाहते हैं । खलीलाबाद वाले नहीं चाहते होंगे, आपको ज्यादा सूचना होगी, लेकिन यह बात सही है कि मिल मालिकों के असोसियेशन ने लगातार इस बात की मांग की है कि हमारी मिलों को और खास तौर से पूर्वी जिलों की मिलों को मदरास ले जाने की इजाजत दी जाय, लोन दिया जाय, यह दिया जाय, वह दिया जाय । हमारे यहां किच्छा गोकुलनगर ने भी अप्लाई किया है कि बुलंदशहर शिफ्ट करने की इजाजत दी जाय । नई मिलें तो खुल नहीं रही हैं और पुरानी मिलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिये अरजियां दी जा रही हैं । ऐसी दशा में जब तक हम मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ायेंगे, जब तक हम मिल मालिकों को इस बात के लिये मजबूर नहीं करेंगे कि वे अपनी

क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ायें तब तक मैं समझता हूं कि सरप्लस केन की समस्या हल नहीं हो सकती है। श्रीमन्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में कुल आबाद जमीन का दो फीसदी हिस्सा आज केन की पैदावार में लगा है। कुल दो परसेंट टोटल खर्चे का जो है वह गन्ने में बच रहा है। केवल आबादी जमीन जो हिन्दोस्तान में है उसका आधा फीसदी यानी हाफ परसेंट जमीन ऐसी है जिसका गन्ना फैक्टरी में जाता है। केवल ८ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसका गन्ना सन् १९४९-५० में फैक्टरी में गया। शूगर केन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें यह स्पष्ट किया गया है। तो आज हमारे उद्योग की हालत यह है, चीनी उद्योग की हालत यह है और फिर हम गन्ने के विकास की बात करते हैं, सप्लाई परचेज की बात करते हैं या क्रशिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जहां पर वह सरप्लस केन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, उन पर विचार करना चाहते हैं वहां पर इस बात पर भी फैसला करें कि मिलों पर नियंत्रण किस प्रकार हो। अगर यह सेंटर के हाथ में है और यू० पी० की सरकार नहीं कर सकती है तो फिर कम से कम सेंटर से यू० पी० की सरकार सिफारिश तो कर ही सकती है कि मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ायी जाय।

दूसरी बात केन ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में है। कल माननीय सदस्य ने बैल गाड़ियों की हालत के बारे में जिक्र किया कि उनको २४, २४ घंटे खड़ा रहना पड़ता है। श्रीमन्, मैंने जो दूसरे मुल्कों की हालत को देखा तो वहां बैल गाड़ियों तक की रिसर्च की गयी कि किस किस्म की बैल गाड़ियां बनायी जायं। एनिमल हस्बैन्ड्री डिपार्टमेंट ने वहां बैलों तक की रिसर्च की कि यह जो बैलगाड़ियों के बैल हैं उनकी क्या हालत है और उनमें क्या सुधार हो सकता है। हमारी खेतान सक्सेना कमेटी ने भी इस बात की मांग की थी कि हमारे रिसर्च स्टेशन बैल गाड़ियों की किस्म पर भी रिसर्च करें। मैंने जावा की जो रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट में हद कर दी है। नाले बनाकर पानी के जरिये बहाकर केन कैरियर पर ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है उसे अधिक सस्ती बनाना है जिसमें कम से कम कीमत में किसान अपने गन्ने को सेंटर तक ले जा सकें। इस संबंध में मैं समझता हूं कि सक्सेना खेतान कमेटी ने जो बैलगाड़ियों के संबंध में सिफारिश की थी उस पर भी माननीय मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ वेमेंट के संबंध में नये वेमेंट मेजर्स को लगाने के लिये मिसमालिकों को बाध्य करना बहुत जरूरी है। अक्सर यह देखा गया है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने बतलाया कि बहुत जगह पुराने वेमेंट मेजर्स लगे हुये हैं और बहुत जगह वेमेंट मेजर्स जो हैं वह टूट चुके हैं, उनकी मरम्मत ठीक नहीं होती है। सक्सेना खेतान कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि जितने अन्डर वेमेंट होते हैं उनकी जिम्मेदारी मिल मालिकों पर ठहराई जानी चाहिये। हमारे माननीय फूल सिंह जी ने एक आध कमेटी में नहीं बल्कि तीन चार कमेटियों में इस बात की सिफारिश की है कि कांटे मिल मालिकों के नहीं होने चाहिये बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के होने चाहिये। सिर्फ गन्ने का व्यापार ऐसा बदकिस्मत व्यापार है कि जिसमें दुकानदार तौल नहीं करता बल्कि खरीदार जो होता है वह खुद तौल करता है यानी बेचने वाले किसान और खरीदने वाले मिल मालिक हैं। इस गन्ने के व्यापार में जो मालिक हैं जोकि खरीदारी वाले हैं वही तौल करते हैं और कहते हैं इसकी यह तौल है और जो बेचने वाले किसान हैं वह कहते हैं कि हां साहब, ठीक है। इसलिये माननीय फूल सिंह जी का जो सुझाव है वह बड़ा रचनात्मक सुझाव है और इस पर सरकार को विचार करना आवश्यक है। पिछले साल सेलेक्ट कमेटी की प्रस्तावना पर माननीय फूल सिंह जी ने कहा था कि इस पर भी विचार होगा। इसलिये यह कांटे मिल मालिकों के हों या न हों, इस सुझाव की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि इस विधेयक पर विचार करते समय या पुनर्विचार करते समय अगर वह यह ठीक समझें तो इस विधेयक के संबंध में जो कमियां मैंने और मुझसे ज्यादा सदन के माननीय सदस्यों ने बतलाई हैं, उन्हें ठीक करेंगे। अगर हम गन्ने का विकास, विश्लेषण कार्य और उसके बिक्री के कार्य को समुचित रूप से कर सकें तभी हम चीनी के व्यापार में दूसरे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मुल्कों से मोर्चा ले सकेंगे। आज वैस्टइंडीज, क्यूबा, फ़िलीपाइन्स, सेवान और हवाई वगैरह में हर जगह गन्ने की पैदावार बढ़ रही है। क्यूबा ने तो पिछले तीन साल के अन्दर चमत्कार पैदा कर दिया है। न्यूयार्क में १ पौंड चीनी ५ सेंट में मिलती थी और क्यूबा ने ऐसी कर दी है कि वह अब ३ सेंट में मिलने लगी है। इंटरनेशनल शुगर कान्फ्रेंस के सामने समस्या पैदा हो गई है कि आखिर जब तक मुल्क सस्ती चीनी दे रहा है तो चीनी के मूल्य का क्या किया जाय। हमारी कामनवैल्थ शुगरकेन कानफ्रेंस भी बुलाई गई जिसमें हिन्दुस्तान भी साझीदार था। तो माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि अगर हम गन्ने का विकास समुचित रूप से नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे डिपार्टमेंट के केन कमिश्नर, एडीशनल केन कमिश्नर और एस० डी० ओ० ही बढ़ते रहे और गन्ने से रिकवरी कम होती गई तो हम कैसे और मुल्कों से मोर्चा ले सकते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा यही कामना करूंगा कि हमारा विकास बहुमुखी न होकर अन्तर्मुखी अधिक हो ताकि हम सर्वांगीण तरक्की कर सकें। तभी यह प्रदेश पास के पिछड़े हुये देशों को, नैपाल, बरमा, ईरान और अरब के मुल्कों को चीनी दे सकेगा और उनसे तेल आदि लेकर अपनी कीमत को पूरा कर सकेगा।

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—जनाबवाला, कल से इस बिल पर विचार हो रहा है। मैं तमाम स्पीचों को बड़े गौर से सुनता रहा। जहां तक कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का संबंध है, मैंने यह देखा कि उनसे किसी को इखतिलाफ नहीं है। सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून आवे जिससे ठिकाने से ऊख की बिक्री और वजन हो सके और उसकी कीमत जल्दी मिल जाय। सभी चाहते हैं कि सेस से या और तरह से जो रकमात आती हैं उनसे गन्ने का विकास खूब हो। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ मुताल्लिक और गैरमुताल्लिक बातों के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनमें से कुछ तो ऐसी थीं जो सेकिंड रीडिंग के समय आनी चाहिये थीं जबकि उस मजमून की दफा सामने होती। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते वक्त कहा था, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो सुझाव आवेंगे उन पर ठंडे दिल से गौर किया जायगा और जहां तक हो सकेगा अच्छे से अच्छा कानून बनाया जायगा। जो एतराज इस बिल पर हुये हैं मैंने कुछ उनमें से लिख लिये हैं। अक्सर तो इस बात पर एतराज हुआ है कि हमारे गन्ना उत्पादक को कीमत देर से मिलती है और गन्ने का वजन ठीक से नहीं होता। जहां तक देर का सवाल है, मैं समझता हूं कि श्री गेंदा सिंह जी ने जो कुछ कहा उसके अन्दर ही उसका जवाब मौजूद है। कीमत और वजन के लिये बहुत कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि हमारे प्रदेश को सरकार को यह हक लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह राय बिल्कुल गलत है। गन्ने का रेट मुकर्रर करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही होना चाहिये। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था कि इसका ख्याल रखना चाहिये कि गन्ना की कीमत मुकर्रर करते वक्त चीनी के क्या दाम होंगे। कहीं ऐसा न हो कि हमारी चीनी के दाम गन्ने के दाम, ज्यादा होने से ऐसा हो जाय, उन्होंने शायद यह लफ्ज नहीं कहे थे कि तबाह हो जाय, लेकिन यह कहा था कि और जगह के चीनी के दामों के मुताल्लिक भी हमें सोचना पड़ता है, और जगह जो चीनी के दाम हैं उनका भी हमें लिहाज करना पड़ता है।

जब यह बात सामने आई कि गन्ना सिर्फ आपके प्रदेश में नहीं होता, वह बिहार में पैदा होता है, बम्बई में पैदा होता है और मदरास में पैदा होता है। इस तरह से हमारे तमाम देश की तस्वीर हमारे सामने नहीं होती है और यह भी देखना चाहिये कि हर जगह चीनी का भाव ऐसा हो कि सब के लिये ठीक हो। कहीं ऐसा न हो जाय कि फैक्ट्रीज और मिलें तबाह हो जायं। लेकिन हम इस बात को देखते हुये गन्ने के रेट को मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। इसलिये गन्ने के रेट मुकर्रर करना केन्द्रीय सरकार के मातहत ही होना चाहिये।

इसके अलावा सुझाव के मुताल्लिक जो बात है वह तो हमारी सरकार को हक रहता है और वह अपने सुझाव हमेशा दे सकती है कि गन्ने का यह रेट मुकर्रर हो। मगर चूंकि सारे देश

की तस्वीर सामने नहीं होती है इसलिये यह हो सकता है कि गन्ने के उत्पादकों को ज्यादा कीमत मिले और उस कोशिश में ऐसा न हो जाय कि हमारी मिलें तबाह हो जायं। बहुत से मिल-मालिक अपनी मिलों को यहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। वह यह समझते हैं कि बम्बई या मद्रास में जाने से उनको ज्यादा फायदा होगा। इस बात का लिहाज न किया जाय तो बड़ी दिक्कत हो जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। यह नेशनेलाइज हो जाय या इसका राष्ट्रीयकरण हो जाय इसकी बहस नहीं है। लेकिन जो सूरत है उसमें हमेशा यह ख्याल रखना पड़ता है कि चीनी का भाव दूसरी जगह के मुकाबले में, में भाव लफ्ज गलत कह गया, चीनी के पैदा करने का खर्चा दूसरी जगह से बढ़ने न पाये ताकि हमारी चीनी बाजार में बिक सके।

इससे साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि मिलमालिक ज्यादा रुपया न कमा सकें, लेकिन उनको एक मुनासिब तरीके से नफा हो तभी वह इस रोजगार को कायम रख सकते हैं। अगर घाटा रहेगा तो हमारी मिलें तबाह हो जायंगी। बहुत सी जगह वह कहते हैं कि हम मिल चलाना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो लाखों मन गन्ना पड़ा रह जाता है महज इस कोशिश में कि एक आना ज्यादा दिलाये जाने से यह होता है कि पूरे के पूरे दाम चले जाते हैं। यह बहुत पुरानी कहावत है कि सोने के अंडों के लालच में ऐसा न हो कि आप उस मुर्गी को ही मार डालें जो अंडे देती थी जिससे कुल का कुल जाय।

इसी सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि जो बकाया वगैरह है अगर आप उसको ठंडे दिल से सोचें तो यह बात आपको पता चल जायगी कि जहां तक उसको दिलाने का ताल्लुक है उसमें कोई कमी नहीं होती है सिवाय इसके कि इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि ऐसे तरीके से वह किया जाय कि उसकी कीमत उत्पादकों तक पहुंच जाय। इसके अलावा सबको मालूम है कि इस सीजन से पहले जो सीजन था उसमें गन्ना बहुत ज्यादा पेरा गया और इतना पैदा हुआ कि हमें मिलों को मजबूर करना पड़ा कि वे जुलाई तक पेरें। नतीजा उसका यह हुआ कि माल बहुत इकट्ठा हो गया, बिक्री कम हो गई और मिलों के पास जो बैंक्स का क्रेडिट था वह करीब-करीब खत्म हो गया और आगे उन्होंने क्रेडिट देने से इंकार कर दिया। तो फिर कुछ इन्तजाम करना पड़ा कि किसी सूरत से यह न हो कि गन्ना बेकार जाय और जलाना पड़े। इसके लिये यह सोचा गया कि मिलों को कुछ सहूलियत दी जाय और फिर तीसरी बात यह भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि आइन्दा सीजन जब आये तो बिल्कुल टाट उलट जाय। इन बातों के लिहाज से उनको कुछ सहूलियत दी गई लेकिन जिस मिकदार में उन्होंने पेरा था उस लिहाज से अब जो बकाया है वह बहुत कम रह गया है, मेरे ख्याल में अब चन्द लाख रुपये रह गया है। तो ये सब दिक्कतें सामने रहती हैं जिसकी वजह से बाज वक्त एतराज होता है लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इस बात का यकीन है कि जहां तक गन्ना उत्पादकों के हित का ताल्लुक है उसमें सरकार किसी से भी पीछे नहीं है। जिसमें आपको ढिलाव नजर आता है वह महज इस वजह से किया जाता है कि वह गन्ना उत्पादकों के हित में होता है।

एक बात यह भी कही गई कि ज्यादातर दिक्कतें इस वजह से पैदा होती हैं कि सरकार के पास जो सर्वे करके यह आता है कि इतने एकड़ गन्ना बोया गया या इतना गन्ना पैदा होगा वह बिल्कुल बोगस होता है। तो इस बिल के अन्दर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें इसका इन्तजाम किया गया है कि उसका ठीक से अन्दाजा किया जाय। आप देखेंगे कि जो कमेटी होगी उसमें प्लानिंग आफिसर भी होंगे और दूसरे लोग भी जो वहां के वाकिफकार होंगे वे उसमें होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ ऐसे सुझाव पेश करेंगे कि सर्वे ज्यादा अच्छी तरह से हो सके तो उस मौके पर जब यह सवाल सामने आयेगा उस पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायगा।

इसके अलावा जहां तक कम तौलने का सवाल है, यह सही है कि कम तौला जाता है। यह तो एक आम नैतिकता की बात है। हर दुकानदार कम तौलने की कोशिश करता है। उसके लिये पूरे सेविल को खड़ा करने में वक्त लगता है। उसकी कोशिश की जायगी।

[श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री]

उसमें हम और आप अगर सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि वजन ठीक से हो तभी होगा। कानून में इसके लिये सजा रखी गयी है, जुर्माना रखा गया है। मगर कानून तो बन जायगा और उसको पूरे तरीके से लागू करने की भी कोशिश की जायगी मगर इसके साथ-साथ में इस सदन के लोगों से और इस सदन के बाहर के लोगों से भी चाहूंगा कि यह एक आम शिकायत जो है, यह एक जगह की शिकायत नहीं है, पूरे मुल्क में यह शिकायत चल रही है, इसको दूर करने की कोशिश करें। लेकिन किसी सूरत से भी जब तक कि इसमें सबका कोआपरेशन न हो आम तरीके से जो यह करप्शन फैला हुआ है उसको महज कानून के जरिये से दूर करना जरा मुश्किल काम होगा। मगर यह कि जहां तक इसमें जो चीज रखी गयी है सजा के लिये, मैं समझता हूं वह काफी है। अगर कोई चीज, सजा या तरीका है जिससे रुपया वसूल हो सकता होगा, अगर आप बतायेंगे तो यकीन मानिये उसको मानने में हमें कोई इंकार नहीं हो सकेगा। जहां तक विकास का ताल्लुक है वह साइंटिफिक तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसके लिये इसमें प्रावीजन मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हर काम में जो भी किया जाय उसमें अगर पहले से ही बदगुमानी के साथ सोच लिया जाय तो मुश्किल हो जायगी। सरकार का यह मंशा है कि ऐसी चीजों की पैदावार बढ़े, जिससे लोगों की खुशहाली बढ़े, जिससे लोगों की तकलीफें दूर हों। ऐसा करते हुये भी अगर बदगुमानी की जाती है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। अगर बदगुमानी की मंशा नहीं भी हो तो भी जो तरीका या कोशिश हम करते हैं वह ऐसी है जो गलत है तो उसका असर भी अच्छा नहीं होता। जहां तक विकास का ताल्लुक है विरोधी दल, हम और जो भी हमारे सहयोगी और साथी हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई वजह नाउम्मीदी की नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी दल के बाज साहबान के दिल में ऐसी निराशा क्यों पैदा हो गयी है। इसलिये मैं अपने दोस्तों से चाहूंगा कि वह अपने रुख को बदलें और विश्वास करें कि इस सिलसिले में जितने भी सुझाव आये हैं उन सब पर विचार किया जायगा।

इसके अलावा एक बात और कही गयी है। वह यह है कि सिर्फ जेल की सजा रखी जाय, जुर्माने की न रखी जाय। लेकिन जेल की सजा भी तो उसमें मौजूद है। मान लीजिये किसी का कसूर इतना ज्यादा है कि हम उसको सजा के अलावा रुपये का भी उसको धक्का लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—ठीक है। उसमें "और" शब्द के बजाय "एण्ड" रख दिया जाय।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसका हक़ तो आपको रहेगा ही। अगर आपको जुर्माने पर एतराज है तो उस वक्त आप कह सकते हैं। जब वह दफा आयेगी तो आप उसके बारे में कह सकते हैं लेकिन यह कि सिर्फ सजा ही रहे यह बात समझ में नहीं आती। कारबारी आदमी को जेल की सजा से भी बढ़कर यह सजा हो सकती है कि उसकी जेब पर चोट पड़े। वह बाजार में आता है, अपना वक्त जाया करता है, रुपया लगाता है तो इसलिये यह सब करता है कि उसको मुनाफा हो। इसलिये अगर उसकी जेब कटती है तो वह उसके लिये सबसे बड़ी सजा हो सकती है। फिर अगर लगातार वह इसकी अवहेलना करता है तो जुर्माना एक हजार रुपया तक हो सकता है। तो यह तो उसे और कड़ा बनाया गया है, उसे घटाया नहीं गया है। "और" का सवाल तो जाने दीजिये, इस सूरत से जहां तक जेल दिलाने का सवाल है या जुर्माने का सवाल है उससे कहीं सख्त उसके लिये यह चीज है कि उसको इसके लिये सूद देना पड़ेगा और वह भी साढ़े ७ परसेंट सूद देना पड़ेगा। जिसकी वजह से बैंक से जो रुपया उसे मिलेगा उसके मुनाफे का एक हिस्सा बराबर कटता आयगा। यह चीज बजाते खुद जेल की सजा से भी ज्यादा है। व्यापारी को पैसे से जितनी मुहब्बत होती है उतनी उसे मुसीबत झेलने से तकलीफ नहीं होती। तो यह बहुत सोच समझकर बात रखी गयी है

कि साढ़े ७ परसेंट सूद दिलाया जाय। इसी सूरत से मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप मान लीजिये कि १२ परसेंट सूद कर देते, यह भी सवाल कई लोगों की तरफ से उठाया गया कि १२ परसेंट या १० परसेंट कर दिया जाय। तो उस वक्त आपको यह भी सोचना पड़ेगा जो दूसरे और सूबे में है वहां क्या हालत है। आपको देखना पड़ेगा कि बाहर की चीनी मिलों के मुकाबिले में यहां की मिलों की क्या सूरत होगी। अगर हम १२ परसेंट सूद रख दें और कहीं ऐसा मामला पड़ जाय जैसा कि सन् ५१-५२ के सीजन में हुआ तो उनको बहुत ज्यादा गन्ना पेरना पड़ जाता, जब कि पैदावार ज्यादा हो जाती तो उसका नतीजा क्या होता? उसका नतीजा यह होता कि सब बैंकों का क्रेडिट होता और जब तीन साढ़े तीन लाख टन चीनी की खपत नहीं होती तो उसका यह नतीजा होता कि किसानों का दाम देने के लिये उनके पास पैसा नहीं होता। इस तरह से १५ दिन का समय तो यकीनन बढ़ जाता। तो इस तरह से अगर हम अनरिजनेबिल सूद रख देते, १२, १५ या २५ परसेंट ही सूद उनको डराने के लिये रख देते तो उसका क्या नतीजा होता? उसका नतीजा यही होता कि उस वक्त हर मिल वाले को अपने को दिवालिया डिक्लेयर कर देना पड़ता और उससे गन्ना उत्पादकों को बजाय फायदा होने के नुकसान ही पहुंचता। इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है कि बैंक के रेट से ज्यादा सूद उनको देना पड़ेगा। इससे यह होगा कि बैंकों से कम रेट पर रुपया लेकर किसानों का रुपया बकाया रखने को उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बहुत सी जगहों से यह मांग है कि वहां मिलें खोली जायं। जैसे कि तराई भाबर में माननीय नारायण दत्त जी को ही मांग है कि वहां एक मिल खुलनी चाहिये। तो अगर इस तरह से मिल वालों पर कड़ाई की जायगी तो जो मिल वाले हैं या और धनी लोग हैं उनकी हिम्मत ही कहीं पर मिल खोलने की नहीं पड़ेगी। हम लोगों की यह ख्वाहिश कभी भी नहीं होगी कि यहां का कैपिटल हटकर दूसरे सूबे में चला जाय। बल्कि हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिये कि यहां के जो धनी हैं वे तो अपना रुपया लगावें ही लेकिन दूसरे प्रदेशों के भी जो धनी लोग हैं वे भी हमारे प्रदेश में अपना धन लगावें। इसलिये कि हमारा सूबा जो है वह कोई बहुत धनवान सूबा नहीं है। इसके पास बहुत पैसा नहीं है, इसलिये हम चाहते हैं कि और जगहों के लोग भी यहां आकर अपना रुपया लगावें। इस संबंध में बहुत सी बातें कहीं जा रही हैं और कही जायेंगी लेकिन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि १० साल के अन्दर गन्ने की इस इंडस्ट्रीज से किसानों को कितना फायदा हुआ है? इससे पहले अगर आप ख्याल करें तो जो गन्ना पैदा होता था वह एक-एक हाथ और डेढ़-डेढ़ हाथ का होता था और उस वक्त उसकी जरूरत भी नहीं मालूम होती थी क्योंकि उस वक्त जो पत्थर के कोल्हू थे या लोहे की चरखी थी उसके लिये वही गन्ना काफी होता था। लेकिन जब यहां मिलें आयीं तब इस बात की जरूरत मालूम हुई कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय और उस वक्त से यह कोशिश बराबर जारी है कि यह इंडस्ट्री तरक्की करे। आप देखेंगे कि इससे किसानों का कितना फायदा हुआ है। इसी सूरत से सदन को इस बात पर विचार करना है कि हम किस सूरत से और रुपया अपने यहां ला सकते हैं। बजाय इसके हम हमेशा इस बात को सोचें कि हम ऐसा तरीका अख्तियार करें जिससे हमारा धन कहीं और चला जाय। इस बात का लिहाज रखते हुये साढ़े सात फीसदी की रकम मुकर्रर रखी गयी है। ऐसे दो एक सवाल और भी हैं जिनके मुताल्लिक मैं समझ नहीं पाया कि क्या होना चाहिये। मसलन् यह कहा गया कि कलेक्टर को यह अधिकार क्यों दिया गया कि वह लैंड रेवेन्यू की तरह से बकाया की वसूली करे। अब उसको न दिया जाय तो और किसको दिया जाय? लैंड रेवेन्यू की वसूली का जिम्मेदार कौन होता है? जब आप इससे इत्तिफाक करते हैं कि जो बाकी रह जाय और सर्टीफाई हो जाय तब उसके वसूलने का तरीका लैंड रेवेन्यू सा अख्तियार किया जाय। जब उस तरीके पर एतराज नहीं है तब उसके वसूल करने की अथारिटी कलेक्टर हो इस पर क्या एतराज हो सकता है? मैं अब तक नहीं समझ पाया कि कलेक्टर के सिवाय और क्या एजेंसी उसके वसूल करने की हो सकती है सिवाय इसके कि कोई नयी एजेंसी कायम की जाय। उसके लिये कुर्क अमीन अलग हों, सिपाही अलग हों। एक साहब ने कहा कि केन सोसाइटी के सभापतियों को यह ताकत हो कि वह वसूल करें। मैं इस वसूली का खर्च सोसाइटियों पर डाल देना गलत समझता हूं। मुमकिन है मेरी समझ में

[श्री मुहम्मद रफ़ीक़ आफ़री]

बात न आई हो। सर्टीफिकेट कौन देगा और सर्टीफाई करना भी आसान नहीं होगा। हर शख्स दरख्वास्त देगा और इतनी दरख्वास्तें पड़ेंगी कि हर जगह उसके लिये स्टाफ रखना पड़ेगा। उस काम को पूरा करने के लिये स्टाफ भी रख दें तो हर एक जगह जांच करना उसमें महीनों और सालों लग जायेंगे। इसलिये ही तो यह रखा गया है कि सोसाइटियां केन कमिश्नर के पास दरख्वास्तें भेजेंगी कि इतना बाकी रह गया और उसके बाद केन कमिश्नर उसकी जांच करेगा और तब सर्टीफाई करेगा कि कलेक्टर उसको लैंड रेवेन्यू की हैसियत से वसूल कर दे। अगर इससे जल्दी का कोई तरीका कोई साहब बतायें तो उस पर सोचा जा सकता है। अभी जब क्लाजवाईज डिस्कशन होगा तो उस वक्त फिर मौका मिलेगा कि किस तरीके से किसानों को जल्दी पैसा मिल जाय ऐसा तरीका बताया जायगा तो सरकार उससे कभी खारिज नहीं है। सरकार और इस भवन के जितने माननीय सदस्य हैं सब को राय है कि जितनी जल्दी और जितनी आसानी से हो किसानों को कीमत मिल सके। वह रुपया किसानों को दिलाया जाय और जो तमाम तजवीजें हैं वह सब इसी के मातहत रखी गई हैं। बहुत से एतराज हुये कि डेवलपमेंट में यह खराबी थी वह खराबी थी। रही होगी। अब उस पर इस वक्त ज्यादा कहना मैं जरूरी नहीं समझता। किसी जगह पर कुछ है तो किसी जगह पर कुछ है। कुछ जगह काम खराब हुआ है तो कुछ जगहों पर काम अच्छा भी हुआ है। इसी सदन के एक सदस्य ने कहा था कि उनको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बहर सूरत मैं इसको मान लेता हूं कि शिकायत जो है वह किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। अब जो शिकायत है वह तो है महज उसका रोना रोने से काम नहीं चलेगा। उसके लिये शुगर डेवलपमेंट बोर्ड्स कायम करने का प्राविजन है और उस पर डेवलपमेंट का बोझ डाला गया है। आप उसमें देखेंगे कि जो शुगर कौंसिल होगी उसमें, प्लानिंग आफिसर भी एक मेम्बर रखे गये हैं और वह इस वजह से रखे गये हैं कि वह प्लानिंग और डेवलपमेंट के वर्क को इंटिग्रेट करें। क्योंकि प्लानिंग के काम को अगर देखने वाला कोई आदमी जिले में होता है तो वह प्लानिंग आफिसर होता है। वह यह देखेगा कि प्लानिंग के साथ साथ डेवलेपमेंट का काम सुचारु रूप से चलता है या नहीं है। और भी नुमाइन्दे उसमें होंगे। आपके उत्पादकों की सहयोग समितियों के भी सदस्य होंगे। इसके अलावा उनके पास फंड का भी प्रबन्ध किया गया है। अब देखें कि यह फंड इस तरीके से रखे गये हैं जिनकी वजह से काम आसानी से हो सके। तो इस वजह से पिछले जमाने में उसका डेवलपमेंट वर्क काफी हुआ। पिछले जमाने में जो रहा है वह आप, हम सब जानते हैं कि किस तरह का सिलसिला रहा। काम तो बहुत हुआ। यह बात दूसरी है कि जितना आप चाहते हों उतना न हुआ हो और उसी का नतीजा है कि अभी-अभी हमने श्रमदान पखवारा मनाया। जो जोश जनता की तरफ से जाहिर हुआ वह जोश न मिलता, तो इतना काम न हो पाता। उनको पूरा विश्वास हो गया है कि रहन-सहन को ऊंचा उठाने के लिये, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से पूरे तौर पर कोशिश हो रही है। इस वजह से उसका जवाब मिला और इस कानून में अगर आप देखेंगे तो इस बात का इन्तजाम रखा गया है कि शिकायतें जो होती थीं वे दूर की जायं। यह शिकायत की गई थी कि साहब मिलों में बड़ी देर तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। पानी बरसता है और धूप पड़ती है, बैलों के लिये पानी तक का इन्तजाम नहीं होता, आप देखेंगे कि इसमें यह इन्तजाम किया गया है कि बैलों के लिये पीने के पानी का इन्तजाम हो, ठहरने के लिये शेड्स हों। बीच में यह भी कहा गया कि तौल जल्दी से जल्दी हो जाय, किसी माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि तीन घंटे के अन्दर हो जाय। उसका प्रबन्ध किया जायगा लेकिन बाज वक्त यह होता है कि किसान भाई जो होते हैं उनसे यह कहा गया कि फलां गांव की तौल होगी लेकिन पहले से दूसरे गांव वाले गाड़ी लेकर पहुंच गये तो पहले वाले को इन्तजार करना पड़ेगा। तो मुझे उनसे दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि किसान भाई भी कुछ नियमों का पालन करें। हमारे

सार्वजनिक कार्यकर्ता चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों उनको चाहिये कि इस तरीके पर लोगों को समझाने की कोशिश करें। दूसरे इसमें पेमेंट दिलाने का भी इन्तजाम किया गया है। जहां तक उसूलों का ताल्लुक है वहां तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तक कोई ऐसा एतराज हुआ नहीं जो यह कहा जाय कि फलां चीज इसके अन्दर मौजूद नहीं है। बाकी रहा यह कि उसका कोई अल्फाज ठीक न हो, कहीं "और" लगाना पड़े और कहीं "और" निकालना पड़े तो उसके लिये १३२ संशोधन हैं, उस वक्त यह सब कमियां पूरे तरीके से देखी जा सकती हैं और जहां तक हो सकेगा उनको दूर किया जायगा। मैं तमाम सदन के सदस्यों को मुबारकबाद देना चाहता हूं उनकी इस ख्वाहिश पर कि गन्ने का उत्पादन बढ़े, उसका विकास हो और उसका ठीक ठीक वितरण हो और किसानों को उसकी कीमत वक्त से मिल जाय। सदन की इस ख्वाहिश और सरकार की ख्वाहिश में कोई मतभेद नहीं है। हमारी और आपकी यह ख्वाहिश है इसीलिये यह विधेयक सामने लाया गया है और इसी ख्याल से हम लोग इस पर गौर करेंगे और सोचेंगे और जब यह विधेयक ऐक्ट हो जायगा उस वक्त हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कल से मैं इस गन्ना उत्पादन और पूर्ति के सम्बन्ध में जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है उस पर अपने तमाम साथियों की चर्चा सुन रहा हूं। यह ठीक है कि आप इस विधेयक के अन्दर जो धारायें पास करना चाहते हैं उनके पास करने ही से यह काफी नहीं है कि गन्ना उत्पादन और पूर्ति की व्यवस्था ठीक हो जाय। पहले जब श्री गेंदा सिंह जी ने गन्ने की कीमत के बारे में चर्चा की तो उस पर एतराज किया गया कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। मैं समझता हूं कि जितने सदस्य सदन के हैं और जिन्होंने इस बात पर चर्चा किया है, वह सभी इस बात को समझते हैं कि इसका सम्बन्ध वैधानिक तरीके से केन्द्र से है। ऐसी स्थिति में जो दिक्कतें उपस्थित होती हैं वह अमली रूप से कम हो जायं यह बातें सदन के सामने हमा अन्य साथियों ने रखीं। जब हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम गन्ने की कीमत के बारे में चर्चा कर सकें और उस पर सोच विचार कर सकें और केन्द्रीय सरकार को सलाह देकर मजबूर कर सकें कि यह जो गन्ने की पूर्ति और उत्पादन की कीमत से सम्बन्धित जो बातें हैं उससे फायदा उठा सकें तब तो बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है। जब यह बात किसानों के सामने लायी जाती है कि तुम कीमत के बारे में बात नहीं कर सकते तो फिर यह गन्ने का उत्पादन किस प्रकार बढ़ सकता है और किस प्रकार किसानों की दिलचस्पी गन्ने से हो सकती है। अगर उसकी कीमत से उसको दिलचस्पी नहीं होती है तो उत्पादन के लिये अच्छी से अच्छी खाद और अच्छे गन्ने का बीज आप पहुंचायें। वह कभी भी इस बात के लिये तैयार नहीं होगा कि वह अधिक गन्ना बोये। आज भी गन्ने का उत्पादन अधिक है। आप देखें कि जितनी मिलें चलती हैं वह गन्ने को पूरे तरीके से पेर नहीं पाती हैं। इसके अलावा एक एक गांव में जहां पर २, ३ कोल्हू चला करते थे आज वहां पर ११, १२ कोल्हू बढ़ गये हैं। गुड़ ज्यादा बन रहा है और वह इसीलिये कि गन्ना ठीक तरीके से जो पैदा किया गया है उसको मिल मालिक जो लेते हैं या तो उसकी लेने की व्यवस्था ठीक नहीं है या उसका भाव ठीक नहीं है, इस वजह से यह दिक्कत की बात आ जाती है। किसी आदमी से अगर यह कहा जाय कि आप जाइये और बाजार से सौदा ले आइये चाहे सौदा लेने की जिम्मेदारी उसकी हो, परन्तु भाव के बारे में जिससे आप सौदा खरीदें उससे आप कोई बात नहीं कर सकते। भाव से आपका कोई मतलब नहीं है। सारा गन्ना अच्छा हो और अच्छी से अच्छी तादाद में उसको लेने की जिम्मेदारी और उसका सम्बन्ध आपसे है तो ऐसी स्थिति में यह जरूर दिक्कत की बात है और उसका उत्पादन बढ़ना कठिन हो जायगा। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जैसा कि कहा गया है पूर्ति की व्यवस्था के बारे में, जो कि पूर्ति की इस वक्त स्थिति है जो कि हमारे भाई ने बतलायी कि पूर्ति के बारे में गन्ने

[श्री हनुमान प्रसाद मिश्र]

का तौल इस समय ठीक नहीं है उसको ठीक होना जरूरी है। तौल में जो दिक्कतें हैं, परेशानी हैं या वजन में ज्यादा तौला जाता है और इसके अतिरिक्त गाड़ियां जो कई दिन तक खड़ी रहती हैं यह सब कारण तो हैं ही। साथ ही साथ जो अधिकार दिया जा रहा है मैजिस्ट्रेट को कि उसको कानून का अधिकार देकर इस बात की ओर कोशिश हो कि विधान के द्वारा इन दिक्कतों को हल किया जायगा तो मुझे इसका तजुर्बा है और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और जिन जिलों में आज गन्ने की मिलें हैं वहां के गन्ने की मिलों के मालिक सबसे पहले ज्यादातर अपने हल्के के एम० एल० ए० और वहां के मैजिस्ट्रेट से अपने सम्बन्ध पैदा कर लेते हैं और मालूम नहीं कि उन मिलमालिकों के और मैजिस्ट्रेट्स व स्थानीय एम० एल० एज० के ताल्लुक़ात कैसे पैदा हो जाते हैं लेकिन जो किसान उनको गन्ना देते हैं और जिन पर उनकी रोजी निर्भर है और उनकी आमदनी का सारा दारोमदार है उनसे क्यों उनके अच्छे ताल्लुक़ात पैदा नहीं हो पाते हैं।

मैं पिछले साल का एक मिल का जिक्र बतलाना चाहता हूं कि किसानों का उस पर कई लाख रुपया बाकी था और तीन महीने तक किसानों ने कोशिश की और उसके बाद कुछ क़ीमत दिखलाई गई और जब मैजिस्ट्रेट ने ज्यादा जोर दिया तो उसका भी तबादला किया गया और बाक़ी रुपया पड़ा रहा। ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। इस विधेयक के बनाने के साथ साथ अगर इन बातों को ध्यान में न रखा जायगा जैसे पूर्ति किन तरीकों से हो, उत्पादन की जिम्मेदारी तो किसान की ही है, अव्वल तो उसको पूरी जानकारी ही नहीं होती। किसान जिन दिक्कतों और तकलीफ़ों का सामना कर रहा है उनको हटाने के लिये इस विधेयक में अवश्य प्रयत्न होना चाहिये और जो चीजें यहां लाई जा रही हैं उनको अमली जामा पहनाने की तो और भी ज्यादा आवश्यकता है और वह कानूनन और सख्ती के साथ पहनाना होगा और अगर ऐसा न किया जायगा तो मैं समझता हूं कि बिल बन सकता है, पास हो सकता है लेकिन उसका अमल में आना कठिन होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर से जो बातें रखी जाती हैं उनकी ओर भी ध्यान दें और ऐसा न करें कि विरोधी दल जो बात रखता है वह विरोध के लिये ही रखता है बल्कि उन्हें सोचना चाहिये कि विरोधी दल के सदस्य भी जनता से सम्बन्ध रखते हैं और वह भी किसानों की दिक्कतें देखते हैं और महसूस करते हैं। सड़कों की हालत भी अबतर है और जो सड़कें दस साल पहले अच्छी थीं उनकी हालत भी आज अबतर हो गई है और जिन लोगों की गाड़ियां कमजोर हैं वह गन्ना नहीं ला सकते हैं। दूसरे गन्ना किसानों का पड़ा रहता है और सूखा करता है और उसका वजन भी कम हो जाता है। मिल मालिक तो चाहते हैं कि गन्ना पड़ा रहे और उसका पानी का हिस्सा घट जाय और शक्कर का हिस्सा बढ़ जाय। जो बड़े फार्म वाले हैं उनका गन्ना पहले तौला जाता है जब कि उसका वजन ज्यादा रहता है और किसानों का गन्ना बाद तक सुखाया जाता है ताकि उसमें शक्कर का हिस्सा बढ़ जाय और पानी का जुज सूख जाय। यह तमाम चालाकियां मिलमालिकों की ओर से किसानों के साथ की जाती हैं जिनके ऊपर गन्ने की पैदावार और तरक्की निर्भर करती है। अगर मंत्री जी ध्यान देंगे तो मैं अर्ज़ करूंगा कि हम सब चाहते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़े, लेकिन उसका सृजन भी ठीक तौर से होना चाहिये और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुये जो चीजें इस विधेयक में लानी आवश्यक हैं उनको लाया जाय और साथ ही साथ उनकी पूर्ति करने के लिए स्थानीय मैजिस्ट्रेट और जो दूसरे लोग मिलमालिकों से ताल्लुकात रखते हैं उनकी दस्तअन्दाजी पर भी निगाह रखी जाय और अगर ऐसा न किया जायगा तो योजनायें बन सकती हैं, आप अच्छी खाद पहुंचा सकते हैं, अच्छे बीज का प्रबन्ध कर सकते हैं, लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसान के दिल में एक उत्साह, एक लगन और एक धुन आप नहीं ला सकते। अगर यह चीजें उसके

दिल में न होंगी तो कोई भी शख्स या कोई भी विधेयक न तो गन्ने का उत्पादन ही बढ़ा सकता है और न उसको पूर्ति की व्यवस्था ही उत्पन्न की जा सकती है।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, क्लोजर का मैं इस समय विरोध करता हूं।

मैंने अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की है कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में चला जाय। अगर आप इजाजत दे दें तो निवेदन कर दूं।

जैसा कि मैंने अभी आपके द्वारा सदन को बताया मैंने माननीय मुख्य मंत्री से अभी निवेदन किया था कि इस विधेयक में ऐसी ऐसी बातें हैं जिनमें कुछ मौलिक मतभेद सा है, उसको हम चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के अन्दर चला जाय और जल्दी से जल्दी उसमें बातचीत हो करके फिर सोमवार को डिस्कशन के लिये लाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर गौर करके हमारे सजेशन को मान लेने के लिये निश्चय भी कर लिया होगा। इसलिये आपसे दोबारा यह निवेदन करता हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और सेलेक्ट कमेटी उस पर विचार करके जल्द लौटा दे ताकि इस पर सोमवार को डिस्कशन हो सके।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मुझ से अभी चन्द मिनट हुये राजनारायण जी ने कहा कि अगर सेलेक्ट कमेटी में बिल भेज दिया जाय तो अच्छा हो। खैर, जहां तक हो मैं उनकी बात को मानना चाहता हूं। एक बात जो उन्होंने कही वह तो सेलेक्ट कमेटी में नहीं हो सकती और न हाउस ही कर सकता है जो कि उन्होंने कहा कि कुछ मौलिक आपत्तियां हैं। खैर वह तो हो नहीं सकता लेकिन जहां तक सेलेक्ट कमेटी में जाने की बात है मैंने यह कहा था राजनारायण जी से अगर हम लोग रजामन्द हो जायं, गो सेलेक्ट कमेटी का कोई मोशन नहीं, मगर खैर कोई कायदे की वजह से कोई काम रुके तो चेअर से मैं नियम का खास तौर से वेव करने की भी दरख्वास्त कर सकता हूं। अगर यह सेलेक्ट कमेटी में जाय तो परसों शनिश्चर की शाम तक या इतवार की सुबह तक इसकी रिपोर्ट आपके दफ्तर में आ जाय और वह इतवार को बंट भी जाय और जब सोमवार को हम मिलें तो इस पर क्लाजवाइज डिस्कशन किया जाय। ऐसा हो जाय तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बिल को कंट्रोवर्शल बिल नहीं समझता। मेरी जाती राय है कि जो कुछ सुधार हम करेंगे इसमें एक आधी बात आ गयी है जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है जैसा कि यह कहा गया था कि गन्ने के ऊपर सेल्स टैक्स के बारे में। वह पहले बिल में भी था। उसके मुताबिक इसमें भी आ गया है। उसको हम लोग निकालने को तैयार हैं। सेल्स टैक्स की इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। न हमारा कोई इरादा सेल्स टैक्स लगाने का है। जब कभी होगा तब देखा जायगा। मगर इस वक्त कोई इरादा नहीं है। और जो प्रोसीजरल बातें हैं, बहुत अच्छी बात है कि उसको फिर देख लें। इसलिये अगर हाउस चाहे तो मैं इस बात का प्रस्ताव करने को तैयार हूं, अगर सबकी रजामन्दी हो कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इतवार की सुबह तक इसकी रिपोर्ट आपके यहां प्रेजेंट हो कर सरकुलेट हो जाय और सोमवार को क्लाज बाई क्लाज बिल का कंसीडरेशन हो जाय क्योंकि यह बिल जितनी जल्दी ते हो जाय उतना अच्छा है क्योंकि उससे कई दिक्कतें दूर करने के लिये हम समझते हैं कि इलाज हासिल होगा। अगर हाउस को यह बात मंजूर हो तो मैं इसे मानने को तैयार हूं और उद्योग मंत्री जी भी इसे मान जायंगे। अब फिर उनकी स्पीच तो अभी बाकी है ही हर हालत में।

श्री उपाध्यक्ष—श्री राजनारायण जी अगर चाहें तो प्रस्ताव पेश करदें बाजाब्ता।

श्री राजनारायण—ठीक है, वे ही प्रस्ताव ले आवें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हां, मेरी तरफ से मान लिया जाय राजनारायण जी की बात अगर मैं अपनी ओर से कह सकूं तो और अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—शायद नामावली देने की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—नामावली ५ बजे के बाद दे दी जायगी। उस वक्त मंजूर हो जाय और उसके बाद सोमवार को उस पर वाद विवाद शुरू हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह प्रस्तुत बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय इस शर्त पर कि वह अपनी रिपोर्ट इतवार की सुबह तक दे देगी और सोमवार से उस पर वादविवाद प्रारम्भ हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हुकुम सिंह जी की स्पीच तो रह गयी। क्योंकि कई बातें कही गईं जिनका जवाब मिल जाय तो आपको तस्कीन ज्यादा हो।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी १५ मिनट एनलाइटन कर सकें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर उद्योग मंत्री कुछ कहना चाहें तो कह दें। समय तो है अभी।

श्री हुकुम सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त वह विधेयक मैं इस सदन के सामने ला रहा था तो मेरे दिल में बड़ी बड़ी आशायें थीं और श्री गेंदा सिंह से मुझे काफी उम्मीद थी। नारायण दत्त जी तो हमेशा हमको ना उम्मीद कर देते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा जब गुजिश्ता साल शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल अमेंडिंग बिल आया तो यह कहा गया था कि एक कमेटी कायम की जायगी और वह कमेटी इस पूरे प्रश्न पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी और कमेटी की जो राय होगी उस पर गवर्नमेंट विचार करके तब एक बिल लायेगी इस सदन के सामने। इसके बारे में भी नारायण दत्त जी को बड़ी शिकायत हुई और प्रोसीडिंग भी पढ़ी और मेरी और माननीय मुख्य मंत्री की स्पीच भी आपने पढ़ी और उनकी यह शिकायत है कि रिपार्ट को मैंने इस सदन के सामने पेश नहीं किया। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि सदन के सामने रिपार्ट पेश की जायगी मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे मित्र कहीं प्रोसीडिंग्स में मेरी या मुख्य मंत्री की स्पीच दिखा दें कि ऐसा वादा किया हो कि रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश की जायगी। केवल इतना कहा था कि कमेटी की राय जानने पर उस पर विचार किया जाय और बिल बनेगा। वह कमेटी गवर्नमेंट की थी, सदन की नहीं थी। लेकिन मेरे मित्र ने फरमाया कि हुकुम सिंह का इस सदन में विश्वास कुछ घटता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाता है इस सदन से मुझे कभी ना उम्मीदी नहीं हुई, उनको शायद नाउम्मीदी हुई हो क्योंकि उन्होंने कभी माकूल बात नहीं कही।

जहां तक ठाकुर गेंदा सिंह का ताल्लुक है उस कमेटी में विरोधी दल के नेता का नाम मैंने रखा था। कारणवश वह किसी बैठक में शरीक न हो सके। कारण क्या था वह वही जान सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन गेंदा सिंह जी को वकील होकर उनकी तरफ से उसमें शरीक होना पड़ा। वह अदालत ऐसी थी कि वहां वकालत पास करने की जरूरत नहीं है। हर शख्स वकालत कर सकता है। उनको पार्टिसपेट करने का मौका दिया गया था, कल उन्होंने बहुत सी बात यहां पर कहीं लेकिन मुझे अफसोस रहा इस बात का जब उस कमेटी में वह थे इन समस्त बातों के बारे एक भी सुझाव अपनी तरफ से उन्होंने नहीं दिया। अगर मैं यह कहूं कि हां में हां मिलाते रहे तो कोई बेजा बात नहीं। जो सुझाव कल उन्होंने दिये उसमें से एक भी उन्होंने कमेटी में नहीं दिया था। तो फिर कमेटी में तो आप रिजर्वेशन से बात करें और

यहां आवें तो ऐसी बातें करें जिसके मुताल्लिक वहां जबान भी न खोली हो, यह तो उनका हाल रहा। वह ऐसा मौका था जहां उनको वे सारे सुझाव रखने चाहिये थे ताकि गवर्नमेंट के सामने वह बातें आतीं और फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते। इसी वजह से मैंने यह कहा था कि अगर गेंदा सिंह जी इस विधेयक की ताईद करते हैं तो इफ और बट के साथ ताईद न करें जिस तरह से कि कंसालिडेशन ऐक्ट की ताईद यहां की और बाहर बुराई की। मैं ऐसी ताईद नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि सच्चे दिल से अगर किसी चीज को हम मुनासिब समझते हैं तो हम उसी तरीके से उसकी ताईद करें और यहां से लेकर बाहर तक उसको हमेशा ताईद करते रहें। मैं तो समझता हूं कि उस तरफ विरोधी दल में हमारे भाई मलखान सिंह जी और हमारे भाई गेंदा सिंह जी सबसे ज्यादा वयोवृद्ध हैं, मलखान सिंह जी देखने में वृद्ध मालूम होते हैं गेंदा सिंह जी अपनी वृद्धावस्था को छिपाना चाहते हैं खिजाब करके पर मैं धोखे में नहीं आता, मैं उनसे यह उम्मीद करता था कि वह बहुत गम्भीरता के साथ और बहुत सावधानी के साथ इस मामले पर रोशनी डालेंगे जिससे कि हम कुछ फायदा उठा सकें लेकिन मैं क्या कहूं, मुझे नाउम्मीदी हुई ठाकुर साहब से भी, और जहां तक नारायण दत्त जी का ताल्लुक है उनके बारे में मैं क्या कहूं, सदन बखूबी वाकिफ है। बहुत सी बातें हमारे गेंदा सिंह जी ने कहीं और रामेश्वर जी ने भी बहुत सी बातें कहीं। उनको तो मेडेन स्पीच में पूरा लैटीच्यूड मिला और नारायणदत्त जी भी अपनी हर स्पीच को मेडेन स्पीच समझते हैं, जो चाहें वह कह दें, कई खून उनको माफ हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जगह पर बैठकर एक दायरे के अन्दर बात कर सकता हूं, आगे बढ़ नहीं सकता, कदम बाहर रख नहीं सकता। लिहाजा रामेश्वर जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, नारायणदत्त जी की बातों के संबंध में मैं तुलसीदास महराज का जो हुक्म है, उसी पर अमल करूंगा।

श्री नारायणदत्त ने मुख्य मंत्री तथा मेरा नाम लेकर कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने का वादा किया यह बात गलत है। तो इन सब बातों का जवाब क्या है ? इन सब बातों का जवाब खामोशी है। हमारे भाई गेंदा सिंह जी को यह शिकायत है कि कलेक्टर को यह सब पावर क्यों दिया जाता है किसी को शिकायत है कि कमिश्नर को क्यों पावर दिया जाता है तो यह मंशा मालूम होती है कि इस विधेयक में जितने काम हैं वह मिनिस्टर खुदकरें कहां तक मुमकिन है अगर खुदा न ख्वास्ता आप यहां बैठा दिये जायं तो न मालूम किस किसको आप अख्तियार दे देगें। मैं तो इतने बड़े जिम्मेदार आदमी को अख्तियार दे रहा हूं जिन्होंने बहुत सावधानी से कार्य किया है। इस बिल में यह है कि लैंड रेवेन्यू के तरीके पर बकाया वसूल किया जाय। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में वसूल करने की पावर कलेक्टर को ही है। लिहाजा अगर कलेक्टर को पावर नहीं देते हैं तो कोई दूसरी एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी नारायण दत्त जी ने कहा कि एडीशनल कमिश्नर न बढ़ाया जाय। यह और बड़ी गलती होगी अगर हम एक नये कलेक्टर की जगह क्रियेट करें। हर तरह से मुश्किल है। अगर आप इस साफ दिली के साथ आवें कि जो मुनासिब बात हम करें उसकी आप ताईद करें और जो नामुनासिब हो उसकी कटु आलोचना करें तो दिल को चोट नहीं पहुंचती है। अगर हम कोई काम करें और दिल में आप उसे ठीक मानते जायं लेकिन सदन में उसकी कटु आलोचना करें तो दिल को बड़ा आघात पहुंचता है।

हमारे दोस्त कुंवर सुरेश सिंह जब हुये तो उन्होंने यह कह दिया कि यह बिल तो बना है मिल मालिकों ने इलेक्शन में चन्दा दिया था लिहाजा उनके साथ ईमानदारी से यह बिल बर्ता नहीं जायगा। मैं क्या बताऊं जितने लोग उधर बैठे हैं बड़े धन्ना सेठ हैं, उन्होंने एलेक्शन में कोई चन्दा नहीं लिया। किसने नहीं लिया क्या कोई साफ तौर से कह सकता है कि हमने चन्दा नहीं लिया ? लिहाजा पुरानी बातों को उखाड़ने से क्या फायदा है। जमींदारों से गवर्नमेंट ने बड़ा काम लिया लेकिन जहां मुनासिब हुआ वहां उनके खिलाफ भी काम किया, उनकी जमींदारी खत्म कर दी गयी। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि जो बात उचित होगी उसको करने में यह सरकार कोताही नहीं करेगी। जो शख्स खुद शीशे के मकान में रहता हो वह दसरे पर ढ़ीला

[श्री हुकुम सिंह]

मत फेंके लिहाजा इन सब बातों को जाने दीजिये। यह देखिये कि आखिर इस बिल में कुछ तत्व है या नहीं है। बड़ी शिकायत हुई कि इतना रुपया बाकी है। है बाकी, हमें अफसोस है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न का जवाब देते हुऐ बतलाया और कई बार इस सदन में इसके बारे में इजहार ख्याल किया गया। पारसाल सन् १९५१-५२ में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी थी कि शक्कर की बिक्री में दिक्कतें पड़ीं, गुड़ सस्ता हो गया, जिन लोगों ने गन्ना बोया था उसको मिलों में देने लगे, तो खंडसारी और गुड़ का बनना वह बन्द हो गया। १६ करोड़ मन गन्ना पेरने का बांड था लेकिन मिलों से २४ करोड़ मन गन्ना पेरवाया गया। जो ८ करोड़ मन गन्ना फाजिल पेरा गया उसके लिये हम उनको किसी कायदे से मजबूर नहीं कर सकते थे। अगर वे उसको न पेरते तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन सरकार ने यह देखा कि गरीब किसानों की फसल अगर पेरने से रह गयी तो करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। यह बात देख कर के किसी तरह से मिल मालिकों को हमने रजामन्द किया और जुलाई तक हमने गन्ना पेरवाया। नतीजा यह हुआ कि सब का गन्ना पेर गया, किसी को अपना गन्ना जलाना नहीं पड़ा और किसी का गन्ना बाकी भी नहीं रह गया। हर सीजन में हर मिल मालिक अपना इन्तजाम करता है। उनका कुछ तख्मीना होता है कि इतना गन्ना हम पेरेंगे, उसके लिये हमें इतनी सामग्री की जरूरत पड़ती है, यह सब इन्तजाम करना पड़ता है। अगर उससे दूना या ड्योढा काम करना पड़े तो जिस सामग्री का उन्होंने इन्तजाम किया है वह काफ़ी नहीं होती, उसके लिये भी पैसे की जरूरत होती है, जो एडीशनल गन्ना वे पेरेंगे उसके लिये भी रुपयों की जरूरत होती है। इसलिये जब कानूनन हम उनको बाध्य नहीं कर सकते थे, तो उनके साथ रियाअत करना जरूरी था नहीं तो जनता का नुकसान होता। हमारे भाई गेंदा सिंह कहते हैं कि वे केन ग्रोअर हैं और गन्ना पैदा करने वालों के रेप्रिजेंटेटिव हैं। वे समझते हैं कि मैं केन ग्रोअर नहीं हूं। मैं भी केन ग्रोअर हूं, मेरे यहां भी खूब गन्ना पैदा होता है।

श्री गेंदा सिंह---आपका जलाया नहीं गया होगा।

श्री हुकुम सिंह---मैं जलाता किसी को नहीं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं भी केन ग्रोअर हूं और केन ग्रोइंग में मुझे भी दिलचस्पी है और मैं भी उनका नुमाइन्दा हूं। माननीय गेंदा सिंह सिर्फ देवरिया का दखल रखते हैं और मेरा दखल सारे सूबे में है और मैं सारे सूबे को फायदा पहुंचाना चाहता हूं .....।

एक सदस्य---यह कौन कहता है।

श्री हुकुम सिंह---आप को जो कुछ कहना था कह चुके, अब आप सुनिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में उनका गन्ना बढ़ गया और आप फरमाते हैं कि रुपया क्यों नहीं दिया गया। मैं एक मिसाल छोटी सी बताता हूं कि अगर किसी शख्श को एक लड़की की शादी करनी होती है तो दहेज और बरात के खाने पीने का इन्तजाम करना पड़ता है। अगर उसी तारीख़ को दो लड़कियों की शादी करनी पड़े तो उतने इन्तजाम में नही हो सकेगा और उसके लिये अलग से इन्तजाम करना पड़ेगा। यह दिक्क़तें थीं, यह परेशानियां थीं और इन परेशानियों का मुकाबला करते हुऐ भी कितनी सहूलियतें दी गईं। ९ करोड़ रुपया बाक़ी रह गया था और अब सिर्फ लाखों में रह गया है, बाक़ी की अदायगी हो चुकी है। कहते हैं कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कराते, उनको जेल क्यों नहीं कराते, हमें तो आखिर दोनों पहलुओं को देखना है। मेरे दोस्तों को मालूम होगा, पहले जब कि मिलें नहीं थीं तब हमारे देहातों में केन ग्रोवर के जो मकानात थे वह पक्के नहीं बने थे। मैं तो अपने जिले की कहता हूं कि जिस इलाके में शुगर मिलें हैं बहुत पक्के मकानात बनाये हैं और इस तरह से उनके रहन-सहन का तरीका अच्छा हो गया है। अगर यह मिलें तोड़ दी जायं तो क्या हसर होगा। हमको तो यह करना है कि केन ग्रोवर्स की तरक्की होती रहे और मिलें

भी क़ायम रहें। मिलों से पैसा भी मिल जाय और सबको जल्दी से जल्दी मिल जाय, इसका भी इंतजाम हमने इसमें कर दिया है।

श्री बलवन्त सिंह जी ने फरमाया था कि ७ १/२ फीसदी सूद बहुत कम है। वह अधिक चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मिल मालिकान इतना सूद देने पर तैयार नहीं होंगे। उनको ज्यादा हिसाब किताब आता है। उनको बैंक से ५ फीसदी पर रुपया मिल जायगा। इस लिये वह आपका रुपया फौरन् अदा करने की कोशिश करेंगे। मैंने उसमें यह भी रखा है कि अगर कोई आदमी सूद नहीं चाहता है और वह चाहता है कि उसका सारा पैसा मिल जाय तो उसका भी इंतजाम इसमें हो सकता है। मैंने इंतजाम किया है कि जो एफोर्ड कर सकता है वह सूद पा सकता है और जो एफोर्ड नहीं कर सकता है वह रुपया पा सकता है। कलेक्टर के यहां सर्टिफिकेट जायगा और वह बतौर मालगुजारी के वसूल करेगा।

अंडर वेमेंट की भी शिकायत है। मैं इंकार नहीं करता हूं कि मेरे दोस्तों की जो इत्तला है वह ग़लत है उसका भी प्रबध इसमें है। अगर इसमें प्रबंध न हो तो तब शिकायत की बात है वरना नहीं। मैं माननीय गेंदा सिंह को यकीन दिलाता हूं जैसा कि कल उन्होंने फरमाया था कि देवरिया में कुछ मेरे दुलरुआ हैं, मेरा वहां पर कोई दुलरुआ नहीं है। अगर मेरा कोई दुलरुआ वहां है तो वह माननीय गेंदा सिंह हैं। पार्किंग के बारे में भी रूल्स में इंतजाम होगा। अभी पूरी शक्ल इस विधेयक की दखी नहीं गयी है। बिना देखे हुए सारे इलजामात आयद कर देना मुनासिब नहीं मालूम होता है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त तिवारी काग़ज पर कहीं से कुछ लिख लाये और कहा कि गल्ले का एक्रेज भी कम होता जारहा है, ईल्ड भी कम होती जा रही है और रिकवरी भी कम होती जा रही है। कलम उनके, काग़ज उनके पास है जो चाहें कहें और लिख सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एकरेज हमेशा बढ़ा है और जहां इटेंसिव कल्टीवेशन हुआ है वहां यील्ड भी बढी है। रिकवरी में भी विशेष अन्तर नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--किताब देख लीजिये।

श्री हुकुम सिंह--जी मैंने देख लिया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई इलेक्शन मीटिंग नहीं है। यहां तो यह गम्भीर सदस्यों और नुमायन्दों की जमाअत है जिसके सामने हमेशा जिम्मेदारी है के साथ कोई बात कहना चाहिये। हां, इसके बाद मैदान खाली है जो चाहे वह कहे क्योंकि यह प्रजातंत्र राज्य है। हमारी पार्टी में जितनी आजादी है यह किसी और पार्टी के जमाने में नहीं हो सकती है। लेकिन कम से कम इस आजादी को यहां नहीं बरतना चाहिये। यहां तो जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहना चाहिये।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन सब बातों के होते हुए यह कहना कि यह बिल नाकिस है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के माननीय नेता की तजवीज को मान लिया है और सिलेक्ट कमेटी में यह विधेयक जा रहा है। लिहाजा वहां भी हमारी और आपकी बातें होंगी और जो मुनासिब तजवीज होंगी उनको हम मानेंगे। मुनासिब बात होगी तो यहां भी मानूंगा और वहां भी मानूंगा और नामुनासिब बात को कहीं भी नहीं माना जा सकता। वहां हमारी बातें होंगी और इस विधेयक को सुधारेंगे और सोमवार को फिर इस विधेयक को सदन के सामने उपस्थित करने की जुरअत करूंगा और आशा है कि उस समय बहुत कम वादविवाद बाक़ी रह जायगा और आसानी से यह विधेयक पास हो जायगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल की ओर से कोई भी सिलेक्ट कमेटी में नहीं जायगा जब कि उद्योग मंत्री जी का यह भाषण है कि उनके ५ खून माफ हैं। व्हाट डज ही मीन बाई दिस ? इसके

[श्री राज नारायण]

क्या माने होते हैं। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उस कमेटी में बैठेंगे तब तो हमारे यहां के लोग जायंगे वरना हमारे यहां से कोई जाने को तैयार नहीं है और हमारे यहां से कोई नहीं जायगा।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सप्लनेशन देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि मैं उस सिलेक्ट कमेटी में गया था और मैंने कोई सुझाव नहीं दिया, ग़लत है। जिस दिन मैं गया था उसी दिन जेल खाने वाली बात और सूद वाली बात तय हुई थी। यह बिल्कुल उन्होंने ग़लत कहा। मैं समझता हूं कि वह सुधार कर लें।

श्री शिव नारायण---प्वाइंट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि प्वाइंट आफ़ आर्डर रेज़ करने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही।

श्री गोविंद वल्लभ पंत---मेरी समझ में जो श्री राज नारायण जी ने कहा उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी मुक़र्रर की गई उसको कम उपयोगी बनाना हाउस के लिये ठीक नहीं है इसमें सभी को अपना सहयोग दे कर इसको सफल बनाना चाहिये और इस बिल का सुधार करना चाहिये यहां जो बातें सदन में कही जाती हैं तो उसके मुताल्लिक़ तो यह है कि सदस्य अपनी-अपनी बातें कहते हैं, उनका उत्तर देते हैं और उत्तर का भी प्रत्युत्तर होता है। इसमें अगर कोई कारगुजारी में अन्तर आ जाय तब तो बहस मुबाहिसे की गुंजायश नहीं रहती है और बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सी बातें राजनारायण जी ने भी कही होंगी। फिर वह कहें कि हम उसके पास नहीं बैठते तब तो यह हो जायगा कि हमारे ख़िलाफ वह आवाज न उठायें और उनके खिलाफ आवाज न उठायें और हम न बोलें तब तो उनके अपोजीशन के माने ही नहीं रहते हैं। कोई अलग अलग मतभेद प्रगट करना ही नहीं रहता है। यहां तो हम सब लोगों को मिल जुल कर काम करना चाहिये। बाज वक्त ऐसा भी हो सकता है कि हम काम कर रहे हैं फिर भी हमारी नियत पर हमला होता है तो उसका बुरा लग सकता अच्छी तबियत से है मगर इससे कोई अन्तर उस काम में तो नहीं आता। इसलिये उनको और सब को ऐसा समझना चाहिये।

मैं नारायण दत्त जी से यह कहना चाहता हूं कि जो फ़िगर्स उन्होंने दिये हैं उनके ख़िलाफ़ मेरे पास जो फ़िगर्स दफ्तर से आये हैं वे उनकी बात की ताईद नहीं करते हैं और कई और वजूहात होते हैं जिनको कि उन्हें देखना चाहिये जब इस क़िस्म की बातों के बारे में कोई भाषण देते हैं कि पहले कितनी फ़ैक्टरी थीं, कितने दिन काम होता था, सैक्रीज कांटेट कितने दिनों के काम में कितना होता है। अगर फ़ैक्टरी मई जून तक चलेगी तो जरूर कम हो जायगा। अगर सिर्फ जनवरी से मार्च तक चलेगी तो और तरह का होगा। मगर मैं उसकी तफ़सील इस वक्त करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शायद उनको यह मंजूर करना पड़े कि जो बात उन्होंने कही वह बहुत ठीक नहीं थी और उसमें संशोधन हो सकता है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस संबंध में हमको यह निवेदन करना है कि सेलेक्ट कमेटी बनाने का जो मसविदा हमने पेश किया था मुख्य मंत्री जी की खिदमत में वह यह समझ कर पेश किया था कि हम लोग शान्ति के साथ बैठेंगे और जितनी बातें आयेंगी उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। श्रीमन्, आप भी जानते हैं कि पारसाल इस तरह की बातें हुई थीं जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि मैं एक कमेटी बनाउंगा जिसमें विरोधी दल के लोग भी रहेंगे और उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए विधेयक प्रस्तुत हुआ। उसमें विरोधी दल की ओर से जितनी बातें कही गयीं उनको भी सुना और सरकारी पक्ष के लोगों की बातों को भी सुना। हमने जब कि श्री रऊफ़ जाफ़री साहब को सुना तो सुनने के बाद यह समझे कि यह विधेयक समिति में चला जाय तो अच्छा होगा। उनकी इच्छा यह थी कि सब

लोग मिल कर इसमें कोई ऐसी बात पैदा करें जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों का भला हो सके । मगर जब हमने उद्योग मंत्री जी को सुना जिसको कहने की आवश्यकता नहीं, हमसें उनसे बातें हुई थीं, तो मैंने कहा कि आज की मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारी दूसरी जगह मीटिंग है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो गेंदा सिंह जी आयें। गेंदा सिंह जी ने वहां पर क्या बातें कहीं उन्हीं बातों पर आज वह स्थित है मगर माननीय उद्योग मंत्री उनको विकृत तरीक़े से रखते हैं। तो हम यहां केवल वादविवाद के लिये तो है नहीं। गेंदा सिंह जी भी मुंह रखते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उद्योग मंत्री वहां क्या बातें करते हैं और यहां क्या करते हैं। मगर मैं उसमें नहीं जाता हूं। ये सब बातें सदन में न हों और ठीक तरह से सारी बातें हो जांय इसलिये हमने सेलेक्ट कमेटी का सुझाव रखा और मुख्य मंत्री जी ने उदारता के साथ उसको माना । मगर जब उद्योग मंत्री जी बोले तो कुछ ऐसी बातें कह दीं जो कि अनावश्यक थीं, बिल के बारे में कुछ हमको बताते, समझाते, तो एक बात भी थी। इसलिये मुख्य मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में हमारा जाना व्यर्थ हो जायगा अगर वहां पर अच्छे वातावरण को पैदा करके विचार विनिमय नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी के ऊपर है। हम लोगों ने तो जाने के लिये ही सेलेक्ट कमेटी की तजवीज पेश की थी। यह जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी के ऊपर है ऐसे लोगों को रख कर सेलेक्ट कमेटी का संगठन करें जिससे कि हम लोग जांय तो हमारी बातें सुनी जांय और अच्छे वातावरण में विचारों का आदान-प्रदान हो जिससे लाभ हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री के भाषण के अनन्तर अब यह प्रस्ताव जो पहले आ चुका था वह अब स्वीकृत हुआ ऐसा माना जाय और मैं समझता हूं यह ठीक होगा। इसके अतिरिक्त मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न के प्रवर समिति में जाने से सबको संतोष हो जायगा।

(इस समय १ बज कर २५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राज्य में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष—जैसा कि माननीय सदन को यह मालूम है कि यह तय हुआ था कि आज के रोज सवा दो बजे से जो हमारे यहां बाढ़ सूबे में आयी हुई है, उसके संबंध में कुछ विचार किया जायगा । तो उसके लिये तरीक़ा यह रहेगा कि माननीय मंत्री जी इसका प्रस्ताव पेश करेंगे कि सदन इस प्रश्न पर विचार करे। इसके बाद जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जायगा तो माननीय मंत्री जी जिनका कि इस विभाग से संबंध है वे सदन को बतलायेंगे कि क्या परिस्थिति अपने प्रान्त में है, और भी कोई चीज वे बतलाना चाहें कि वे इसके लिये क्या कर रहे हैं तो यह भी बतला देंगे। इसके बाद सदन उस पर अपने विचार प्रकट करेगा, यानी टीका टिप्पणी जो कुछ होगी या सुझाव होंगे देगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन जो कि अभी हमारे प्रदेश में बाढ़ आयी थी उसके संबंध में विचार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन हमारे प्रान्त की बाढ़ की परिस्थिति पर विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं समय भी बतला देता हूं। २५ मिनट तो मैं माननीय मंत्रीजी को दूंगा क्योंकि पौने तीन घंटे हैं इसके लिये। इसके अलावा विरोधी दल के नेता को २० मिनट मिलेगा और बाक़ी सदस्यों में से अगर मेरे पास दो एक नाम इधर उधर की पार्टियों ने

[श्री अध्यक्ष]

विशेष इच्छा प्रकट होकर आये तो उनके लिये १५ मिनट दे दूंगा और अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट से अधिक समय नहीं होगा।

श्री चरण सिंह——मैं समझता हूं कि २५ मिनट का समय मेरे लिये दोनों बार बोलने का है।

श्री अध्यक्ष——जी नहीं, २५ मिनट पहली बार के लिये है, इसके बाद आखिर में कुछ और समय आप को मिल जायगा।

श्री चरण सिंह——मैं चाहता हूं कि शुरू में कम समय लूं और बाद में अधिक समय लूं।

श्री अध्यक्ष——वक्त तो आप को २५ मिनट दे ही दिया जायगा।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिलकु यह समझ रहा था कि माननीय गेंदा सिंह ने जो अभी तीन चार रोज हुए, यह कामरोको प्रस्ताव पेश किया था तो इस सिलसिले में हमने यह तय किया था कि एक रोज़ दो ढाई घंटे तक इस सिलसिले में बहस हो। तो शायद वे ही कोई और सज्जन इस परिस्थिति पर पहले अपने विचार प्रकट करेंगे परन्तु आपने मुझको मौक़ा दिया है तो मैं बहुत संक्षेप में, जिसको बाढ़ की परिस्थिति कहा जाता है उस सिलसिले में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

बाढ़ आमतौर पर हमारे सूबे में अगस्त के महीने में आती है लेकिन इस वर्ष जुलाई के महीने में आयी। और दूसरी विशेषता अब की यह रही कि बहुधा बाढ़ एक दम आती है बिना किसी पूर्व सूचना के, लेकिन अब की बार हफ्तों की सूचना प्रकृति ने इस बाढ़ के आने की दी। अर्थात् जुलाई के पहले हफ्ते से एक प्रकार से निरन्तर थोड़ी थोड़ी प्रायः रोजाना ही बारिश होती रही तो इसलिये एक दम जो बारिश आया करती थी और उसके लिये गांव वाले या शहर वाले तैयार नहीं रहते थे ऐसी स्थिति अब की बार नहीं रही। लोगों ने देखा कि रोजाना बारिश हो रही है और उसका नतीजा यही होगा कि आज नहीं तो कल बाढ़ जायगी। इसलिये लोग उसके लिये पहले से तैयार थे। लेकिन बाढ़ के सिलसिले में एक आम ख्याल है कि जब बाढ़ आ जाती है तभी गवर्नमेंट अपने अफसरों को खटखटाती है और तभी कोई तैयारियां करती है जिस तरह से गवर्नमेंट और साधारण परिस्थितियों में किया करती है। लेकिन बाढ़ के सिलसिले में ऐसा ख्याल करना आधार रहित होगा क्योंकि सन् ४८ में जब पिछला मंत्रीमंडल था उसने एक कमेटी मुक़र्रर की थी और बाढ़ के कारणों पर विचार करने के लिये और बाढ़ के कारणों से जो क्षति और जो कष्ट लोगों को होता है उसका निवारण करने के लिये और तत्संबंधित दूसरे प्रश्नों पर विचार करने के लिये। उस कमेटी की दो तीन सब-कमेटियां बनीं और उसमें से दो सब-कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सन् ४९ में पेश कर दी और तीसरी ने गालिबन कुछ रोज बाद ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन किन कारणों से बाढ़ आती है और कैसे उन कारणों को दूर किया जा सकता है उसकी रिपोर्ट अब से पहले नहीं आई। फ्लड रिलीफ सब-कमेटी की रिपोर्ट कैसे लोगों की तकलीफ को बाढ़ के कष्ट से निवारण किया जाय उसकी सब से पहले रिपोर्ट आ गयी थी और उस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट ने सन् ४९ में ही आवश्यक आदेश जारी कर दिये थे। मोटी-मोटी बातें उन आदेशों में बतला दी गयी थीं और तमाम जिलाधीशों को यह कहा गया था कि अपने यहां की स्थानीय परिस्थिति को देख कर जो खाका गवर्नमेंट से स्कीम का गया है उसमें जिस तरह से चाहे वह रंग भर लें, रद्दोबदल कर लें। तो ४९-५० से बराबर हर साल जून के महीने में जिन जिलों में आमतौर पर बाढ़ आती है, ऐसे जिले हमारे प्रदेश में १३ हैं, उन जिलों के जिलाधीशों को जून के महीने में हर साल याददिहानी करा दी जाती है कि बारिश शुरू होने वाली है उनको जो स्कीम

भेज दी गयी थी उस स्कीम के मातहत अभी से तैयारी कर लेना चाहिये। लिहाजा इस साल भी २० जून को इस तरह के आदेश भेज दिये गये थे। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से सदन को यह बतला रहा था कि यह बात नहीं है कि हमारे आफिसर्स इस मामले में अनअवेयर्स रह जाते हैं। बल्कि वह इसके लिये तैयार रहते हैं जिसका कि मैं अन्त में तफसील के साथ साथ बतलाने की कोशिश करूंगा। हमारे जिलाधीशों ने जुलाई के शुरू में बहुत सी जगहों पर ऐसी मीटिंग्स की फ्लड रिलीफ सब कमेटी और तहसीलों की कमेटीज कीं। हो सकता है कि किसी जगह अच्छा काम यह कमेटियां न कर रही हों, यह भी मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सभी जिलों में कमेटी की मीटिंग्स हुई होंगी अगर जिलाधीशों ने यह समझा होगा कि मीटिंग करने की जरूरत नहीं है तो न की हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं मैंने देखा है कि कई जिलों में जुलाई के शुरू में उन्होंने मीटिंग की जिलाधीशों ने जितनी अहतियाती कार्यवाही हो सकती थी अर्थात् फ्लड पोस्ट्स (फ्लड पोस्ट्स उन जगहों का नाम है जो कि बाढ़ आने वाले क्षेत्र के पास ऊंची जगह हो और जहां पर सामान स्टोर किया जा सकता है, गल्ला, तेल, दियासलाई वगैर) तो इस तरह के जो फ्लड पोस्ट्स हैं उन पर सामान इकट्ठा करना और नावें वग़ैर पहले से मरम्मत करा कर रखना और जरूरत पड़े तो प्राइवेट नावों को रिक्वीजीशन करना और एस० डी० ओ०, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और रेवेन्यू स्टाफ और रेवेन्यू के मुहकमे के अलावा जो और दूसरे महकमे के राज्य कर्मचारी गण हैं उन सब को सावधान कर देना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की अहतियाती कार्यवाही सब जिलों में हर साल हो जाती है और जहां तक इस का ताल्लुक़ है इस साल भी हर जिले में हुई। अब की बार जो बाढ़ आयी है वह दो जिलों में विशेषकर जोर के साथ आई, बस्ती में सब से अधिक और दूसरे नम्बर पर गोरखपुर में अब की बाढ़ की और तीसरी विशेषता यह थी, दो की बाबत मैं शुरू में ही अर्ज कर चुका हूं कि जब कि बाढ़ आती है अगस्त के महीने में तो ख़रीफ़ की फ़सल काफी बढ़ जाती है तब आती है। तो खरीफ़ को इतना नुकसान नहीं होता लेकिन अब की बार बोआई शुरू हुई ही थी कि तब से मुसलसल, लगातार बारिश हो रही है तो ख़रीफ़ की फ़सल की जड़ें मजबूत नहीं हो पायी और पूरी बुआई नहीं हो पायी तो अब की मुझे आशंका है कि फसल का इतना नुकसान हुआ है और उतने रक़बे में अगस्त के महीने में जैसी हर बार बारिश आती है उससे नुक्सान होता है उससे ज्यादा नुक्सान हुआ है। जहां पानी थोड़ी देर रहता है तो उससे फ़सल को कम नुक्सान होता है लेकिन जहां पानी देर तक जमा रह जाता है तो फसल को ज्यादा हानि होती है। अब की बार विशेषकर बस्ती और गोरखपुर में पानी ज्यादा देर तक एक जगह खेतों में रहा और इसलिये फसलों की हानि और सालों की बनस्बित अधिक हुई। यों सन् ५० में जो बाढ़ आयी थी उसकी शिद्दत ज्यादा थी इंटेसिटी ज्यादा थी लेकिन वह थोड़ी देर तक रही। अब की बार आम तौर पर सन् ५० के मुकाबले में बाढ़ में शद्दित कम थी लेकिन ज्यादा देर तक वह कायम रही। तो इसलिये सन १९५० के मुक़ाबले में भी जिन जिलों में भी यह बाढ़ आई उनमें नुक्सान ज्यादा हुआ ऐसा मेरा अनुमान है। वैसे हमारे दो एक जिलाधीशों का ख्याल यह है कि अगर वहां बाढ़ जल्दी से उतर जाय तो उनके इलाके में शायद कुछ खरीफ की फ़सल को बोने का समय शेष है। परमात्मा करे ऐसा जल्दी हो जाय, किसान बो सकें और हमारा बोझ और दर्द कुछ हद तक कम हो जाय। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सब जिलाधीशों को जेनरल आर्डर्स हैं सामान्य आदेश जारी हो चुके हैं कि रुपये की कमी के कारण कोई शिकायत पैदा न हो या जो लोगों को शिकायतें हों उनको रफा करने में कोई देर, कोई कमी आप के पास रुपया नहीं है या गवर्नमेंट से रुपया मिलने का मौक़ा नहीं है, नहीं होना चाहिये। ऐसा हमने उनसे कह दिया है और मैं नहीं समझता कि मेरी बातों का कहां तक यक़ीन होगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो जो बातें गवर्नमेंट की तरफ से कही गयीं उनको यकीन करने में शायद कुछ कठिनाई जरूर लगती हो लेकिन वाक़या यह है कि हमने जिलाधीशों से फोन पर बराबर पूछा जो कि रुपया वह जरूरी समझें वह उनको दिया जाय बल्कि जो उन्होंने जरूरी समझा हमने उससे उनको ज्यादा दिया वह इसलिये कि अभी उनको यह ख्याल हो कि शायद गवर्नमेंट की आज कल स्थिति ऐसी है अन्य योजनाओं की वजह से कि बहुत ज्यादा रुपया खर्च न कर सके,

[श्री चरणसिंह]

तो उनको ऐसा ख्याल न रहे हमने उनको बहुत ज्यादा रुपया उनकी जरूरत से अधिक उनको दिया । जितने रुपये को वह जरूरी समझते थे उससे उनको ज्यादा दिया गया ताकि वह फौरन खर्च कर सकें।

दूसरा आदेश यह भी जारी हो चुका है कि जितने भी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं चाहे वह माल-गुजारी हो, तक़ावी हो या बीज की सवाई हो उन सब की वसूलयाबी बिला किसी मियाद के मुल्तवी कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जहां पर बाढ़ आयी है उसके पड़ोस में अगर कोई सरकारी जंगल है जैसा कि गोरखपुर वगैरह में है या एक आध लखनऊ में है तो उन जंगलों को खोलने का आदेश दिया गया है। तो हजारों जानवर उन जंगलों में आजकल चर रहे हैं जहां पर कि बाढ़ आयी है । फिर महकमे जंगलात के पूर्वी सर्किल के कंजरवेटर को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी जिलाधीश आप से सूखी घास चाहे उसको वह सूखी घास फौरन मुहय्या कर दी जाय। आपकी इजाजत से मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि यों तो हरसाल बुन्देलखंड में गवर्नमेंट की तरफ से ५ हजार टन, हो सकता है इससे ज्यादा हो क्योंकि मेरा यह सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है ५ हजार टन सूखी घास हर साल ऐसी जरूरत के लिये सुरक्षित रखी जाती है। चूंकि बाढ़ की आशंका हर साल रहती है इसलिये ५ हजार टन बुन्देलखंड के इलाके में इसी काम लिये यह घास रिजर्व रखी जाती है। आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है और ८ हजार रुपया इस पर वैसे ही वेस्ट होता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से यह भी बतलाना चाहता हूं कि आमतौर पर हमारे गांव के पशु इस जंगल की सूखी घास को खाना पसन्द नहीं करते लेकिन रखते इसलिये हैं कि जरूरत पड़ जाय तो इसको मुहय्या किया जा सके और वह जानवर मर न जायं चाहे वह उनको लजीज लगे या न लगे। फ्लड रिलीफ रिक्वीजीशन ऐक्ट यह सदन पिछली सालों में सन् ४८-४९ में पास कर चुका है और अब उसको मुस्तक़िल तरीक़े पर स्टेट्यूट बुक पर रख दिया गया है। उसके मातहत जिलाधीशों को यह अधिकार है कि जहां की आबादी नशेब में हो और गांव वाले बचाना चाहें किसी दूसरी जगह तो उनको उस ऊंची जगह पर बसाया जाय और उस जमीन को रिक्वीजीशन कर लिया जाय। इस तरह का अधिकार जिला-धीशों को है। पिछले ३,४ सालों में ऐसी कई जगहों को रिक्वीजीशन किया गया और वहां पर लोगों को बसाया गया लेकिन आमतौर पर लोग अपनी पुरानी जगह को छोड़ कर दूसरी जगह बसना पसन्द नहीं करते और अगर ज्यादा गांव वाले उस रक़बे में जा कर नहीं बसे तो यह कोई हमारी तरफ से कोताही नहीं है बल्कि किसानों का अपना रजिस्टेंस है। वह अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं इसके साथ ही उस ऐक्ट के मातहत अफसरों को यह भी अधिकार है कि वह नाव रिक्वीजीशन कर सकते हैं, बिल्डिंग मैटीरियल को रिक्वीजीशन कर सकते हैं। तो यह भी आदेश उनको जून में भेज दिया गया था कि वह इन सब बातों के लिये तैयार रहें और अब फिर दोहरा दी गयी हैं। मैं बहुत अधिक समय न ले कर एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि बाढ़ के सिलसिले में जो लोगों का ख़याल है कि बाढ़ से एक दम बड़ी भारी मुसीबत आ जाती है कि भूचाल के सिलसिले में लोगों को परेशानी होती है, ऐसी बात बाढ़ में एक दम से नहीं होती। आम तौर पर बाढ़ जहां मजरुआ रक़बा नदी के किनारे होता है वहां बाढ़ आती है जहां खेत होते हैं लेकिन जहां विलेज साइट या आबादी होती है और जहां गांव बसे होते हैं और जो आम तौर पर जरा ऊंची ही जगह पर बसे होते हैं वहां बाढ़ कम आती है। फिर जिन गाँवों में बाढ़ आ भी जाती है वहां बात के मानी यह नहीं होते कि वहां के सारे मकान ढै ही जायं या गांव में आदमी न रहे हों, यह ख़याल हमारे दिमाग़ से निकल जाना चाहिये कि कहीं बाढ़ आ गई, उसके माने यह हो गये कि वहां सफ़ाया ही एक दम हो गया। दूसरी बात यह है कि जब बाढ़ आ जाती है या जब राजकर्मचारी समझते हैं कि बाढ़ आने का अन्देशा है और उस समय जब राजकर्मचारी आग्रह करते हैं तो उनके आग्रह के बावजूद भी गांव वाले अपने मकानों को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तीसरा सबूत मैं अपनी दलील में यह देना चाहता हूं कि मसलन बस्ती जिले में क़रीब साढ़े तीन लाख एकड़ रक़बे में बाढ़ आयी ।

पानी वहां पर भर गया और खेतों में भी भर गया। तो साढ़े तीन लाख एकड़ रक़बे का मतलब यह है कि बस्ती जिले का एक चौथाई रक़बा वह हुआ जिसमें बाढ़ आई। इसका मतलब यह हुआ कि बस्ती जिले की जहां की आबादी २४ लाख की है अगर्चे बस्ती में बड़ी-बड़ी बस्तियां नहीं हैं फिर भी उस एरिया की आबादी ५ लाख के क़रीब होगी। अगर हम बाढ़ के यह माने लगा लें कि जिस गांव में बाढ़ आ गयी वहां आदमियों के रहने की गुंजायश नहीं है और वहां सब मर ही जायंगे तो उस हिसाब से तमाम ५ लाख आदमियों का एवेकुएशन होना चाहिये लेकिन वहां न ऐसा हुआ न ऐसी नौबत आई और न इसकी जरूरत थी और न इसका मतलब बरबादी है और अगर बाढ़ का मतलब बरबादी ही होता तो ५ लाख में से दो चार लाख आदमी वहां बह जाने चाहिये थे। लेकिन वहां ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाढ़ आम तौर पर, हमेशा नहीं, एक ऐसी चीज है जिसको विजिटेशन मानना चाहिये। बाढ़ हालांकि अच्छी चीज नहीं है लेकिन बाज-बाज ऐसे इलाक़े और नदियां हैं कि जहां लोग चाहते हैं कि बाढ़ आये लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा आम तौर पर बाढ़ कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती लेकिन वह इतनी बुरी चीज भी नहीं है जितना अख़बार पढ़ने वाले नतीजा निकाल लेते हैं। हमारे देहातों के लोग जहां सदियों से बसे चले आते हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस साल बाढ़ आ गयी वहां से हट गये, फिर आ गये फिर २ साल बाद बाढ़ आ गई फिर हट गये, और फिर बाद में वहीं आ कर बस गये। अब मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाना चाहता, मैं तो चाहता था कि मैं शुरू में न बोलूं और माननीय सदस्यों को ही अधिक समय बोलने के लिये मिले लेकिन मैंने यह बतलाना जरूरी समझा कि गवर्नमेंट ने इस संबंध में क्या किया है और कर सकती है। अब माननीय सदस्यों की तरफ से जो ख़यालात जाहिर किये जायंगे उन पर ग़ौर किया जायगा और जहां तक मुमकिन होगा उन पर अमल करने की भी कोशिश सरकार की ओर से रहेगी।

श्री अध्यक्ष---श्री गेंदा सिंह, अपनी पार्टी से आप ही बाढ़ का मुकाबला करेंगे। बीस मिनट आप को हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राजस्व मंत्री जी की बातों को सुन कर थोड़ी बहुत मदद मिली कि अपनी बातों को उनकी खिदमत तक पहुंचा सकूं। उनका जो यह विचार है कि बाढ़ आने से लाभ होता है तो यह मैं उन्हें इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। लेकिन कुछ सीमा तक।

श्री चरण सिंह---आप की इजाजत से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं। गेंदा सिंह जी मुझे माफ़ करेंगे कि सब के सामने बात खोल रहा हूं। मुझे देवरिया में एक जगह मालूम हुआ कि वहां बाढ़ आने से जितने चूहे थे सब मर गये। इस बात की शिकायत तो मैंने देवरिया में जरूर सुनी।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, हम को चूहे मारने के लिये ऐसे बिलारों की जरूरत नहीं है कि चूहे मारे। अगर बाढ़ से ही चूहे मर जायं तो कोई हानि नहीं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक सीमा है। मैं उनसे पहले एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। जब उन्होंने यह बात कही कि गोरखपुर बस्ती तक तो बाढ़ से नुक़सान हुआ लेकिन उसके बाद उस बाढ़ से नुक़सान नहीं हुआ या कम हुआ मुझे आश्चर्य हुआ। मैं एक बात सदन के सामने आप की आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी नदियों से बस्ती और गोरखपुर में बाढ़ आती है सौभाग्य से सभी नदियां आजमगढ़ और देवरिया होती हुई गुजरती हैं और उसी ओर को उनकी धारा है। यह बात मेरी समझ में न आयी कि बस्ती और गोरखपुर तक तो उन नदियों में बाढ़ आयी लेकिन उसके आगे नहीं आयी। इन बड़ी नदियों की ट्रिब्युटरी भी बदलती जाती है राप्ती और घाघरा और बस्ती में कुंवानी, ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं उनकी ट्रिब्युटरी भी बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा उस तरफ की जमीन भी कुछ नीची है क्योंकि नदियां उसी तरफ जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिउत्तर में कुछ नहीं कहना चाहता

[श्री गेंदासिंह]

हूं। मुमकिन है कि उनके स्मरण में यह बात न आयी हो, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य की बात नहीं है, नदियां बहना सौभाग्य ही है। इन नदियों से जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने बताया १३ जिलों में बाढ़ आती है। ये सारी नदियां अपने प्रदेश से निकलती हैं और बड़े दूर-दूर के फासले पर निकलती हैं और इन तेरह जिलों में सभी नदियां एकत्रित हो जाती हैं और उनका फासला बहुत कम रह जाता है। उनकी ट्रिव्यूटरी बहुत तेजी के साथ जा कर यहां मिलती हैं। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद की यमुना और गंगा बड़ी गंडक, राप्ती, कुंवानी, गोमती सारी नदियां जा कर बनारस के इस तरफ के जिलों में सब इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां पर यह मुसीबतें लायेंगी ही। हमारे लिये वे ऐसी चीज भी ले आ सकती हैं जिससे जीने का साधन हो लेकिन उसका ठीक उपयोग न कर पाने के कारण हमारे लिये मुसीबत ले आती हैं।

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--आप कोई वाक़या बयान कर रहे हैं या फार्मूला साबित कर रहे हैं?

श्री गेदा सिंह---मौर्य जी हम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उन्हें क्या समझायें। जो वह समझें वही मैं कह रहा हूं। मैं जो तथ्य है वही कह रहा हूं। अगर हर माननीय सदस्य के सामने सूबे का नक्शा हो तो मेरी बात ग़लत साबित नहीं होगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं भी श्री गेंदा सिंह जी की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि गोमती में यहां तो बाढ़ आई बड़ा शोर हुआ लेकिन आगे जाकर जौनपुर में जब पहुंचती है तो वहां बाढ़ नहीं आई।

श्री गेंदा सिंह---यह ठीक है कि जौनपुर में बाढ़ नहीं आई है, लेकिन लखनऊ में तो आ गयी उससे तो आप इन्कार नहीं कर सकते हैं और क्या इससे इन्कार करते हैं कि बड़ी गंडक और सरयू जो नदियां हैं उन में बाढ़ आई है और आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया में उससे कितना नुक्सान हुआ है?

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कहूंगा कि वह साफ क्यों नहीं कहते कि फलां जगह बाढ़ आई इसीलिये बहस हो रही है। आप साफ साफ कह दें कहां-कहां बाढ़ आई है?

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं तो जल्दी में अपनी बात कहना चाहता था लेकिन मैंने देखा कि राजस्व मंत्री जी और उनके सभा सचिव ने मेरे दो तीन मिनट इसमें खराब कर दिये और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसका खयाल करें।

तो मैं यह कह रहा हूं कि बाढ़ है और १३ जिलों की चर्चा माननीय राजस्व मंत्री ने की। मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमेशा का एक झगड़ा रहा करता है कि बाढ़ आई, सूखा पड़ा। हम कहते हैं कि ऐसी बात हुई और उस तरफ से ऐसी बात होती है कि नहीं--नहीं। इस समय उचित समय है और इस वक्त इसकी ठीक-ठीक जानकारी हो सकती है। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि उस रोज माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि तुम जब बाढ़ पर बहस करने के लिये आना तो उस दिन गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी करने के ख्याल से मत आना और मैं तो नुक्ताचीनी एक रत्ती भर भी नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी तकलीफ कहना चाहता हूं और उस तकलीफ पर गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि जो पहला ढंग रहा है उस को छोड़ कर एक ऐसे ढंग से चला जाय जिस से वाकई लोगों को मदद हो सके और मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमाने में बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस, सीतापुर का कुछ हिस्सा बहराइच का कुछ हिस्सा, फैजाबाद का कुछ हिस्सा इनमें नुक्सान हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि

में सारे सूबे की जानकारी रखता हूं लेकिन मैं जितनी जानकारी रखता हूं मैं समझता हूं कि इसमें इस वक्त ३० लाख आदमी मुसीबतजदा हैं और इन ३० लाख आदमियों की हमें मदद करना है। यह मदद कोई आसानी से नहीं हो सकती। जो कुछ सरकार ने किया है इसमें कभी-कभी हमको भी जाकर देखने का मौका मिलता है। सरकारी इमदाद का नमूना हमने देखा है कि जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी जलन पर नमक छिड़कने मत आया करो। कहा यह जाता है कि हमने कलक्टरों को खुला हाथ मदद देने को कह दिया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में खुले हाथ मदद करो फिर भी न मालूम क्यों कलक्टर लोग इतनी कंजूसी से काम कर रहे हैं कि वाकई लोग मुसीबत में हैं और उनके लिये कर्जा और सहायता नहीं है। वास्तव में होता यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मालगुजारी माफी के सिलसिले में जो काम होता है उसका बोझा एक पहाड़ सा लगता है। वह समझते हैं कि अगर उन्होंने वहां नुक्सान मान लिया तो खर्चा बनाना पड़ेगा और फिर उसको तकसीम करना पड़ेगा जो बड़ी मेहनत का काम होगा वह इस डर से यह कोशिश करते हैं कि बाढ़ और नेचुरल कैलेमिटी को हम मानें ही नहीं और यह ऐसी ही रिपोर्ट मैं समझता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी के पास पहुंचती है।

देवरिया के बारे में मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर, उन्हीं के दल के लोग बैठे हुये हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वह भी मेरी बात की पुष्टि करेंगे। देवरिया की तस्वीर अगर आप अपने सामने रखेंगे, गोरखपुर की तस्वीर रखेंगे और और जिलों को भी रखेंगे तो उससे मालूम होगा कि उस बाढ़ से कितनी क्षति हुई है। गांव-गांव में जो आज लोग मचान के ऊपर रह रहे हैं किस तरह से लोगों का गुजारा हो रहा है बतलाना कठिन है।

यह बात कहना कि लोग बाढ़ में रहना पसन्द करते हैं, यह बिलकुल गलत है। यह तो मजबूरी है कि वह बाढ़ में भी वहीं पड़े रहते हैं। बाढ़ में न रहें तो जायं कहां? वहां कम से कम अपने छप्पर का पहरा तो दे देते हैं और भूखों मर कर भी देते हैं लेकिन जब बाढ़ से बाहर निकलते हैं तो यह भरोसा नहीं है कि खाना मिल जायेगा। मजदूरी भी लग जायगी। मजदूरी का तरीका जो माननीय राजस्व मंत्री ने रखा है उसकी नुक्ताचीनी किये बगैर मैं नहीं रह सकता। उन्होंने पिछले साल १० आना, ८ आना मजदूरी दी थी और मजदूर काफी मिल गये थे। इस साल पूर्वी जिलों में अबकी वर्ष यह इन्तजाम कर दिया है कि ६ आना, ५ आना, ४ आना पर मजदूर रखेंगे और ६ आने, ५ आने और ४ आने में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने में भूख की ज्वाला शांति नहीं होती, और जब शांति नहीं होती तो वह घर छोड़ कर जाना भी नहीं चाहता। हर आदमी बाहर जाना चाहता है लेकिन उसके लिये खाने का इन्तजाम भी तो हो, रहने का इन्तजाम हो, तो वह जाय मगर वह रहे कहां, खाय क्या। अब अगर हजारों लाखों आदमी निकल कर जायं तो उन्हें कहां ठिकाना रहता है। गोरखपुर में कछार के लोग जहां से बाबू रामजी सहाय आये हैं, वह आपको बतायेंगे कि लोग अपने मवेशी लेकर देवरिया में आकर इकट्ठा हैं, उनके लिये रहने का, बैठने का इन्तजाम नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। तो जब ठिकाना नहीं है तो वह पानी में ही रहते हैं अगर रहने का बन्दोबस्त कर दिया जाय तो वह आ सकते हैं उस जगह को छोड़ कर और जब कभी भी बाढ़ आती है, उस वक्त सोचते हैं वह कि चला जाय और आज भी मैं कहता हूं कि वह जाने को तैयार हैं अध्यक्ष महोदय, कि उनके लिये ऐसा एक घर भी होना चाहिये जहां वह बाढ़ में रह सकें। अव्वल तो उनके पास ऊंची जमीन नहीं है जहां पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह लोग साल भर खेती करके अपनी गुजर कर सकें। तो जो लोग जमीन पर खेती करके अपनी गुजर करते हैं उनका एक मकान तो वहां रहे लेकिन बरसात के दिनों में अगर उनके ऊंची जमीन पर बसा देने का इन्तजाम कर दिया जाय तो उनको कुछ मुश्किल कम हो जायगी, कम से कम नाव से ले जाने की मुसीबत से तो बच ही सकते हैं। और इस तरह की कठिनाइयों से कुछ बचत हो जायगी। हमारे यहां देवरिया में मदनपुर एक गांव है। उस गांव के सभापति जी बाढ़ आने पर डूबकर मर गये। इस तरह की रिपोर्ट हमारे पास और आई हैं। मैं उनको माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करूंगा। तो कई जग

[श्री गेंदा सिंह]

मौतें हुई और होती हैं, पशुओं की मौतें होती हैं लेकिन मजबूरी है कि वह दूसरी जगह जा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैं यह सोचता हूं कि जो मुसीबत है वह तो और सभी लोग बयान करेंगे और उसका बयान करके मैं अगर वक्त उसमें लगाना नहीं चाहता बल्कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं यह कि यह बाढ़ कोई हमारी ना जानकारी में नहीं आयी, वह तो यह फरमाते हैं कि बाढ़ आयी और हमारी जानकारी में बाढ़ आयी, यह हम जानते हैं कि यह दैवी प्रकोप है और इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, हम भी अगर वहां उनकी जगह पर बैठें तो हम भी इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते।

श्री चरण सिंह—नहीं नहीं, आप कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—नहीं, मैं तो यह दावा नहीं करता। परन्तु सोचा जाय और सोच करके ऐसा उपाय किया जाय कि इन सुविधाओं से भी बच सकें और बाढ़ से लाभ भी उठाया जाय। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव यह है कि एक छोटी सी कमेटी बनाई जाय। उसमें कुछ ऐसे लोग रहें जो कि बाढ़ के संबंध में पूरी जानकारी रखते हों, इसकी जानकारी रखते हों कि बाढ़ को किस तरह से रोका जा सकता है जो कि टेकनिकल लोग हो सकते हैं, कुछ खेती करने वाले लोगों को भी रखा जाय और हम समझते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी भी रहें उस कमेटी में। जैसी की उन्होंने पहले चकबंदी की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जाकर के पंजाब में और, और जगहों में जाकर स्टेडी किया कि यह काम कैसे होता है और फिर उसने आकर जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दी जिसके बाद उस पर काम हुआ और मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री ने तो मेरे ऊपर यह चार्ज लगाया कि भीतर कुछ और कहता हूं और बाहर कुछ और कहता हूं लेकिन भीतर और बाहर यही मैं यह कहता हूं कि हमारी यह कामना है कि वह चकबंदी की योजना सफल हो। उसी तरह मैं यह समझता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बनाई जाय और सही तस्वीर हमारे सामने आ जाय। सही तस्वीर जब बाढ़ निकल जाती है तो वह सामने नहीं आ पाती। तो जैसा बिहार में हमने देखा, वहां पर इंजीनियरों ने जाकर देखा कि बाढ़ का पानी कहां तक आता है उसको नोट कर लिया और दिमाग में रख लिया। जब बाढ़ हटी तो वहां पर उन्होंने बल्ले गाड़े और जंजीरें बांधी और उस छोटे से टुकड़े को बांध कर उसके द्वारा बड़े भूभाग को टूटने से बचा लिया। अगर वह छोटी जगह टूटने से बच गई तो हजारों एकड़ जमीन बचा लिया। यह चीज हम नहीं कर पाते हैं। बदकिस्मती से बड़ी गंडक भी बड़ी फूहड़ नदी है और ऐसी नदी है कि उसकी बाढ़ से कोई फायदा नहीं होता है बल्कि नुक्सान ही नुक्सान होता है। घाघरा की भी इससे मिली जुली हालत है। गंगा की बाढ़ से तो कुछ जरूर फायदा हो जाता है लेकिन वह फायदा एक हद तक होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की एक कमेटी बनाई जाय और वह कमेटी एक दो महीने में जहां कहीं बाढ़ आती है और उससे रोकने की जो गुंजायश हो सकती है इन सारी गुजायशों को देखे और देखने के बाद फिर यह सोचे कि किस तरह से इस को रोका जा सकता है और किस तरह से बाढ़ के पानी से फायदा उठाया जा सकता है। मैं अमरीका की बात नहीं कह सकता। अगर मैं अमरीका की टेनेसी वैली की बात कहूं कि वहां किस तरह से बाढ़ को कंट्रोल किया गया तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। चीन में भी ऐसी भयानक नदियां हैं वहां पर भी बाढ़ को कंट्रोल किया गया है। मैं उसकी जरूर चर्चा करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि उसकी पूरी नकल हो सकती है। उसके लिये अरबों रुपयों चाहिये, लेकिन अगर हमारे पास अरबों रुपये नहीं हैं तो हमारे पास जनशक्ति तो है। इसके साथ साथ यह भी है कि जहां यह नदियां ज्यादा तूफान मचाती हैं वहीं पर सब से अधिक जन संख्या है। पिछले श्रमदान पक्ष में लाखों आदमियों ने हिस्सा लिया। मैं अध्यक्ष महोदय मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य में अगर सरकार अपना हाथ बटावे तो लाखों आदमी काम कर सकते हैं।

पिछले मर्तबा राप्ती नदी के बांध की चर्चा हुई थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निश्चित कहता हूं कि आज जो राप्ती ने मुसीबत पैदा कर दी है कोठा की तरफ गोरखपुर जिले में और देवरिया जिले में शायद वह इतनी मुसीबत न पैदा कर पाती अगर वहां बांध बंध गया होता। लेकिन उस वक्त किसी ने यह कह दिया कि इस बांध से नुक्सान पहुंचेगा और उस पर सरकार ने कनाअत कर ली। उसका नतीजा आज यह है कि सैकड़ों गांव उसमें डूब करके बर्बाद हो गये हैं और गवर्नमेंट को मालगुजारी में लाखों रुपये छोड़ना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट चाहे तो वहां के लोगों को उत्साहित करके यह काम कराया जा सकता है। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस बाढ़ के चले जाने के बाद वहां हैजे का कोप हो सकता है, और मलेरिया बीमारी व्यापक रूप से आ सकती है । इस समय जो बाढ़ आयी है यह बहुत पहले आ गयी है और इससे फसल बहुत बरबाद हुई है। अगर १५ अगस्त के बाद बाढ़ आयी होती तो फसल का इतना नुक्सान नहीं होता। १५ जुलाई से बाढ़ आने की वजह से बहुत व्यापक रूप से बारबादी हुई है। इसका अन्दाजा हम इस वक्त नहीं कर सकते हैं। इस बरबादी का अन्दाजा लगाने के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे सही-सही अन्दाजा कराने का प्रयत्न करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग आज वहां भूख से परेशान हैं उनसे ऐसा काम लिया जाय जिस से जनता का और देश का दोनों का लाभ हो और उनको भी जो मजदूरी दी जाय वह इतनी हो कि उससे वे अपना पेट भर सकें। उनके लिये कुछ क कार्ज भी बन्दोबस्त किया जाय। मालगुजारी की माफी की बात मैं इस वक्त क्या करूं। मालगुजारी की माफी की बात माननीय मंत्री जी स्वयं सोच रहे होंगे। इस वर्ष इतना पानी वर्षा कि नदियों में बाढ़ नहीं आयी बल्कि नदियां स्वयं डूब गयीं। वहां ४६, ४७ इंच पानी साल भर में बरसा करता था लेकिन अभी तक वहां ३५ इंच पानी बरस चुका है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो ऊंचे की जमीन थी उसकी भी फसल बरबाद हो गयी है । मकई, महुआ आदि की जितनी फसल थी सब की सब बरबाद हो गयी है। इसलिये माननीय माल मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात का प्रयत्न खास तौर से करें कि उनको इस बरबादी का सही का सही अन्दाजा मिल सके और फिर हाउस में उनको यह कहने का मौका न मिले कि केवल बस्ती और गोरखपुर में यह बात हुई। मैं बस्ती और गोरखपुर की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। बस्ती और गोरखपुर में वाकई यह मुसीबत आयी लेकिन और जिलों की भी हालत इससे कम खराब नहीं है। कोई यदि यह कहे कि मैं इससे पोलिटिकल लाभ उठाना चाहता हूं तो मैं कोई पोलिटिकल लाभ नहीं उठाना चाहता हूं वैसे तो जो खिदमत करता है वह पोलिटिकल लाभ उठा लेता है।

श्री चरणसिंह---किसी ने ऐसा आरोप तो नहीं लगाया।

श्री गेंदा सिंह---मुझे इसकी बड़ी खुशी है । दोपहर के पहले जो यहां का एटमासफीयर था उसी की ओर मैं कुछ चला गया परन्तु दुर्भाग्य से हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी यहां हैं नहीं। अन्त में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इस दृष्टि से नहीं देखेंगे कि मैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कुछ रचनात्मक सुझाव हैं और उन पर इसी तरह से विचार होना चाहिये।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने आज सदन में बाढ़ की समस्याओं पर विवाद करने का अवसर दिया। इसमें हमारे माननीय मित्र गेंदा सिंह का भी काफी हाथ है और वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज पूर्वी जिलों के लाखों आदमी इस विवाद की तरफ ध्यान लगाये हुये हैं यह जानने के लिये कि इसका क्या नतीजा निकलता है। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय मित्र गेंदा सिंह जी ने अपने लंबे भाषण में कुछ रचनात्मक सुझाव देने का प्रयत्न किया है। यह समस्या ऐसी है कि वास्तव में इसको

[श्री राधा मोहन सिंह]

हमें किसी पार्टी पालिटिक्स की निगाह से नहीं बल्कि वहां के दुखी और पीड़ित लोगों की निगाह से देखना चाहिये। इस तरह से अगर देखा जाता तो वाकई और वास्तव में यह बहुत अच्छी बात होती। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है उसके दो अंग हैं। एक तो यह है कि आज जो बाढ़ के कारण स्थिति उत्पन्न हो गयी है पूर्वी जिलों में उस पर विचार करना है और दूसरी बाढ़ की समस्या है जोकि एक व्यापक और विस्तृत समस्या है जिसपर भी हमें आज विचार करना है। जहां तक समस्या इस साल के बाढ़ की है उसमें एक नयी बात जरूर पैदा हो गयी है कि इन क्षेत्रों में अक्सर १५ अगस्त ही के बाद बाढ़ आया करती है लेकिन इस साल यह देखा गया है कि जुलाई के महीने में बाढ़ आयी। जब कि फसल कुछ आगे बढ़ जाती है तब नुकसान कम होता है कुछ न कुछ हो जाता है लेकिन अबकी बार फसल बोई भी अच्छी तरह से नहीं गयी थी और इस साल ऐसी बदकिस्मती रही की जुलाई के शुरू से ही जोरों से पानी आया और बाढ़ आ गयी तो पूरी फसल नष्ट हुई इससे बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता कि किस हालत में बाढ़ आया करती है। मैं मौर्य जी से बिलकुल सहमत हूं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि अगर ऊपर के जिले में बाढ़ आयी तो नीचे के जिलों में भी बाढ़ आ जाय। जैसे कि इस साल बस्ती और गोरखपुर जिलों में बाढ़ आयी लेकिन मेरे नीचे के जिले बलिया में वैसी बाढ़ नहीं आयी; यों तो फसल का तो नुकसान पूर्णतः हुआ है लेकिन जहां तक सवाल लोगों के डूबने का है या बचाने का है वहां हालत इस हद तक नहीं पहुंची है।

बाढ़ की कमेटी जो सन् १९४८ ई० में बनी थी मुझे भी उस कमेटी का मेम्बर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें इसके ऊपर काफी विस्तार पूर्वक विचार किया गया था कि बाढ़ के क्या कारण होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि शुरू-शुरू के जो प्रिलिमिनरी कदम उठाये जाते हैं वह इसलिये होते हैं कि हम अचानक बाढ़ आने से ऐसे बेखबर न रहे कि वह बहा ले जाय लेकिन फिर भी कभी-कभी भयंकर ढंग से बाढ़ आ जाती है और खबरदार रहने पर भी तबाही आ ही जाती है जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा वह सही है उस वक्त वहां जो आपत्तियां और तकलीफें होती हैं उनका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है जबतक कि वह व्यक्ति खुद उस क्षेत्र का रहने वाला न हो वह ठीक २ अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं इस बात को जानता हूं कि जो वहां के रहने वाले हैं वह बहुत कुछ उसके आदी हो गये हैं लेकिन फिर भी आदी होने के बाद भी वहां की मुसीबतें सीमा पार कर जाती हैं। अगर उन क्षेत्रों में किसी बाहर के आदमी को जाना पड़ता है तो वह महसूस करता है कि हां कितनी मुसीबत में वह लोग जिन्दगी बसर करते हैं।

बाढ़ के वक्त जो दिक्कत होती है वह तो होती है। लेकिन बाढ़ के खत्म हो जाने के बाद जो समस्याएं हैं वह भी काफी कठिन व भयंकर होती हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि वहां पर बीमारी फैलती है और साथ ही वहां पर बाढ़ के कारण जो कुछ घास होती है वह खत्म हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है और फसल भी नष्ट हो जाने से जानवरों के चारे की एक बड़ी भारी समस्या हो जाती है और तमाम घास जल गई है और महीने तक वहां के मवेशियों को चारा नहीं मिलेगा। इसलिये अगर बाहर के जिलों से या पश्चिमी जिलों से फाडर पहुंचाया जा सके तो बड़ा अच्छा हो। इसके साथ ही रेलवे लाइन के किनारे किनारे बहुत काफी घास रहती है। पिछले साल वहां रेलवे अथोरिटीज से स्वीकृत लेकर चरने की इजाजत दी जाती थी। इसलिये मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर समय से ऐसी चीज हो जाय तो वहां की मुसीबतें जल्दी ही दूर हो सकती हैं।

अब मैं बाढ़ की मूल समस्या के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् १९४८ में बाढ़ एक बहुत ही भयंकर रूप में आई थी और इस ओर उस समय सरकार का ध्यान गया था और इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और उसने तीन सब-कमेटियां

(Sub-Committees) बनाई । एक कमेटी तो इसलिये बनाई गई कि वह मालूम करे कि बाढ़ क्यों आती है । इसको कैसे रोका जा सकता है यह दूसरी कमेटी का काम था और तीसरी कमेटी का काम यह था कि अगर बाढ़ रोकी नहीं जा सकती है तो उस हालत में क्या किया जा सकता है । कैसे रिलीफ दे सकते हैं । जहां तक रिलीफ देने का सवाल है इस कमेटी ने बहुत ही जल्दी अपना काम पूरा किया और १९४९ में ही सरकार ने इसकी सब रिकमंडेशंस को मानकर उनको लागू कर दिया । मुझे संतोष है कि इस कमेटी की रिपोर्ट पूरी की पूरी लागू करदी गई है । इन पांच वर्षों में सरकार ने इस संबंध में जो काम किया है वह किसी प्रकार भी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता है । जहां तक पहली कमेटी का सवाल है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है । दूसरी कमेटी की रिपोर्ट कि बाढ़ कैसे रोकी जा सकती है, जहां तक मुझे मालूम है अभी तक नहीं आई है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस साल सरकार का ध्यान इस ओर गया है और यह समस्या सदन के सामने भी आई है । इस अवसर पर मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि वहां के लोग तो बाढ़ के आदी हो गये हैं और लोग यह समझते हैं कि हमारे भाग्य में यह लिखा हुआ है और यह मानकर वह वहां से हटना भी नहीं चाहते हैं । लेकिन अगर उनको हटाया भी जाय तो वह कहां जा सकते हैं फिर वहां की जो जमीन होगी तो उसके जोतने बोने के लिये तो कोई न कोई वहां जायगा ही । इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि वहां से लोगों को हटा दिया जाय । यह समस्या का कोई हल नहीं है । अब सवाल यह उठता है कि बाढ़ कैसे रोकी जाय क्योंकि बिना इसके वहां कोई तरक्की नहीं हो सकती है, चाहे उस क्षेत्र में उद्योग धंधे की बात हो और चाहे ट्यूब वेल्स की बात हो चाहे और कोई उन्नति की बात हो लेकिन सब से आगे हमारे सामने बाढ़ की समस्या खड़ी हो जाती है । बिना इस समस्या को हल किये वहां वह उन्नति ही नहीं हो सकती ।

इसलिये मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि बाढ़ के रोकने का प्रयत्न होना चाहिये वह जमाना तो गया जब लोग समझते थे कि यह एक दैवी दुख है और इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है । आज विज्ञान के जमाने में जब हमारी सरकार है तो हम हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते हैं बल्कि हम आशा करते हैं कि हम सब समस्या को हल कर सकते हैं आज विज्ञान के युग में बड़ी-बड़ी समस्यायें हल हो रही हैं और लोगों को आशा हो रही है कि यह समस्या भी हल हो जायगी । इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार कदम उठाये और हमारी समस्या हल न हो । मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि हम इस समस्या को हल कर सकते हैं ।

सरकार आज डैम वगैरह की बड़ी-बड़ी योजना पूरा करने में लगी हुई है और उनमें करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, यह काम भी बहुत ही आवश्यक है लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि सरकार को इस बाढ़ की समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिये और वह कमेटी जिसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, सरकार का ध्यान उस ओर जाय और उस कमेटी से काम पूरा कराये जाने की कोशिश की जाय और फिर से समस्या पर विचार किया जाय । यदि आवश्यकता हो तो कुछ और मेम्बरों को कोआप्ट किया जाय ।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारी यह बदकिस्मती है कि ऐसे प्रश्न पर भी हम सुचारु रूप से विचार नहीं कर पा रहे हैं । हमारी पोलिटिकल लाइफ में यह बड़ी दुखद समस्या है । किसी समस्या को हल करना चाहते हैं और ईमानदारी से हल करना चाहते हैं । चाहे बाढ़ की समस्या हो चाहे जमीन की समस्या हो, हमारे विरोधी दल के भाई उन समस्याओं को राजनैतिक जाल में डालकर उनसे फायदा उठाना चाहते हैं । मुझे दुख है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम इनको हल कराना चाहते हैं और कोई कदम उठाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि वे कुछ मदद करें उल्टे विरोध करते हैं । यह एक बड़ी दुखद घटना है । अभी हमारे यहां एक बेदखली का सवाल उठा हुआ है ।

[श्री राधा मोहन सिंह]

हमारी सरकार से जो जो मांग की गई उसको उसने पूरा किया। हमने यह किया कि जमीन जोतने वाले लोगों का अधिकार स्वीकार कर लिया। फिर यह कहा गया कि इन्दराज ग़लत हैं। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसके लिये दूसरा कानून पास किया गया कि इन्दराज ठीक किये जायं। इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं और आज आप फिर लाठी ले कर खेत पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे। एक तरफ तो आप लाठी और हिंसा के जरिये से हक़ लेना चाहते हैं और इसको प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी तरफ आप सत्याग्रह की बात करते हैं वही प्रस्ताव आज भुखमरी समस्या के संबंध में है और ठीक वैसी ही आज बाढ़ की भी है। मुझे दुःख है कि हम लोग सेवा करने के लिये अग्रसर नहीं होते हैं बल्कि उसके विपरीत हम चाहते है अहलकारों और सरकार की कमियों को ग़लत दिखा कर इसका फ़ायदा उठावें, जनता में ग़लत प्रचार कि सरकार निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती और अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम और हमारी पार्टी है। इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ काम हो रहे हैं वे ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी बाढ़ को हमेशा के लिये रोकने के लिये सरकार को कोई क़दम उठाना चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बाढ़ का इस वर्ष का प्रकोप है हमारा अपना ख़याल है कि हमने तो अपने जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। सन् ३४ के बाढ़ से भी १ इंच पानी ज्यादा था और अब तक जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी को पता है कि अषाढ़ के महीने में बाढ़ आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया और कल दोपहर तक सिर्फ १६ इंच पानी घटा है। अभी दो महीने बरसात के बाक़ी हैं और यह बाढ़ सम्भव है कि फिर आये। तो आज हमें दो दृष्टि से इसको विचार करना है। यह सही है कि जो सरकारी अमला है और जो उन्हें साधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार वे कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जिला भी बता दें। शायद बहुत से लोग जानते न होंगे।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—तो श्रीमन् मैंने यह कहा कि आज दो दो सवाल प्रस्तुत हैं। एक तो तात्कालिक और दूसरे स्थायी। स्थायी के बारे में हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष हुये अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी क़ायम की थी जिसकी ओर एक माननीय सदस्य ने अभी संकेत किया था लेकिन हमने देखा कि सन् १९०४ की बाढ़ में जब कि समूचा क्षेत्र पानी से भर गया था उस समय बांध जब टूटा तो नदी मुश्किल से एक बालिश्त नीचे गई। इसलिये अगर बांध से काम लिया जाय तो किसी हद तक वह बचाव जरूर करेंगे लेकिन ये एक्सपर्ट्स कब तक अपनी राय देंगे और यह दुर्दशा कब तक होती रहेगी यह हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह कि जिन गांवों में हम लोग गये वहां उन्होंने एक बात कही उन लोगों ने यह कहा कि साहब, हमारे बहुत से मवेशी तथा आदमी बाहर चले गये हैं और आज यह नहीं है कि जो हमारे आदमी बाहर चले गये हैं उन को हम किसी तरह से खाना पहुंचा सकें। वे ऊंची जमीन पर चले गये हैं, उनको नावों की बड़ी दिक्क़त है। हमारे जिले में कलेक्टिव फ़ाइन्स से क़रीब ८० हजार रुपया जमा हुआ था। उसमें से हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि क़रीब १० हजार के इस काम के लिये दे दिया जाय। लेकिन आज इतना अर्सा हो गया लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आज सरकार को उस क्षेत्र में लगभग २०० रुपये रोज नावों का भाड़ा देना पड़ता है। जिस भाग की बात मैं कर रहा हूं उसमें क़रीब २०० गांव हैं राप्ती कछार के और वैसे तो लगभग ३०० गांव बाढ़ से पीड़ित हैं और जैसा ख्याल किया जा रहा है यह बाढ़ १५,२० दिन या एक महीने तक हटने वाली नहीं है। इसलिये नावों के भाड़े में क़रीब ६ हजार रुपये चले जायंगे। इसलिये हमारा यह सुझाव था कि कुछ नावें ख़रीद कर दे दी जायं। एक नाव पर चार मल्लाह रहते हैं इसलिये मोटे तौर पर २०-

२१ रुपया पड़ जाता है । हर ५ गांवों का आप एक ट्रस्ट बना दें, उनकी उनके लिये जिम्मेवारी कर दें जिससे गांव वालों को इतना अधिक भाड़ा न देना पड़े । इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि वहां नावों का तत्काल प्रबंध कर दिया जाय । जो भी नावें वहां पहुंचती हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, वे बहुत कम हैं । कहीं कहीं तो वे पहुंच भी नहीं पातीं और गांव वालों की इच्छा के मुताबिक़ उनका उपयोग नहीं हो पाता ।

दूसरी बात रेवेन्यू ड्यूज के बारे में है उसके लिये तो माननीय मंत्री ने कह ही दिया कि वह स्थगित कर दिये गये हैं । अब सवाल रह जाता है उन बच्चों की फीस का जो स्कूल जाते हैं । वह भी माफ हो जानी चाहिये । लगान के बारे में भी सरकार को उदारता से बर्तना चाहिये । और उनको माफी मिलना चाहिये ।

आज वहां फाडर का बहुत भारी सवाल है चारे के बारे में कहा गया है कि उनके लिये दूसरे जंगल खोल दिये गये हैं और स्थानों की तो मुझे ठीक पता नहीं देवरिया में तो केवल २७ एकड़ जंगल है दूसरे बहुत से मवेशी तो वहां जा ही नहीं पाते । सूखी घास का भी जिक्र किया । बहुतों को तो वह अनुकूल ही नहीं पड़ती, दूसरे वहां मवेशी भी बहुत हैं । किसान उसको ख़रीद सकने में असमर्थ हैं । इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी साधन सरकार को मिले हैं उसने बड़ी ईमानदारी से और तत्परता से उनको बर्ता है ।

श्री चरण सिंह---क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है । सभी जगह सरकार ने ऐसा ही किया है ।

श्री रामजी सहाय---श्रीमन्, एक बात और है । बाढ़ बड़ी भंयकर है इससे ख़रीफ़ की फसल ही नष्ट नहीं होती बल्कि रबी की फसल को भी नुक़सान होता है । अरहर की फसल जो इस समय होती है और दूसरी फसल के साथ कटती है, वह नष्ट हो जाती है । बहुत से जानवरों को लोग बाहर ले कर चले जाते हैं । लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिये चारा नहीं है । चारे के कारण से व्यायी हुई गायें लावारिश फिरती हैं क्योंकि किसान उनको रख नहीं सकते । अब सवाल यह पैदा होता है कि बुआई के समय बैलों के न होने से खेत छूट जायंगे उसके लिये भी उनको भरपूर तक़ावी मिलनी चाहिये । अगर सरकार अपनी सूद की दर में कुछ कमी कर दे तो अच्छा होगा । इस समय हम यह भी नहीं कह सकते कि बीच की किस संख्या में आवश्यकता होगी क्योंकि अभी तो बाढ़ के ही दो महीने पड़े हुये हैं । जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि हम बड़ी सर्तकता के साथ काम ले रहे हैं यह तो ठीक है लेकिन यह जो नाव आदि की तात्कालिक आवश्यकतायें हैं उनको अवश्य ही शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये । बस मुझे इस संबंध में इतना ही निवेदन करना है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के दिल में यह धारणा बैठ गयी है कि केवल गोरखपुर और बस्ती में ही बाढ़ आयी है । यह बात पार साल भी दुहरायी गयी थी और पार साल जो सुझाव हमने दिये थे उन पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया गया हालां कि माननीय कृषि मंत्री कहते हैं कि सरकार हमारे सुझावों पर ध्यान देती है । मैं माननीय कृषि मंत्री जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि सन् ५० की बाढ़ से इस साल ज्यादा क्षति हुई है । लेकिन अधिकारियों का ध्यान सन् ५० के मुक़ाबले में इस साल बिलकुल नहीं रहा । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में ४ दिन तक घूमा । १६ जुलाई को मैंने माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री तथा जिलाधीश को लिखा कि राप्ती नदी में बाढ़ आने से ५० गांव डूबते जा रहे हैं, इसका कोई प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाय लेकिन अध्यक्ष महोदय, २७ तारीख़ तक वहां कोई इन्तजाम जिलाअधिकारियों की ओर से नहीं हुआ । २० तारीख़ को जब कि लोग डूब रहे थे...

श्री अध्यक्ष---आप जगह बतला दीजिये कि उक्त बाढ़ किस ज़िले में है और किस तहसील में है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—घोसी और सगड़ी तहसील हैं जो ४५ से ५०मील की लम्बाई में हैं और जहां घाघरा और राप्ती नदियां बहती हैं। बरहज जो देवरिया जिले में है वहीं पर घाघरा और राप्ती नदिया मिलती हैं। तो वहां पर बहुत बड़ा संकट है और उसी के संबंध में मैं कह रहा हूं। मैं नाम नहीं भूल सकता। रघुनाथ और युतई नाम के दो चमार जो मचान और खम्भे पर बैठ कर तीन दिन से लगातार उपवास करते हुये अपनी जीवन लीला समाप्त करने में लगे हुये थे, जहां न आग थी न खाना। लेकिन सरकार की ओर से उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया। ३१ तारीख तक राप्ती और घाघरा की बाढ़ से तीन गांव खत्म हो गये। लेकिन वहां पर तीन केंद्रों पर कुल ४ नावें थीं और उन चार नावों में कोई भी ऐसी नहीं थी जिस पर पशुओं को उतार कर बाहर ले जाया जा सके। किसानों का यह कहना था कि जब तक हमारे पशु पार उतर कर नहीं जायेंगे तब तक हम पार नहीं जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभी यह जानते हैं कि किसानों के लिये उनके पशु कितने प्यारे होते हैं और इस पर कहा यह जाता है कि किसान लोग पार उतरना ही नहीं चाहते थे। ३१ तारीख तक यानी लगातार १० दिन तक सरकार की ओर से न तो उन पशुओं के लिये कोई चारे का ही प्रबन्ध हुआ, न उनके पार उतरने का ही प्रबन्ध हुआ। वहां पर सिर्फ ४ बोरा चना आजमगढ़ के अधिकारियों की ओर से ३० हजार आदमियों के बीच में बांटा गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब ३० तारीख को अखबार देखा तो माननीय कृषि मंत्री जी का एक बयान निकला कि हमारे अधिकारियों की ओर से जनता की भलाई के लिये कोई कंजूसी की बात नहीं होनी चाहिये। मैं तो दंग रह गया कि सरकार तो यह चाहती है और उसके जिला अधिकारी यह चाहते हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बोहरीघाट है जहां सरकार के लोग पानी का बढ़ाव और उतार देखते हैं। पूरब की तरफ जहां राप्ती और घाघरा दोनों मिलती हैं नहीं देखते हैं। आजमगढ़ जिले में घोसी तहसील के पूरब राप्ती और घाघरा नदी का पानी लबालब भरा रहता है। इस संबंध में मैंने पार साल भी कुछ सुझाव दिया था और फिर इस साल भी मैं कहता हूं कि राप्ती नदी का कटाव राप्ती नदी के दक्षिण की तरफ होता जा रहा है। इसी वर्ष ३० तारीख की रात को एक घर बिलकुल कट कर नदी में चला गया। संयोगवश उस घर वाले दूसरे के घर में थे। वह पूरा का पूरा घर राप्ती नदी की खोह में चला गया। मैंने माननीय कृषि मंत्री को लिख कर दिया और वहां के जिलाधीश को भी लिख कर दिया कि राप्ती नदी का कटाव इस तरफ हो रहा है लेकिन इस कटाव को रोकने के लिये कोई भी प्रबंध सरकार की ओर से नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि जनता को ऊंचे स्थान पर जाकर बसने के लिये हमारी ओर से प्रबंध है। बात तो सही है कि काग़ज में प्रबंध है लेकिन जिला अधिकारियों से मैंने कहा तो मालूम हुआ कि मोलनापुरदेवारे में कोई स्थान नहीं है जहां पर कि पशु या आदमी एक बीते जमीन पर भी खड़ा हो सकें। उनका तो बहुत दिनों से कहना है कि उनको बसने के लिये ऊंची जमीन दी जाय। यहां आने से पहले मैंने वहां के जिलाधीश से मोलनापुर देवारे के संबंध में बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि हम लोगों को बसाने के लिये कोई प्रबंध नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार का यह इरादा है और दूसरी तरफ जिलाअधिकारियों का यह कहना है, अब यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि आखिर सरकार चाहती क्या है। आजमगढ़ जिला जो ५० मील की लम्बाई में बसा हुआ है घाघरा और राप्ती के किनारे और टोंस नदी जो इस जिले के बीच से बहती है, इन तीनों नदियों से आजमगढ़ जिले को सदा दुःख मिला करता है हमारा यह सुझाव है कि जैसे स्थान सूरजपुर से ८ मील लम्बा बाँध दुबारी तक बनाया गया है और उससे पानी नहीं भरता। बलिया जिले के तुर्तीपार तक बांध बनाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोसी तहसील के दुबारी से पी० डब्ल्यू० डी० का बांध बढ़ा कर तुर्तीपार तक मिला देने की आवश्यकता है। नदी की खोह में गांव के गांव वहां बह जाते हैं। जो जरा दूर बसे हुये हैं उनको बचाया जा सकता है बांध बना कर, रेगुलेटर लगा कर, पानी को रोक कर उसे आबपाशी के काम में भी लाया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिवारे से बिलथरा रोड तक जाने का कोई इंतजाम

नहीं है जिससे बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा सके। आजमगढ़ से मूसाडोही तक जिसकी आबादी ३० हजार है उसकी बाढ़ से रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई तात्कालिक सहायता भी वहां नहीं पहुंचाई जा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिया था कि देवरिया से हाहानाल तक बांध बनाया जाय। वहां पानी ही पानी मीलों तक दिखाई देता है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। मैं फिर पारसाल की तरह सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि मधुबन से हाहानाला तक सड़क बना दी जाय जिससे बरसात के जमाने में लोगों की रक्षा की जा सके। दिवारे से बिलथरा रोड तक भी इसी तरह से इंतजाम करने की आवश्यकता है। इसी तरह से सिगड़ी तहसील के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सिगड़ी तहसील वह तहसील है जहां पर नदी का बड़ा प्रकोप होता है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर इंजीनियर लोग या माननीय कृषि मंत्री जी मेरा यह सुझाव मान लें कि जितनी नदियां पूर्वी जिलों में बाढ़ से प्रभावित होती हैं उन नदियों के दोनों तरफ बांध बनाये जायं तो लोगों को बाढ़ से बचाने का हल निकल सकेगा। नदियों की जो असली धारा है उसके बदलने से भी बड़ा नुक़सान होता है उस ओर भी ध्यान देना चाहिये ताकि धारा बदल न सके। धारा न बदलने के लिये श्रोमन् बंडालेबांधे जायं। जहां पर नदी धारा बदल देती है अगर उसके दोनों किनारों पर बंडाले बांधे जायं और वहां रेगुलेटर लगाया जाय तो मेरा विश्वास है कि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है। बाढ़ से हर साल जो लाखों आदमी जल प्लावित होते हैं और माली नुक्सान होता है वह नहीं होगा। माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं किन दो जिलों के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है कि अगर पानी हट जाय तो खरीफ की फसल हो सकती है। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी अगर इस सदन में इसको जाहिर कर देंगे तो बहुत से माननीय सदस्यों को अपने खयालात को इस संबंध में जाहिर करने का मौक़ा मिलेगा सन् ५० में हमारे जिले के अधिकारियों ने जिस तरीक़े से और जिस तत्परता से काम किया था अब वह तत्परता उनमें नहीं दिखलाई देती। ४ दिन लगातार बाढ़ पीड़ित इलाक़ों में घूमने के पश्चात यह खयाल हमारे दिमाग में बैठा है। घोसी तहसील के एस० डी० एम० की उपेक्षा के कारण ही लोगों को बाढ़ से इतनी क्षति एवं परेशानी उसकी उठानी पड़ी है, नहीं तो सन् १९५० में कोई आदमी ऐसा नहीं रहा जो इतना परेशान रहा हो जितना इस साल। आज यह हालत है कि सरकार कुछ चाहती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ चाहते हैं और वहां तहसील के एस० डी० एम० साहब दूसरी बातें करते हैं। हमें तकलीफ़ हुई कि २८ जुलाई को जब कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अलगू राय शास्त्री के साथ वह वहां गये हुये थे। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी ३१ तारीख को केवल ४ नावें वहां पहुंच सकीं और केवल ४ बोरी चना वहां लोगों में बांटा गया। मैंने ३१ जुलाई को माल मंत्री तथा जिलाधीश को पुनः तार दिया। मैंने स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सारी हालतें बता दिया कि वहां मौके पर कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहती है, सारा सदन चाहता है कि जनता की सेवा हो, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के करते अगर ऐसा नहीं होता तो जो उस वक्त जो सरकारी अधिकारी उपेक्षा का भाव रखते हैं सरकार को चाहिये कि उसकी पूरी छानबीन करके उसको सजा दे और अगर नहीं देती तो सरकार बदनाम होगी, जनता परेशान होगी और आप जो सचमुच सहायता और जनता की सेवा करना चाहते हैं वह कार्य नहीं हो सकेगा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार एक समय प्रदेश भर में पटवारी वर्ग के साथ किये हुये अन्याय, और अध्यापकों के ऊपर किये हुये अत्याचार की चर्चा चारों ओर सुनाई देती थी उसी प्रकार आज प्रदेश भर में दो मुख्य विषयों की चर्चा सुनाई देती है। एक तो बाई एलेक्शंस के नतीजे और दूसरे बाढ़ और उससे हुई हानि। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सदन के सदस्य और आप क्षमा कीजियेगा कुछ हद तक आप का भी यही विचार है कि बाढ़ से पहाड़ों पर कोई नुक़सान नहीं होता और पहाड़ों पर बाढ़ आती ही नहीं। मैं चाहता हूं कि यह विचार सत्य होता किन्तु यह कुछ हद तक असत्य है। ऐसा विचार सरकार के दिमाग़ में पहाड़ों के लिये हानिकर

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

साबित हो सकता है इसलिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि बावजूद इस प्रचलित विचार के आपने यहां कुछ कहने का अवसर दिया ।

माननीय कृषि मंत्री जी ने हमको बताया कि सरकार प्रिवेन्टिव मेजर्स लेती है पहले से और यह विचार रखती है कि पहले से प्रबंध हो। यह विचार रखना वास्तव में ग़लत होगा कि जब बाढ़ आती है तभी वह उसके सिलसिले में कार्यवाही करे। और यह विचार सरकार का ठीक है किन्तु मुझे इस सिलसिले में यह दुःख है कि कभी कभी किसी एक जिले या दो जिलों के सिलसिले में यह बात ठीक साबित नहीं हुई। माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि हर एक जिले में कमेटीज मुक़र्रर की गई हैं। जिलाधीश महोदयों को जून के महीने में आदेश दिये जाते हैं कि वे बाढ़ के अन्देशे के लिये तैयार रहें, चाहे बाढ़ का अंदेशा हो या नहीं फिर भी उनको सचेत किया जाता है कि वह हर प्रकार से तैयार रहें। मैं इस विषय पर केवल टेहरी-गढ़वाल जिले के संबंध में कुछ कह सकता हूं। जहां तक मेरा ख़याल है हमारे जिले के जिलाधीश महोदय ने इस सिलसिले में कुछ कार्यवाही नहीं की। माननीय कृषि मन्त्री महोदय ने यह भी कहा था कि जिलाधीश महोदय को आदेश दिये गये हैं कि वे जिले के प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति बना कर उन के सलाह मशविरे से उचित कार्यवाही करें। इस प्रकार की कोई समिति मेरे ज्ञान में मेरे जिले में नहीं है और मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच की जाय। साथ ही टेहरी गढवाल जिले के सिलसिले में मैं माननीय कृषि मंत्री को इस बात से सूचित करना चाहता हूं कि यदि उनके पास टेहरी गढ़वाल में बाढ़ से जो हानि हुई है उसके संबंध में कोई सूचना नहीं आयी हो तो उसका एक विशेष कारण हो सकता है। हमारे जिलाधीश महोदय जून के महीने भर एक लम्बे दौरे में व्यग्र रहे। हमारे जंगलात के उपमंत्री श्री जगमोहन सिंह जी नेगी ने जून के महीने में हमारे जिले का दौरा किया और बावजूद इसके कि उनका दौरा विशेषकर जंगल से संबंध रखता था और बावजूद इसके कि उनके साथ चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट और टिहरी सर्किल के कंजरवेटर उनके साथ दौरे में थे लेकिन फिर भी न तो हमारे नेगी साहब ने और न जिलाधीश महोदय ने पारस्परिक साथ छोड़ना उचित समझा। शायद इस कारण जून के महीने में, हालांकि जून के महीने में बाढ़ नहीं आयी माननीय मंत्री के पास कोई सूचना न आयी हो। उसकेबाद दुर्भाग्यवश हमारे जिलाधीश महोदय एक महीने की छुट्टी चले गये। तो शायद उनके बाद एक महीने के लिये काम चलाने के लिये जो दूसरे जिलाधीश आये उनको वहां की परिस्थिति का पूरा ज्ञान न होने के कारण उनको भी सरकार को सूचना देने का अवसर नहीं मिला हो। अब एक नये जिलाधीश वहां पर पहुंचे हैं वे भी शायद सही रूप से सूचित नहीं कर पाये हैं। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार यह न समझे कि बाढ़ के कारण पहाड़ों में कहीं पर नुक्सान नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने यह कहकर हमको समझाने की कोशिश की कि बाढ़ आने का नतीजा यह न समझा जाय कि सब चीजें वहां से पानी के कारण उड़ जाती हैं। मुझे मैदानी बाढ़ के संबंध में तो बहुत कम अनुभव है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य कहूंगा कि पहाड़ों में जब बाढ़ आती है वहां बिलकुल वही दशा हो जाती है। आप को और माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पहाड़ों की नदियों में बड़े बड़े पत्थर चलते हैं और वैसे समय में भी नदी में चलते हैं लेकिन जब बाढ़ आती है यह पत्थर जिनका साइज बताना कठिन है जो कुछ भी उनके सामने आता है उसको तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। तो यह विचार ग़लत है कि बाढ़ से जैसा नुक्सान मैदानी इलाकों में होता है उसी प्रकार से पहाड़ी इलाकों में भी होता है। टेहरी गढ़वाल जिले में मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सारे जिले में नुक्सान पहुंचा किन्तु यह कहना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर विशेषकर दो पट्टियों को नैलचामी और कड़ाकोट को हानि हुई है। इन दो पट्टियों नैलचामी और कड़ाकोट को सन् १९४८ और १९४९ ई० में भी हानि पहुंची थी और इन पिछले दिनों भी काफी हानि पहुंची है।

समय बहुत कम है अब मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह प्रार्थना करूंगा कि वह जो भी आर्थिक सहायता बाढ़-पीड़ितों को देना उचित समझें उनको यह

विशेषकर ध्यान में रखना चाहिये कि यहां पर रबी की फसल में कमी होने के कारण कृषि विभाग के मंत्री ने ५ हजार रुपये की सहायता देना उचित समझा है । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस रकम को बढ़ाकर बाढ़-पीड़ितों की सहायता की जाय । दूसरी प्रार्थना मैं माननीय मंत्री महोदय से यह करूंगा कि वहां पर केवल गल्ला पहुंचाना ही उचित नहीं होगा और इससे कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बाढ़ से इतना नुकसान होता है कि बाढ़-पीड़ित लोगों की माली हैसियत बिल्कुल बिगड़ जाती है और उनका एक तरह से सत्यानाश हो जाता है । उनके लिये गल्ला खरीदने के लिये कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि खरीदने के लिये उनके पास पैसा नहीं और उनकी इतनी शक्ति नहीं है, वह उसे खो बैठे हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस समय जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में श्रम दान की कार्यवाही हो रही है उसको टेस्ट वर्क की तरह चलाया जाय और मिनिमम वेज के हिसाब से जब उनको कुछ मिलेगा तो उनको सहायता मिलेगी। फिलहाल जब तक कोई और उपाय न निकले तब तक के लिये उनका काम चल जायगा ।

अन्त में एक और प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में जमीनें खेती के योग्य बहुत कम हैं और बाढ़ द्वारा जो खेत उजड़ जाते हैं वह पुश्तों द्वारा बनाये हुये होते हैं इसलिये वहां के किसानों से फिर यह आशा करना कि वह फिर उस खेत पर आ कर काम कर यह असंभव है । इसलिये सरकार को उनको किसी न किसी स्थान पर जमीन देनी पड़ेगी । वर्ना उनको बहुत तकलीफ होगी । यह मैं मानता हूं कि जमीन की कमी है लेकिन ऐसे अवसर पर जंगलों के बीच जो जमीन खाली है, हालांकि इसका जंगल विभाग विरोध करेगा, परन्तु चूंकि बहुत अधिक दुख बाढ़ से उनको पहुंचा है, इसलिये सरकार उनको सहायता दे कर कृपा करेगी ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, बड़े ध्यान से मैंने माननीय मंत्री जी के व्याख्यान को सुना और जिस सहानुभूति के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जिस खूबी के साथ आपने व्याख्यान दिया उसको सुन कर बड़ी खुशी हुई लेकिन .....

श्री चरण सिंह---लेकिन क्या ?

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, आप जरा रक्षा कीजिये क्योंकि यह पार्टी मीटिंग नहीं, एसेम्बली है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी किन्तु ताला लगाया जा रहा है, मैं जरा कुछ अर्ज करना चाहता हूं किन्तु माननीय मंत्री जी के लेकिन पर अभी हंसी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---हंसी में तो मुंह बन्द नहीं होता, खुलता है ।

श्री सीताराम शुक्ल---इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारे सूबे में कोई दुखी न हो, किसी को कष्ट न हो और इसीलिये वह रुपया भी खर्च करना चाहती है । हम यह भी जानते हैं कि सरकार को रुपये की कमी है लेकिन बाढ़ से जो आफ़त आ गई है ,जो परेशानियां पैदा हो गई हैं उनको दूर करना भी है, खजाने का हाल भी हमें मालूम है, जितनी आवश्यकता है उतनी आप कहां से दे देंगे ? अभी आपने बताया कि बस्ती में साढे तीन लाख एकड़ जमीन पर बाढ़ आ गई और पांच लाख व्यक्ति दुखी हैं किन्तु सरकार की ओर से २५,००० रुपया भेजा गया है । जहां ५ लाख आदमी एफेक्टेड हैं वहां २५,००० रुपये में क्या होगा, इससे इमदाद क्या होगी लेकिन ठंडे दिल से सोचना चाहिये सरकार इससे अधिक देना चाहे तब भी नहीं दे सकती है, इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि जो कुछ भी सुझाव हो वह भेजने की बहुत जल्द मेहरबानी करें । यह सही है कि अब बाढ़ चली गई लेकिन अभी आंखों से आंसू बरस रहे हैं । आंसू की बाढ़ से बचना बहुत मुश्किल है । इसलिये आप कोशिश करें कि सरकारी अफसर साहबान हैं वह अपने वेतन का ५ रुपया सैकड़ा वहां के लिये दान करें और जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वह भी ५ प्रतिशत सहायता बाढ़-पीड़ितों के लिये करें तब तो आंसू पुंछ सकते हैं ।

[श्री सीताराम शुक्ल]

अन्त में एक बात कह कर अपना व्याख्यान खत्म करना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बाढ़ के सिलसिले में तीस कवि ने कविता की है उसकी दो लाइनें बदल कर मैं पढ़ देना चाहता हूं वह यह है कि--

आंखिन के अंसुआन के बुन्द पनारे भये, फिर हो गये नारे।
नारे ते सारे भये नदिया, नदिया नद काट के हवै गये करारे।।
भूंख की ग्राह गस्यो गज जीव को बोरन चाहत है मज धारे।
बरहिबार पुकारत है कि कहां हो उबारो गोबिन्द हमारे।।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाढ़ एक प्राकृतिक प्रकोप है और यह विषय दलगत राजनीति से ऊपर है। फिर भी एक ऐसी सरकार जो जनता की सरकार होने का दावा करती है और जिसको विश्वास है कि हमारे प्रदेश की जनता का बहुमत उसके साथ है वह जनता के सहयोग से बाढ़ की रोकथाम कर सकती है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन स्थायी हल के लिये सरकार की ओर से कोई कदम जिलों में उठाया गया है, ऐसा कोई ठोस कदम जिसका ठोस परिणाम हमें दिखायी पड़ा हो, ऐसा मैं नहीं समझता।

मैं इस विषय में दो एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि सरकारी कर्मचारी या सरकार कितनी लापरवाह है इन परिस्थितियों की ओर जो बाढ़ को पैदा करती हैं या बाढ़ को बढ़ा कर भयावह बना देती है। गोरखपुर जिले में शहर के पास मंझरिया नामक एक गांव है जहां पर राप्ती का बांध पुराना हो चुका है। राप्ती वह नदी है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने काफी जिक्र किया है चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। जब बाढ़ आती है तो धन जन और पशुओं का बहुत नुकसान होता है। राप्ती का वह बांध टूट गया उससे लहसोंड़ी गांव, जो बांध के किनारे था, बह गया। वहां के निवासी ने एक मुट्ठी दाना भी अपने घरों से नहीं निकाल पाये। किसी तरह से घरों की छतों पर या पेड़ों की डालों पर बैठ कर अपनी जान बचा सके। पशु बह गये और एक स्त्री के डूबने की खबर है। वहीं पर बांध का वह हिस्सा है जो पहले से टूटा है, उसके ऊपर इस सदन में मैंने प्रश्न भी उठाया था, माननीय सिंचाई मंत्री त्रिपाठी जी की सेवा में लिख कर भी मैंने भेजा था। संभवत: यहां से नीचे कागज गये भी। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि मंझरिया गांव के पास की दो हजार बीघे जमीन जो हर साल बाढ़ में डूब जाती है इस साल भी वही हुआ। एक ही प्रकार की घटना हर साल हुआ करती है फिर भी सरकार की ओर से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिससे उसकी रोकथाम हो सके। जितना बांध टूटा था बहुत थोड़ा था, कुछ हजार के खर्च से उतना बड़ा नुकसान बच सकता है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने है। आजमगढ़ में दोहरीघाट से जो आजमगढ़ शहर को सड़क जाती है उस सड़क के किनारे घाघरा भी बहती है। घाघरा उसको एक बार काट भी चुकी है और नयी सड़क को भी अब खतरा पैदा हो गया है। सदन में इस पर प्रश्न भी उठाया गया। लेकिन एक साल बीत जाने पर जब बाढ़ आती है तब पेड़ काट कर गिराये जाते हैं। लेकिन साल भर तक सरकार और कर्मचारी सब सोये रहते हैं। साल भर सरकार या उसके कर्मचारी सोते रहते हैं जो ठीक नहीं है। हर साल बाढ़ आये और दो चार लाख रुपया सरकार की ओर से मुफ्त बाट दिया जाय या तकावी दी जाय या सहायता दी जाय लेकिन स्थायी रूप से कोई कदम नहीं उठाया जाता है।

मैं मिसीसिपी और अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन चीन का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है जहांपर कल कारखाने उतने नहीं हैं जो अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है, जिससे वह इस भयानक प्रकोप का मुकाबला कर सकें। लेकिन उनके पास मानव श्रम है और उस मानव श्रम के बल पर उन्होंने यांगटिसी, सी क्यांग और हुआंगहू जैसी नदियों की जो चीन के महाकाल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रही हैं तीन चार साल पहले तक,

उनकी काफी हद तक रोकथाम की है। मैं समझता हूं कि प्रान्तीय सरकार को इस विषय में बहुत मुस्तैदी के साथ ध्यान देना चाहिये की बाढ़ की स्थायी तौर पर रोकथाम की जाय।

मैं नहीं समझता कि बाढ़ ऐसी चीज है जबकि हमारे प्रदेश की जनता का समर्थन सरकार को प्राप्त है, उसको कंट्रोल न किया जा सके, वह हमेशा एक नुक्सान और तबाही पैदा किया करे। आजमगढ़ जिले में सूरजपुर से दुबारी तक जो बांध गया है उसको मैंने इस बार बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के अपने दौरे के मौके पर देखा था। करीब करीब ८ मील लम्बा वह बांध न रहा होता तो जितना नुक्सान आजमगढ़ को हुआ है उससे दूना ही होता। एक बांध बंध जाने से कितना फायदा जनता को हुआ है, कितनी जन धन की हानि होने से बचत हुई है, इसका उदाहरण मौजूद है। इसलिये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार फौरी सहायता करे जिसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है और जिससे हम सबको प्रसन्नता हुई है और भी उस विषय में सुझाव दिये गये हैं लेकिन स्थायी हालत की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिये जरूरी है कि केवल सरकारी कर्मचारियों की ही सहायता से नहीं बल्कि जनता का सहयोग भी प्राप्त करने की कोशिश की जाय और मेरा विश्वास है कि बाढ़ एक ऐसी समस्या है कि जनता का सहयोग पूरा प्राप्त हो सकता है।

साथ ही साथ जनता के बीच में काम करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जन-संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग उनमें लेने की पूरी कोशिश की जाय। क्योंकि यह राजनीति के ऊपर का विषय है। यह तो मानवता का प्रश्न है, इसमें मैं समझता हूं कि दलबन्दी को नहीं लाना चाहिये। यदि सरकार इस संबंध में मुस्तकली से कदम उठाये तो राजनीतिक पार्टियां इसमें अवश्य सहयोग देंगी।

आजमगढ़ में बाढ़ से जो क्षति हुई उसमें माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जो बातें कही हैं संयोगवश उस समय मैं भी वहां मौजूद था जिस समय चार बोरी चना ८ दिन की बाढ़ के बाद बटा था। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दोहरीघाट से दुबारी एक नाव ३१ जुलाई को जा रही थी मैंने उसको पकड़ा था। उसमें केवल दो बोरी चना लदा हुआ था। केवल दो बोरी चना ले करके तीन दिन से १६ मील की यात्रा करके वह नाव जा रही थी। मूसाडोही एक ऐसा क्षेत्र था जो देवरिया और आजमगढ़ जिले के बीच में पड़ता है उसमें बाढ़ के ८ दिन बीतने के बाद केवल २० सेर नमक, एक टिन तेल और दो बोरी चना बटा था जबकि हजारों आदमी वहां रहते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री जो तकावी बटवायेंगे इस विषय में उसमें एक बात का खयाल रखना होगा कि इससे पूर्व किसानों की क्षति देखनी होगी। जो खेत पहले ही पलिहर छोड़ दिये गये थे वे रबी के लिये उनमें तो रबी की फसल बोई ही जायगी, लेकिन जो फसलें बरबाद हो गयी हैं उन खेतों की अब बुआई होगी। इसके लिये बीज और तकाबी देना आवश्यक है, क्योंकि वह दोबारा बोई जायंगी। तो इस तकावी को बांटते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसानों को समय पर बीज मिले और तकावी मिले और अन्य प्रकार की आवश्यक सहायता सरकार की ओर से दी जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद दुबे (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुसीबतों का जिक्र करने से मुसीबत की तेजी कुछ कम हो जाती है और खासकर अब जबकि मैं सिंचाई मंत्री की बगल में खड़ा होकर बात करता हूं तब तो मुझे पूरी पूरी मुसीबतों की कमी की आशा बंध ही जाती है। गोरखपुर जिला बहुत बड़ा जिला है, उसकी बहुत सी मुसीबतों की ओर मैं कुछ ज्यादा ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं समझता लेकिन गोरखपुर जिले से ही बस्ती, गोरखपुर और देवरिया ये तीनों जिले बने हैं और ये तीनों जिले बहुत बड़े हैं। जितने ही ये बड़े जिले हैं उतनी ही बड़ी इनकी मुसीबतें भी हैं। बाढ़ उनमें से एक है जो कि सदियों से उनको बरबाद करती

[श्री भगवती प्रसाद दुबे]

रहती है। साथ ही यह एक ऐतिहासिक जिला है। गौतम बुद्ध, कबीर और गुरू गोरखनाथ की यह लीलाभूमि है जो जगत को प्रेरणा देती है। लेकिन उस जिले की मुसीबत अभी तक कम नहीं हुई। परदेशी राज्य ने इस दैवी प्रकोप को और भी बढ़ा दिया। रेल और सड़कों की ओर उनका ध्यान ज्यादा रहा लेकिन जीवन की स्रोत नदियों की ओर से वह अलग हो गये और नदियों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। गोरखपुर जिले की राप्ती एक ऐसी नदी है जो हमको तबाह करती है। जो हमको जीवन का पानी भी देती है और उसी पानी से वह हमको बर्बाद भी करती है। अभी हमारे राजस्व मंत्री जी ने इस बात की ओर इशारा किया कि पानी बहुत दिनों तक रुका रहने के कारण ही बाढ़ से ज्यादा क्षति होती है। तो यह बात अपने क्षेत्र में और जिले में कई बार दौरा करके देखी कि नदियों में पानी बहुत दिनों तक रुका रहता है और उसका एक कारण यह है कि जहां रेलवे के पुल हैं, वहां वह नदियों की चौड़ाई को कम कर देते हैं, सड़कों के ऊपर जो पुल बने हैं वह भी नदियों की चौड़ाई को कम कर देते हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कें हैं वहां भी इनकी चौड़ाई पुलों से कम हो गई हैं। परदेशी राज्य की बहुत सी मुसीबतों को हम दूर कर रहे हैं। सरकार इन पुलों के ऊपर भी ध्यान देवें और मेरा निवेदन है कि इस पर वैज्ञानिक राय लेकर इन नदियों की चौड़ाई को ठीक करना चाहिये। इससे पानी का बहाव जो बहुत रुका रहता है वह फैलकर चौड़ा हो जायगा। दूसरी चीज यह है कि राप्ती नदी जहां में सरयू आकर मिलती है जो गोरखपुर जिले में ही पड़ता है, उससे कोई ३०, ४० मील वह ऊपर से वह इतनी सिल्ट हो गई है, इतनी वह ऊंची हो गई है कि पानी मुश्किल से नीचे बह पाता है। उस सिल्ट को निकालने के लिये जो भी मुनासिब तरीका हो वह अमल में लाना चाहिये। यह बात नहीं है कि हमारी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा खयाल है कि लगभग पांच साल हुये जब सरकार का ध्यान मैंने आकृष्ट किया था सरकार ने बहुत से इंजीनियर और ओवरसियरों को इसकी जांच के लिये तैनात किया था और इसके बाद इन्होंने यह रिपोर्ट की कि नदी को गहरा करके इसे सीधी करना चाहिये यह स्कीम सरकार ने चीफ इंजीनियर की मारफत शायद अमेरिका को भी भेजी थी। इसकी जानकारी में माननीय झारखंडे राय जी को भी कराना चाहता हूं जो कि मंझरिया गांव के लिये चिन्तित हैं कि सरकार बाढ़ को रोकने के लिये कार्यवाही कर रही है। लेकिन पांच साल से पहले इसका कोई नतीजा नहीं हुआ इसमें जरा तेजी आनी चाहिये और इस सारे विषय को एक ऊंचे दर्जे से देखना है। बाढ़ की जो छोटी-छोटी तकलीफ हैं उनको बहुत कहकर और तकलीफ को ज्यादा तेजी से बढ़ाकर हम नदी की बाढ़ से बच नहीं सकते। इसलिये सरकार जो मदद कर रही है, हमको उसे अपने जिले में दुखी जनता तक पहुंचा देनी चाहिये। जहां माननीय झारखंडेराय जी को यह शिकायत है कि गवर्नमेंट बहुत सुस्ती कर रही है वहां हमें यह शिकायत नहीं है। हमारे जिले में सरकारी कर्मचारी यथा शक्ति बाढ के कामों में लगे हुये हैं। लेकिन बाढ़ एक ऐसी चीज है जो इस सरकार के और सरकारी कर्मचारियों के मान की नहीं है। यह दैवी प्रकोप है। इसके लिये हमको ऊंचे दर्जे पर सोचना पड़ेगा। कुछ दूसरी चीजें भी हैं। सरकार ने कुयें और दूसरी चीजों के लिये सबसिडी और तकावी देकर काम जारी किया है। बाढ़ की एरिया में नावों की शिकायत है। हमारे जिले में मेरा ख्याल है बाढ फंड से १५ हजार रुपया हमने नांव बनाने के लिये दिया है। लेकिन सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि जहां हम दूसरे कामों में सबसीडी देते हैं, बाढ़ एरिया में मल्लाहों को तकावी और सबसीडी दे करके हमें नावें बनवाना चाहिये कि जिससे नावों की समस्या गांव में हल हो जाय। गोरखपुर जिले में लकड़ी की कमी नहीं है। थोड़ा धन देने से वहां नावों की समस्या जरूर हल हो सकती है क्योंकि बाढ़ एरिया में काफी मल्लाह हैं, गरीब हैं, उनकी मदद हो भी जायगी।

तीसरी चीज यह है कि गोरखपुर जिले में जमीन की बड़ी शिकायत है। मेरा ख्याल है कि करीब एक हजार प्रति वर्ग मील वहां पापुलेशन का प्रेशर है और करीब दो लाख एकड़ जमीन पर बाढ़ का असर है। बाढ़ एरिया में ऐसे आदमी, जिनके पास खेत नहीं हैं और जो मजदूरी कर सकते हैं, उनकी संख्या बहुत है। मैंने अपने क्षेत्र में कोई १०, १५ गांवों में

घूम कर देखा। वहां के लोगों ने यह कहा कि जो आप एक मुट्ठी चना हमको देना चाहते हैं उससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको काम दो और काम भर मजदूरी दो। इसलिये सरकार को कोई ऐसा काम वहां खोज कर जारी करना चाहिये कि उनको मजदूरी मिले और मजदूरी से जो उनको पैसा मिले उससे वे सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला खरीद सकें। ऐसा काम हमारे जिले में बहुत है। हमारे जिले की सड़कें बहुत ही खराब है। खासकर बाढ़ एरिया में जो सड़कें हैं वे नालों की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। अच्छा होगा कि जब वहां बाढ़ का पानी निकल जाय तब हम टेस्ट वर्क चालू करें। हम प्लानिंग कमेटी की मार्फत देख लें कि किन-किन सड़कों को ठीक करना है। इस प्रकार हमें बाढ़ एरिया में काम चालू कर देना चाहिये ताकि वहां मजदूरों को दूर न जाना पड़े, उनको मजदूरी मिल जाय और उनका काम चलने लगे।

एक चीज मुझे यह कहनी है कि गोरखपुर शहर बाढ़ से बहुत खतरे में है। नीचे के इलाके में बेलपुर भेड़ी और दूसरे गांव हैं जो बाढ़ से कट रहे हैं। हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि किस तरह से हम गोरखपुर शहर को खतरे से बचायें और इन गांवों में जो कटाव हो रहा है उसको कैसे रोकें। इसके लिये इंजीनियर साहेबान की तैनाती होनी चाहिये और वे अपनी रिपोर्ट दें।

चन्द बातें मैंने अर्ज कीं और मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बांध बनाये जायं या न बनाये जायं, इस पर भी विवाद है। हमारे जिले में लाखों रुपये लगवा करके गवर्नमेंट ने बांध बंधवाया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि वह बांध तोड़ दिया जाय और कुछ लोग यह कहते हैं कि उसको रखा जाय। इस पर भी सरकार को वैज्ञानिक दृष्टि से देख करके विचार करना चाहिये कि हमारी पालिसी क्या है और हमको क्या करना चाहिये।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन को यह बताने के लिये उपस्थित हुआ हूं कि उस क्षेत्र से मैं सदस्य हो करके आ रहा हूं जहां पर सरयू अपना मुंह खोले हुये बस्ती जिले के उस इलाके को हड़प जाना चाहती है। राप्ती नदी का जो जिक्र यहां किया गया है वह नैपाल की तराई से आ करके डोमरियागंज और बांसी के इलाके में हाहाकार मचाये हुये हैं। आज हमारी सारी धान की फसल पानी के नीचे है। जुलाई के महीने में जो पौधे हरे हरे दृष्टिगोचर हुये थे वे पीले पड़ गये हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने अपनी स्पीच में बस्ती का नाम कई बार लिया, यहां तक कि श्री गेंदा सिंह जी को डाह होने लगी। मैं सही मानों में बताता हूं कि आज इतनी दुखी बस्ती है कि मैं उसको शब्दों में बतला नहीं सकता। हम बहुत दुखी हैं और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक कलवारी सड़क है उस पर काम हो सकता है। जैसा दुबे जी ने कहा कि टेस्ट वर्क शुरू किया जाय, मैं टेस्ट वर्क में विश्वास नहीं करता, मैं यह चाहता हूं कि जितना पैसा खर्च किया जाय उससे ठोस काम किया जाय। यह न हो कि मिट्टी इकट्ठा की जाय और वह बरसात में बह जाय। वहां मजदूर सस्ते मिलेंगे और वहां अमानी पर कलवारी की सड़क को बनवाया जा सकता है। वहां एक पुल है वह अगर टूट जाय तो सारा इलाका बर्बाद हो जाय। लकड़मंडी से ले करके गोरखपुर की सरहद तक सारा मांझा साफ हो गया और वहां का दृष्य देखने से आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं आता है। वहां पर किसान आज भूखों मर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल चना और चरी देने से तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात जो वहां पर करनी है वह दवाइयों का प्रबन्ध करना है। बाढ़ के बाद वहां मलेरिया का प्रकोप आने वाला है और वह एक ऐसा झोंका आयेगा जिसमें हजारों आदमी फंस जायंगे। इसलिये सब से ज्यादा नेससेसरी चीज मेडिकल एड है और वह अगर नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जायगा, कार्तिक के महीने में।

[श्री शिवनारायण]

दूसरे जो हमारे यहां स्कूलों की दशा है उस संबंध में भी मैं कहना चाहता हूं कि कहीं उनकी कोई बिल्डिग नहीं है, बच्चों के आने जाने की दिक्कत है। आज हमारे पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है तो हम बच्चों के लिये किताबें कहां से खरीदें, फीस कहां से दें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह चीज लाना चाहता हूं, चूंकि उपशिक्षा मंत्री इस वक्त यहां मौजूद हैं इसलिये मैं उनसे यह अपील करूंगा कि वह बच्चों की फीस, चाहे वह हाई स्कूल में पढ़ते हों, या पी० एस० में पढ़ते हों--समस्त सूबे में माफ होनी चाहिये।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं और यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीचे के जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं और उनको जो चीजें बांटने को दी जाती हैं उनमें वह बहुत गड़बड़ी करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है ग़लत नहीं है। आज वह लोग मुल्क के हमदर्द नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अफसर हमसे कोआपरेट करें। जो हमारे यहां नये कलेक्टर साहब गये हैं उनसे हमारी स्टेशन पर मुलाकात हुई। मैंने उनको सरी स्थिति बस्ती की बतायी और उन्होंने कहा कि हमको मौका दिया जाय। हम लोग अफसरों से कोआपरेट करते हैं और अफसरों से काम लेते हैं और हम उनसे काम कराना चाहते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट का सहयोग पूरे तौर से चाहते हैं कि हमारे जिले में, प्रान्त में जहां भी यह आपत्ति है : दैहिक दैविक भौतिक तापा। इन तीन बातों से बचत करने की और सुकर्म करने की जरूरत है। केवल गालियां देने से और क्रिटिसिज्म करने से काम नहीं चलेगा।

हमारे यहां बहुत से लोग बेघर बार हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है और बिला मजदूरी के हैं। उनका प्रबन्ध करना है और साथ ही साथ हमें देवरिया पर भी नजर रखना है। क्योंकि वहां लाल ही लाल हो रहा है वरना माननीय गेंदा सिंह को बड़ी नाराजगी होगी। विशेष तौर से माननीय मंत्री जी ने बस्ती और गोरखपुर को विशेष रूपसे कहा देवरिया इगनोर नहीं किया। देवरिया की कंडीशन्स को हम जानते हैं और देवरिया हमारा भाई है। हम चाहेंगे कि जो पैसा दिया जाय वह देवरिया को भी दिया जाय, आजमगढ़ को भी दिया जाय और सबको दिया जाय।

मान्यवर मुसीबतजदा तो हम हैं ही। जहां तक मुमकिन हो सरकार हमारी मदद करे और इसके अलावा परमात्मा से प्रार्थना की जाय कि इस देश के ऊपर यह जो पाप है, यह विपत्ति है वह कट जाय।

इसके अलावा हमारे पहाड़ी इलाके के जो भाई लोग हैं और उनके यहां जो जंगल काटे जा रहे हैं, बाढ़ का एक यह भी कारण है। आज पहाड़ों पर बाढ़ के रोकने का कोई जरिया नहीं है क्योंकि जंगल कट गये हैं और पानी ऊपर रुकता नहीं है इस वजह से पानी बड़े वेग से मैदान में आ जाता है। इसका भी प्रबन्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में इंजीनियरों से भी कहना चाहता हूं कि वह कोआपरेट करें क्योंकि यह अंग्रेजी हुकूमत नहीं है। ऐसा जवाहरलाल जो ने कहा था और उस वक्त मैं वहां मौजूद था। साथ ही साथ मैं अपने जमींदार भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कि जंगलात कटवाये हैं कि वह अपने मुल्क की जिम्मेदारी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आज आपको रियलाइज करना है कि हमें देश की भलाई के लिये तन मन धन न्यौछावर कर देना है। यह दैवी मुसीबत है, इससे हमें बचना है। किसी ने अमेरिका का और किसी ने लाल चीन की नदी का नाम लिया। श्रीमन् हमें लाल चीन की नदी से क्या मतलब। हमारे सर पर तो राप्ती नदी चढ़ी हुई है। हमें उसको देखना है। पहले हमें अपने घर में दिया जलाना है तब दूसरे घर में जलायें।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की फीस माफ की जाय, हमारी मेडिकल ऐड का इन्तजाम किया जाय। इसके साथ ही यदि सरकार

कुछ वस्त्र का भी प्रबन्ध कर दे तो अति उत्तम होगा इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री से अपील करूंगा कि बस्ती पर पुनः उनकी नजर रहे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—मोहतरिम स्पीकर साहब, यह वाक्या है कि पानी बहुत ज्यादा बरसा और बाढ़ आई। और आती भी रहती है। एक अर्से से हालत यह है कि जो भी बला होती है उसका बड़ा हिस्सा हमारे सूबे को जरुर मिलता है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की कोशिश का ताल्लुक है हम नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोशिशें बिल्कुल निकम्मी हैं या गलत हैं। जो आज तक हुआ है वह काफी है और जो कुछ हो सकता है वह किया भी जाता है। लेकिन कुदरत के साथ किसी गवर्नमेंट का बस नहीं चलता है। हालत जो पैदा हो जाती है उसका मुकाबला करना दुश्वार हो जाता है। यह कोई लम्बी चौड़ी बयान करने की बात नहीं है। जहां बाढ़ आ जाती है वहां परेशानियां होती हैं। अब भी पानी बरस रहा है। अब भी खतरा है कि जहां पानी कम हो गया है वहां ज्यादा न हो जाय। जहां मकानात तबाह हो गये हैं वहां बीमारी न फैले। साथ ही थोड़ा सा गल्ला वग़ैरह दे देने से उनकी बरसात भी नहीं गुजर सकती है।

आज गोंडा, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर वग़ैरा में हमारी काफी जमीन जेरे आब है वहां जितनी सहायता दी जा रही है वह काफी नहीं है। बाज हालात के ऐतबार से वह अपनी इतनी मुनासिब नहीं कि जितनी होनी चाहिये। कहीं आपने ५ रुपये दे दिये तो वह किसी न किसी काम में खर्च हो जाते हैं।

मेरी अर्ज यह है कि जहां ऐसे छोटे-छोटे मकान गिर गये हैं, शहरों में भी बहुत से मकान गिर गये हैं। उनके लिये इस बात की जरूरत है कि आप आयरन शीट्स या सीमेंट की चादरें सप्लाई करें और उन्हें रियायत के साथ देने का इन्तजाम करें। अगर मुफ्त नहीं बांट सकते हैं तो लोहे की चादरें, सीमेंट की चादरें और खम्बे वग़ैरा उधार दिये जायं और हालात सुधरने के बाद किस्तों के तौर पर वह रुपया अदा कर दें।

आपकी तवज्जुह ज्यादातर देहात की तरफ चली गई है और जानी भी चाहिये। लेकिन मैं यह कहता हूं कि शहर भी बाढ़ से काफी मोतसिर हुये हैं। लखनऊ शहर भी मोतसिर हुआ है। एक फर्ज तो यहां की म्युनिसपैलिटी जरूर अंजाम देती है कि जिसका मकान ख़तरे में देखती है उसको गिरा देती है। मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जब वह चले आते हैं तो एक बिल पहुंचता है और उसके दाम उनको देने पड़ते हैं। मजदूरी वग़ैरा देनी पड़ती है जो जरूरत से ज्यादा होती है। मकान गिरा देने के बाद गवर्नमेंट की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मकान का एक हिस्सा गिरा दिया जाता है जिससे मकान बेपर्दा हो जाता है और चोरी होती है, सड़क पर दीवार गिर जाती है जिससे पानी रुक जाता है जो नाली में से निकल कर घरों में चला जाता है। ऐसी हालत में यह होता है कि सिर छिपाने तक को ठिकाना नहीं रहता है। अगर मकान गिराने के साथ तामीर की भी कोशिश करें और ऐसी चीजें सप्लाई करें जैसे वह छप्पर डालकर आराम से रह सकें तो अच्छा हो। जनाब स्पीकर साहब, उन अजला में जहां काफी बाढ़ आ चुकी है, जहां काफी तबाही आयी है जो कुछ भी इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है जिसका एलान अखबारात में भी हुआ है वह यक़ीनी तौर पर बहुत कम है और इससे ज्यादा होनी चाहिये। आप अगर बाढ़ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो एक चीज का जरूर मुक़ाबिला कर सकते हैं कि बाढ़ का जो नतीजा है, पानी के बरसने की ज्यादती का जो नतीजा है, यानी उसमें जो मकानात गिरें उनके लिये आप जरा अपने हुक्काम को जिनके मुताल्लिक़ आज भी

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

दुनिया की निगाह शक व शुबहा से भरी हुई है, जिनके फ़ेल को आसानी के साथ क्रिटिसाइज़ किया जाता है और जिसका बहुत कुछ हिस्सा सही भी होता है, उन हुक्काम पर आपकी कड़ी निगाह रहे और आप यह देखें कि आपने जो पैसा और चीजें उनको दी हैं वे उनका आया सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। मुझे शिकायत है और मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि दूर न जाइये, जहां इस गवर्नमेंट की सीट है, लखनऊ शहर में, यहीं को लीजिये, यहां इतने काफी मकानात गिर चुके हैं लेकिन यहां की बेपरवाही की हालत यह है कि लोग सीमेंट की परमिट लेने जाते हैं तो उनको क़तई तौर पर कई-कई घंटे वहां पर खड़ा रहना पड़ता है और अगर दस बोरी की जरूरत हुई तो एक बोरी उनको उस वक्त मिलती है जब दो-दो, तीन-तीन दिन दौड़ते हैं। अगर यह तरीक़ा जारी रहा तो आपने जितनी मदद की है वह नाकाफ़ी होने के साथ-साथ बिल्कुल बेकार चली जायगी।

जनाब स्पीकर साहब, हिज्ब मुखालिफ ने, उधर के बैठने वालों ने या इधर के बैठने वालों ने, मेरा ईमानदारी के साथ यक़ीन है कि इस मसले को न गवर्नमेंट पर एतराज करने की नीयत से सोचा होगा और न सोचना चाहिये और न सिर्फ तनक़ीद की निगाह से इसे देखना चाहिये बल्कि हमको यह देखना चाहिये कि हमारे वह छोटे-छोटे मुलाजमीन जो जरूरत पर बहुत ज्यादा मुफ़ीद साबित हो सकते हैं कि आया उन्होंने देहातों के अन्दर और शहरों के अन्दर उन मुसीबतजदा लोगों के साथ अपने फ़रायज ठीक अंजाम दिये या नहीं। यह एक बड़ी चीज है जिसको आप ग़ौर करें। मैं अब आपका ज्यादा वक्त न लूंगा, सिर्फ इतना कह कर बैठ जाऊंगा कि जिन लोगों के मकानात गिर गये हैं उनको कम से कम इतनी सीमेंट दी जाय कि वे कम से कम छप्पर डाल कर बैठ सकें। शहरों में अगर सीमेंट की चद्दर और लोहे की चद्दर सप्लाई की जायंगी तो मेरे ख्याल में मुश्किलें आसान हो जायंगी। मैं आपकी तवज्जह इस तरफ जरूर दिलाऊंगा कि यह जो दिक्क़त हो रही है और लोगों को शिकायत है कि उनको सीमेंट वग़ैरह नहीं मिलता है इसके लिये आप सप्लाई डिपार्टमेंट को यह हुक्म दें कि जो मुसीबतजदा लोग आयें उनके बारे में अगर उनको शक हो तो वह जांच कर लें और जो जरा फिरौनियत का बर्ताव होता है वह बर्ताव नहीं होना चाहिये इसलिये कि उससे उन टूटे हुये दिलों को तक़लीफ पहुंचती है और यह चीज आगे जब हम मैदान में आते हैं तब हमको पता चलता है कि ये चीजें गवर्नमेंट की प्रेस्टीज को किस हद तक नुक़सान पहुंचाती हैं और यह चीज मैं जरूर अर्ज करूंगा कि छोटे मुलाजिमीन काफ़ी तवज्जह नहीं दे रहे हैं और गवर्नमेंट को सख्ती के साथ देखना होगा कि वह चन्द दिनों के अन्दर हर जिले में वहां के मुसीबतजदा लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, काफी अर्से से इस विषय पर बहस हो रही है और अब यह माननीय राजस्व मंत्री को बतलाना नहीं है कि किन किन नदियों में बाढ़ आई और कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। मैं संक्षेप में सिर्फ़ थोड़ा उन समस्याओं की तरफ माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो असल में अब आने वाला है। अभी तक सदन में मैं ग़ौर से इस बात को देखता रहा और जिस गम्भीरता के साथ इस विषय के लिये वक्त दिया गया मैं समझता हूं कि यह सदन अभी तक नहीं महसूस कर रहा है कि एक इतनी बड़ी विपत्ति हमारे सूबे में कई जिलों में पड़ी। उसका कारण यह नहीं है कि उसका कोई एहसास नहीं है बल्कि उसका कारण यह है कि जो और भीषण समस्या आगे आने वाली है उसका कोई एहसास नहीं हो रहा है जैसा कि राजस्व मंत्री ने बतलाया कि अभी तक बाढ़ देर में आती थी, जब फ़सल कुछ बढ़ जाती थी लेकिन इस साल जो नया फ़ीचर सामने आया है वह यह है कि बाढ़ पहले

ही आ गयी। मान लीजिये १५–२० दिन तक पानी रहा और लगातार बरसता रहा तो उन जिलों के लोगों के लिये ६, ७, ९, ९ महीनों के लिये खाने का इन्तजाम करना है। इस तरफ सरकार को लांग रेंज पलिसी द्वारा ध्यान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त जब बाढ़ खत्म हो जायगी और उसके आफ्टर इफेक्ट्स यानी मलेरिया, हैजा आदि ऐपीडैमिक्स फैलेंगे। उसके लिये सरकार के स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहना चाहिये और अपनी यूनिटों आदि को अभी से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिये।

आगे चलकर कितना रुपया बिना सूद तकावी के रूप में, बीज के रूप में, फीस के रूप में सरकार को देना है उसके लिये सरकार को पहले से ही हिसाब लगा लेना चाहिये और उसके लिये तैयार रहना चाहिये। जो समस्या बाद को हमारे सामने आने वाली है उसके लिये हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो प्रदेश का बड़ा उपकार होगा। उधर से दावा किया गया कि हर साल बाढ़ का मुकाबला किया जाता है और इधर से यह लांछन सरकार पर लगाया गया कि कोई खास महत्वपूर्ण क़दम नहीं उठाया गया। सन् १९४६ से ५३ तक कांग्रेस सरकार को ७ साल हो गये लेकिन उसने बाढ़ की समस्या को रोकने के लिये कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। चीन, रूस और अमरीका की बात कही जाती है तो वे घबड़ाते हैं, यह बुरी बात है हमें दूसरे देशों से सबक लेना चाहिये जैसे कि हम चीन से सबक ले सकते हैं कि उसने अपनी जनसंख्या का किस प्रकार से उपयोग किया है। १६–१६ लाख आदमियों ने मिलकर नदियों को गहरा किया, नदियों के रुख को मोड़ा। यह उनका सराहनीय कदम है इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिये।

मैं पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों की समस्या को उत्पन्न करना नहीं चाहता और मैं यह भी नहीं मानता कि सरकार जानबूझ कर उसमें विभेद करती है लेकिन यह बात अवश्य है कि पूर्व में यह समस्या सतत रहती है और इस समस्या की तरफ यू० पी० की सरकार ने क्रिमिनल नेग्लीजेंस किया है जो किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिये। हर सरकार का ऐसी हालत में कर्तव्य होता है कि वह ऐसे विषयों पर बड़े बड़े विशेषज्ञों की एक कमेटी बिठाये और लांगरेंज पलिसी से काम ले। इस सिलसिले में मैं रिहन्द डैम को नहीं भूल सकता वह भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है। अगर किसी समय फारेन इनवेजन हो जाता है और दामोदर बैली तथा भाखरा आदि डैम नष्ट हो जाते हैं तो उन स्थानों को रिहन्द डैम से बिजली सप्लाई की जा सकती है। यह बाढ़ के लिये भी सहायक हो सकता है। नहरों का जाल बिछाया जाना भी अत्यन्त उपयोगी हो सकता है। ऊंची सतह को गहरा करके और नदियों के रुख को बदल कर भी बाढ़ों से बचा जा सकता है। रिहन्द डैम बनने से पूर्वी जिलों में नहरों का जाल फैल जायगा और वह बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। मैं मानता हूं कि सिंचाई मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने पूर्वी जिलों की सिंचाई की समस्या पर बड़ी तत्परता दिखाई है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत से ट्यूबवेल्स बनाये जा चुके हैं और बहुत से बन रहे हैं लेकिन मेरी बातचीत यू० पी० सरकार के कई विशेषज्ञों से हुई उनका कहना है कि पूर्वी जिलोंमें ट्यूबवेल्स कामयाब नहींहो सकते। एकएक ट्यूबवेल्स में १-१ लाख रुपया लगेगा और अगर वे कामयाब न हुए तो बड़ा नुक़सान होगा। इसलिये अगर नहरों की योजना बनाई जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी एस्टीमेट कमेटी के सिलसिले में मुझे मिर्जापुर जाना पड़ा। वह एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर एक नदी का पानी दूसरी नदी में और दूसरी का तीसरी में डाला गया है इस प्रकार से गोंडा, बहराइच और फैजाबाद तथा अन्य पूर्वी जिलों के इलाके लिये जा सकते हैं। वहां पर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी जाय जो नहरों के वहां पर जाल बिछाने पर विचार करे। उन नहरों के जरिये से बाढ़ की समस्या को रोका जा सकता है। इसी तरह जहां नदियों की सतह ऊंची है वहां उनकी सतह नीची कर दी जाय और जहां आवश्यकता है उनका रुख बदल दिया जाय तो पानी दूर-दूर तक फैल

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जायगा और बाढ़ को किसी हद तक काबू में किया जा सकेगा। तो यह योजना यू० पी० सरकार की रिहन्द डैमके सम्बन्ध में थी और इसकी जैसी उपेक्षा की गयी है उसको हम अंग्रेजी में क्रिमिनल नेगलिजेंस ही कह सकते हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त शिकायत की जिसकी वजह से रिहन्द डैम की योजना को छोड़ दिया गया लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अभी जो योजना है उस पर सरकार काम करे तो यह काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर ६, ७ साल पहले इस योजना पर काम किया जाता तो इस साल नहीं तो अगले साल कम से कम हमारे राजस्व मंत्री जी फख्र के साथ कह सकते कि पूर्वी जिलों में अब कोई बाढ़ नहीं आयेगी। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अब भी देर नहीं है, बाहरी विशेषज्ञों की कमेटी या यहीं के विशेषज्ञों की कमेटी, हमारे इरीगेशन डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे इंजीनियर्स आज हैं जिनकी फारेन कंट्रीज में वान्ट है, उनको एक कमेटी बनाकर मैं समझता हूं कि ट्यूबवेल्स स्कीम पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और नहरों का जाल बिछाकर ही इस समस्या का आखिरी हल किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सरकार इन आपत्तियों पर विशेष ध्यान देगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं अपनी बदकिस्मती का और जिस क्षेत्र का मैं नुमाइन्दा हूं उसके अभाग्य का और वहां के निवासियों के दुर्भाग्य की दयनीय स्थिति का पहली बार वर्णन करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। कई बार इस सदन में बस्ती जिले की, गोरखपुर जिले की और देवरिया आदि जिले की मुसीबतों का जिक्र, कभी सूखा के सिलसिले में, कभी अधिक बाढ़ आ जाने के सिलसिले में, कभी महामारी के संबंध में बराबर आता रहा है। वहां के निवासियों का कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि विभिन्न प्रकार से दैवी प्रकोप उनके ऊपर समय समय पर आता रहता है। मैं आज इस सदन में वहां की मुसीबतों का वर्णन करके न तो किसी के ऊपर लांछन लगाना चाहता हूं और न यही आशा करता हूं कि थोड़े अर्से में हमारी यह विपत्ति दूर ही हो जायगी। जब हमारे यहां अन्न का अभाव हुआ तब हमने सरकार के समक्ष और इस सदन के सामने अपनी उन सारी तमाम मुसीबतों का जिक्र किया और सरकार ने कृपापूर्वक लाखों रुपया इन जिलों को जो कि विपत्तिग्रस्त थे, जहां स्केरसिटी थी, दिया। आज दुर्भाग्य है बस्ती जिले का, यह कहते हुए मैं कोई हर्ष का अनुभव नहीं कर रहा हूं बल्कि हमें ग्लानि होती है और लज्जा भी आती है कि सदन के समक्ष हमारी विपत्तियों का जिक्र इतने ऊंचे दर्जे पर किया जा रहा है। हमें डाह की बात कोई कहने की तो है नहीं। हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने अगर देवरिया जिले की तकलीफों का इजहार किया और मुसीबतजदा जिलों का नाम ले लिया तो इसमें कोई पाप की बात नहीं है। वहां पर भी तकलीफें हैं। आज जो ५० वर्ष पहले के लोग हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है उन लोगों की रिपोर्ट मेरे पास है और वह लिपिबद्ध होकर आयी है और जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति महोदय की भी छाप है, उनका कहना है कि आज से ५० वर्ष पहले ऐसी कोई बाढ़ नहीं आयी है। बांसी तहसील के करीब-करीब ४०० गांव जलमग्न हो गये हैं और उन जगहों का तो कुछ जिक्र करना ही नहीं है जहां कि नदियां ही नदियां हैं। बांसी तहसीलके उत्तरी हिस्से में बूढ़ी राप्ती, बान गंगा और राप्ती स्वयं इसके अलावा और भी कई छोटी-छोटी नदियां हैं जो साधारण बरसात में समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं और जब विशेष प्रकार की वर्षा होती है तब तो उसकी गति और उनकी शक्ल सिवा समुद्र के हम दूसरी नहीं कह कसते। मान्यवर ! यह केवल बांसी तहसील की ही स्थिति नहीं है बल्कि खलीलाबाद में मेंहदावल से लेकर दक्षिणी हिस्से हैसर, मुखलिसपुर तक जहां पर आमी, कुआनों और घाघरा नदियां बहती हैं वहां की भी ऐसी ही विकट स्थिति है। इसी तरह से हरैया तहसील में जहां क घाघिरा नदी आदि बहती है और वह अयोध्या के निकट का हिस्सा पड़ता है, बस्ती

तहसील में भी आमी नदी खूंख्वार शक्ल पैदा करके परेशान करती है। गरज कहने की यह कि इस वृष्टि से ७५ हजार एकड़ हमारी जमीन अभी जलमग्न है जिसमें डुमरियागंज तहसील भी शामिल है। सारे बस्ती जिले में हजारों के करीब, ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन बांसी तहसील के लिये साफ़ तरीके से कह सकता हूं कि ५०० के करीब गांव जलमग्न हैं। नतीजा यह हो रहा है कि बांसी के ही करीब एक पथरा तालाब है जिसके इर्द-गिर्द में बाढ़ नहीं आ पाती थी, सन् ३८ की बाढ़ आई कोई असर नहीं हुआ लेकिन आज यह नतीजा हुआ कि खरीफ की फसल बोई गयी थी उसमें पानी की निहायत जरूरत होती है लेकिन बाढ़ आ जाने से सारा का सारा धान बिल्कुल जहद गया है। खेतिहर भाषा में जहदना कहते हैं धान का पीला पड़ जाना और आगे चलकर सड़ जाना। जो फाइन राइस नर्सिंग बेड के तरीके पर अगहनी धान का बीज बोया गया था वह भी सड़ गया है। वहां के किसानों को चैत मास तक दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि माननीय माल मंत्री कहां से इतना धन लाकर उनकी विपत्ति दूर कर सकेंगे। उन्होंने अपने प्रथम भाषण में फ्लड की परिभाषा की तरफ जोर दिया और यह भी कोशिश की समझाने की कि फ्लड किसे कहते हैं और बाढ़ को कोई ऐसी भयावनी चीज नहीं समझना चाहिये जैसे कोई संक्रामक रोग हो। वह इस सम्बन्ध में क्या जानें। उनको उतना तजुर्बा नहीं है जितना कि वहां के निवासियों को है जो आये दिन इन मुसीबतों को देखते और सहते रहते हैं। अभी हाल ही में वहां बाढ़ आई थी। उसके बाद हेल स्टार्म आया और उससे वहां के निवासी संभल नहीं पाये थे कि भयंकर बाढ़ आ गयी। यह दैवी प्रकोप ऐसा हुआ कि सारी की सारी फसल जाती रही और माल मंत्री महोदय को मजबूर होकर कहना पड़ा कि बस्ती जिले में भयंकर बाढ़ का प्रकोप है और वहां बड़ी ही दयनीय अवस्था है। बांसी के पास गुलरिहा गांव है। चारों तरफ वह जल से घिरा हुआ है। मवेशी बह गये, लोग मरने की ओर पहुंच गये, बहुत से फाका कर रहे हैं। अगर कहीं से सहायता हो सकती है तो सरकार से हो सकती है। एक जमाना था, बड़े-बड़े ताल्लुकेदार जब होते थे, या जमींदार होते थे। उनमें जहां बुराइयां थीं वहां वह मदद भी, पुण्य-दान भी कर दिया करते थे। नरकटहा बांसी नरेश की रियासत का केन्द्र है। श्री राजा बहादुर बांसी ने अपने पावर हाउस पर घंटों खड़े होकर वहां की मदद की और उनकी तकलीफ अन्न, चारा देकर थोड़ा बहुत दूर किया। महोदय मैं सिर्फ बस्ती जिले की दयनीय अवस्था की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना विशेष रूप से चाहता हूं। मुझे माल मंत्री के मुहकमे के राज की बात तो नहीं मालूम कि किसको कितना रुपया देते हैं लेकिन अखबार में मैंने पढ़ा है कि जिस बस्ती की तरफ उनकी बड़ी मेहरबानी है और उन्होंने यह भी सर्कुलर लेटर्स निकाले हैं कि जितना रुपया खर्च करना चाहें जिला अधिकारी करें लेकिन केवल २५ हजार रुपये बस्ती को मिले हैं अध्यक्ष महोदय जब कि एक तहसील बांसी में ४०० गांव सैलाब से परेशान हैं तो शायद ५४ हजार रुपया सारे सूबे के लिये है जो नाकाफी है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं कि जितना रुपया चाहें खर्च करें लेकिन संक्षेप में माननीय माल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ आने पर अन्न, वस्त्र और दवाइयों की परम आवश्यकता होती है। खसूसन बांसी तहसील, खलीलाबाद और बस्ती, डुमरियागंज-हरैया में चलने फिरने वाले अस्पताल की ऐसे समय निहायत जरूरत है। पहले तो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कपड़ा आदि बाढ़ पीड़ितों को दान मांग कर दिया करती थी। सन् ३८ में काफ़ी कपड़े मिल जाते थे। लेकिन अब वह जमाना चला गया। अब तो मांगने पर एक चीथड़ा भी मुश्किल से मिल सके। अगर कोई मदद की उम्मीद हो सकती है तो वह सरकार से और माननीय माल मंत्री से ही हो सकती है। किन्तु हमारा यह कटु अनुभव है कि यहां (प्रान्त) से हिदायत होने पर भी पिछले बाढ़ से घिरे हुये मकानात नहीं बनाये गये, अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो इस विपत्ति का निवारण होना असंभव हो जायगा। मान्यवर! पूर्वी जिलों की भयावह स्थिति जो है उसको मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस थोड़ी सी रकम से हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। सरकार को चाहिये कि काफी रकम दे और हम लोग भी जहां तक हो सकेगा अपने श्रम से उनकी तकलीफों को दूर करने का सतत प्रयत्न करेंगे।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनसे अगर्चे कोई रचनात्मक सुझाव तो सुनने को मिले नहीं लेकिन कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कोई विध्वंसात्मक या नकारात्मक आलोचना भी नहीं की गई बल्कि मसलों को समझने की कोशिश की है। अगर्चे जैसा मैंने कहा उसमें से कोई रास्ता वह बतला सकें हों, मुझे कोई रोशनी, कोई चमक उसमें नहीं दिखलाई पड़ी। मैं तो जो दो रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं उनका भी क्रमशः जिक्र करूंगा लेकिन हमको इसकी जो थोड़ी बहुत बुनियादी बातें हैं उन पर विचार करना चाहिये। लोगों को तकलीफ है और मैं या कोई साहब उनकी तकलीफों को अच्छी तरह समझते नहीं हैं और उस पर एक नक्शा बना लेने या समस्या को स्टेट कर देने से ही काम नहीं चलेगा। बेशक जिस पर पड़ती है वही जानता है लेकिन हम सब लोग जनसेवक होने का दावा करते हैं। हमारा सब का खयाल यह है कि उनके ऐसपरेशंस और उनकी नीड्स को, उनकी इच्छाओं को और उनकी जरूरतों को हम बतावें उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उनके मसलों को समझते हैं और केवल उसी नाते जो कुछ यहां कहते हैं वह करते हैं। बाकी जो तकलीफ पड़ती है सब उसको भुगता जाय और तभी बोला जाय तब तो मैं समझता हूं वह असम्भव हो जायगा। बुनियादी बातें क्या हैं। उन्हें हमें समझना चाहिये। ये बाढ़ें आती क्यों हैं। क्या इस पर हम विचार करेंगे कि ये बाढ़ें रोकी जा सकती हैं और अगर रोकी जा सकती हैं तो क्या क्या कदम उसके लिये उठाये जा सकते थे और क्यों नहीं उठाये गये अगर गवर्नमेंट ने नहीं उठाये, इस पर हमें विचार करना है। बाढ़ पर जितना अब तक मैंने पढ़ा और जितना अभी टेक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट आयी है और मैंने जितना थोड़ा सा देखा है उसके देखने से यह मालूम होता है कि बाढ़ आने के चार कारण हुआ करते हैं। पहला तो अधिक वर्षा का हो जाना, दूसरे यह कि जमीन का नंगा हो जाना अर्थात् दरख्तों का कट जाना, वनस्पति का कम हो जाना या बरसात के दिनों में खेतों को खाली छोड़ देना या खेतों में मेड़ न होना या डेन्यूडेशन आफ दि स्वायल या लेइंग इट बेयर यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि नदियां अपना कोर्स, अपना रास्ता बदलती रहती हैं तो उसके जरिये से बाढ़ आ जाती है। चौथा कारण यह है कि सड़कों, नहरों और रेल की लाइन्स, इनका फाल्टी एलाइनमेंट, उनका जो नेचुरल ड्रेनेज यानी जो कुदरत की तरफ से बहाव का एक तरीका है, जिस तरफ का ढाल है, स्लोप है वह डिस्टर्ब हो जाता है। वह डिस्टर्ब और अपसेट हो जाता है उसमें खराबी आ जाती है। अगर नहर, नाले, नदी या रेलवे लाइन न होती तो वह पानी जो अपना नेचुरल रास्ता लेता वह रास्ते में रुकावट हो जाती। उन रास्तों में रुकावट होने का मतलब यह है कि वह रास्ते तंग होते और अधिक विशेषज्ञों की राय भी यही है कि बांध जो बांधे जाते हैं किसी नदी वगैरह के वह भी बाढ़ को रोकने का कारण होते हैं। तो यह चार कारण हैं जिनके लिये हमको सोचना है। अब देखना यह है कि हम इनके लिये क्या कर सकते हैं और क्या मेजर ले सकते हैं। असल कारण तो वर्षा है। अगर वर्षा ज्यादा हो जाय या कम हो जाय इसको रोकना तो मानवीय शक्ति के बाहर है। इसको मनुष्य रोक नहीं सकता है और कम से कम मनुष्य के लिये तो यह रोकना कठिन है और आज तक इसको कोई रोक नहीं सका है क्योंकि मनुष्य का ज्ञान उसकी सीमा के बाहर है।

अब दूसरा कारण है जमीन का कटते रहना, खेतों का मेड़ न रहना या दरिया के आसपास की जमीन बराबर कटते जाना। यह दूसरा कारण है इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अर्थात् जहां पर दरख्त होते हैं और जंगल भी होते हैं वहां पर अगर वर्षा तेज भी हो तो वहां पर पानी एकदम नहीं बहता है। पानी तेजी के साथ नहीं बहता है वह धीमे धीमे बहता है इसलिये बाढ़ नहीं आती है। वैसे तो आजकल सभ्यता के युग में जिन चीजों की जरूरत होती है उनकी वजह से दरख्त बहुत कटते हैं, पिछली लड़ाई के जमाने में बहुत दरख्त कटे हैं। पहाड़ों पर भी बहुत

दरख्त काटे गये हैं। हमारे प्रदेश में, नेपाल में भी और दूसरे जंगलों में भी काफी दरख्त काटे गये हैं। तो उनमें जंगल लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह काम कोई एक साल का नहीं है। ५ साल का काम नहीं है और १० साल का काम नहीं है। यह बहुत लांग टर्म मेजर है। उसको हमको करना चाहिये और जितनी भी हमारी सामर्थ्य है वह जरूर करना चाहिये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कोई मामूली काम नहीं है, कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिये बहुत बेल प्लान की जरूरत है। यह किसी एक गवर्नमेंट के बस का काम नहीं है। वो गवर्नमेंट के बस का काम नहीं है। सब मिलकर बहुत सोच समझ कर आगे की बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्लान को अगर बनाया जाय और हम लोग सब मिलकर इसको कामयाब बनायें तब कहीं जाकर इसका असर होगा।

इसी तरह से स्वायल कटाव की बात है उसके लिये काफी प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरे मुल्कों में अमेरिका वगैरह में इसके लिये बहुत कुछ किया गया है। स्वायल कंजरवेशन किस तरह से किया जाय यह एक बहुत बड़ा सवाल है। भूमि की किस प्रकार से रक्षा की जाय यह एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह भी बहुत लांग टर्म प्लान है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया था कि एक स्वायल कंजरवेशन कान्फरेंस हुई थी उसकी सिफारिश को सब माननीय सदस्यों के पास भेजा गया था। मैं नहीं जानता कि किसी ने उसके मुताल्लिक कोई मशविरा दिया है। इसके लिये एक बिल तैयार हो रहा है जिसको हमारा ला डिपार्टमेंट एक्जामिन कर रहा है जब वह यहां से पास हो जायगा तो उसको प्रान्त के थोड़े से हिस्से में लागू किया जायगा और देखा जायगा कि क्या असर उसका होता है। २०, २५ साल में तब जाकर इस कटाव के ऊपर कुछ प्रबन्ध हो सकेगा। और तब यह मालूम होगा कि नदी के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। बुंदेलखंड में भी जो नदी है या घाघरा नदी है या गोमती है उनकी जितनी जमीन कटती जाती है तो उसके कारण उसका बहाव तेज हो जाता है। तो यह जो जमीन कटती है उसको किसी तरह से कंजर्व किया जाय। किसानों को किसी तरह से इस बात को समझाया जाय कि बरसात में उनके खेत न कटें। मानसून के जमाने में अपने खेत का वह ख्याल रखें। यह भी एक लांग टर्म मेजर है लेकिन इसके लिये जितना गवर्नमेंट कर सकती है वह कर रही है। जो इरोजन हो रहे हैं उसके सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह है कि यह भी कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिये हम बजट में दस बीस लाख रुपया मुकर्रर करें तो उससे हम इस पर काबू पा सकते हों और स्वायल का डेनुडेशन रुक सके।

तीसरी बात है नदियों के कोर्स का बदल देना। उसके बहाव के रास्ते को बदल देना। इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त सहमत होंगे कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। मसलन हमारे सूबे में एक नदी गोरखपुर डिवीजन में पड़ती है घाघरा जिसके कोर्स में फर्क पड़ता है। बिहार में तो कोसी और दामोदर का मसला है कि वह कोर्स बदला करती है। मैं जरा देर को श्री गेंदा सिंह अगर कहते हैं तो माने लेता हूं कि बड़ी गंडक भी हमारे यहां बेड बदलती है। लेकिन नदियां कोर्स न बदलें इसके लिये किया क्या जाय। एक तो यह हो सकता है कि जो मौजूदा कोर्स हैं उनको गहरा किया जाय तो उसके लिये कितना रुपया कितना श्रमधन चाहिये और कितना समय चाहिये यह विचार करने की बात है। अगर काफी आसानी से यह काम हो सकता हो तो जरूर करना चाहिये लेकिन सोचने की बात है कि हमारी जो इतनी लम्बी चौड़ी नदियां हैं जो सैकड़ों मीलों से बहती हैं उनके कोर्स को न बदलने के लिये अगर गहरा किया जाय और सिल्ट को हटाया जाय तो कितना खर्च होगा। हमारी टेक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और जैसा कि मैंने कहा मैंने अभी उसको पूरे तौर से पढ़ा नहीं है लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत उसको मैं देख पाया हूं और जो उसकी रिकमेंडेशन्स हैं

[श्री चरणसिंह]

उनको पूरा करने के लिये अपने रिसोर्सेज को देखते हुये जहां भी और जो भी मुमकिन क़दम उठाया जा सकता होगा वह उठाया जायगा। अगर यह हाउस और इसके माननीय सदस्य समझते हैं कि यह मुमकिन है कि किसी नदी का कोर्स बदलने के लिये जिसका बेड हमारी स्टेट में ३०० मील के करीब हो कहां तक सिल्ट अप किया जा सकता है तो यह सरकार उसको करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। लेकिन यह कोई मामूली चीज नहीं है। कहा गया कि इस सरकार ने ५-६ साल से बाढ़ रोकने के लिये कुछ नहीं किया। एक लायक दोस्त कहते हैं कि चीन में ऐसा हुआ और इस तरह से बांध बांधे गये लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बांध के बांधने से बाढ़ का रोकना नामुमकिन होगा और मुमकिन होगा सिर्फ तब जब कि वर्षा न हो। कहीं भी मुझे कोई बतलाये कि कहीं बांध के बांधने से बाढ़ रुक गई हो। यह दूसरी बात है कि बारिश ही न हुई हो और बाढ़ न आई हो, बाढ़ तो बांध से रुक ही नहीं सकती। अधिकतर राय यही है और टेक्निकल सब कमेटी की भी यही राय है कि यह मारजिनल बांध तो उल्टे हैन्डीकेप हैं। मोटे तौर से बांध भी एक ही तरफ लगाये जाते हैं और पानी तो बाढ़ में जितना आ रहा है वह तो आयेगा ही और ऐसी हालत में एक तरफ पानी न जाकर नदी का पानी फिर दूसरी तरफ जायगा और अगर दोनों तरफ भी बांध लगा देंगे तो नतीजा यह होगा कि नदी गहराई में सिल्ट होती चली जायगी और फिर आप कहां तक ऊंचा बांध बनायेंगे। इसलिये इंजीनियर्स की राय है कि बांध बांधना तो और भी हानिकारक है हो सकता है कि कुछ इंजीनियर्स की दूसरी राय हो लेकिन जो बात बताई जाती है और समझ में आती है वह यह है। हो सकता है कि चीन में बांध बांधने से बाढ़ रुक गई हो। अगर झारखंडे राय जी और रामसुन्दर जी देख कर आये हैं तो हो सकता है कि ठीक हो। हमने तो कहीं नहीं देखा कि बाढ़ बांध से रुक गई हो और उस हालत में जब वर्षा अधिक हुई हो। जहां तक अमरीका की बात है वहां केवल बांध के बांधने से ही सफलता नहीं हुई। कहा कि हम अमेरिका की मिसाल नहीं देते हैं। लेकिन क्या आपने अखबारों में नहीं पढ़ा, अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर दें तो आपको याद होगा कि मिसीसिपी में बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी। मिसीसिपी की बाबत सुना था कि वहां पर गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया। राहिन और डैन्यूब में बाढ़ आती है। तो जो बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जिनके रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं जहां पर जान की कोई कमी नहीं, हमारे मित्रों ने कहा कि वहां की मिसाल यूं नहीं देते हैं कि वहां बहुत धन है और बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और हमारा देश बहुत ग़रीब है। मैं अर्ज करता हूं कि जिनके अपार रिसोर्सेज हैं वहां भी मिसीसिपी, डैन्यूब और राहिन नदियों की बाढ़ को नहीं रोका जा सका। इसलिये बाढ़ से जो नुक़सान होता है उसको कम किया जा सकता है केवल इतना हो सकता है। बाढ़ का प्रिवेंशन नामुमकिन है, मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है। अब रहा यह कि जिस पर भगवती प्रसाद दुबे जी ने इशारा किया था उसे मैं मानता हूं कि सड़क, रेलवे, नहर और उसी में बांध आते हैं उनकी वजह से या उनके एम्बैंकमेंट की वजह से और जो पुल बने हुये हैं उनके तंग होने की वजह से ड्रेनेज में खराबी होती है उसको जहां तक हो सके हमको ठीक करना चाहिए। मैं इसको तसलीम करता हूं लेकिन यह भी मामूली काम नहीं है। जो सड़कें अब बन गयीं उन सड़कों को हटा कर दूसरी जगह सड़कें बनाना या रेलवे निकालना यह भी बहुत बड़ा काम है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे मित्रों ने केवल समस्या बतलायी लेकिन सुझाव केवल दो दिये गये एक तो वाजपेयी जी ने दिया कि वहां नावें ज्यादा होनी चाहिये तो यह तो बाढ़ कम करने के सिलसिले में नहीं है। वह तो यह है कि लोगों को जो तकलीफ हो उसको कम किया जाय। दुबे जी ने जो सुझाव दिया, तो गोरखपुर में बहुत सी नावें काम कर रही हैं। कुछ गवर्नमेंट की और कुछ प्राइवेट नावें रिक्वीजीशन कर ली गयी हैं। गवर्नमेंट नाव ले। उससे कुछ लोगों को रोजगार मिल जायगा तो उससे कोई

फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पलड इमर्जेंसी पावर्स ऐक्ट में है उसमें गवर्नमेंट को अधिकार है कि जो मल्लाह लोग हैं उनसे गवर्नमेंट जब चाहे नावें ले सकती है। तो नावें चाहे मल्लाह से रिक्वीजीशन करके ले ली गयी हों या गवर्नमेंट की बनाई नाव मौजूद हों इसमें अन्तर नहीं पड़ता। लेकिन खैर अगर प्राइवेट नावों के लेने में अगर कोई कठिनाई होती है तो मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की अपनी नावों की तादाद गोरखपुर में ज्यादा हो जाय।

दूसरा सुझाव माननीय गेंदा सिंह जी ने दिया कि एक कमेटी बना दी जाय। उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि यह कमेटी बन चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है और उसके सिलसिले में हम उस पर विचार करेंगे और जहां तक मुमकिन होगा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इसलिये किसी किस्म की कमेटी बनायी जाय इसकी मैं जरूरत नहीं समझता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह रिपोर्ट छपी है?

श्री चरण सिंह--रिपोर्ट अभी आयी है। छप भी जायगी कुछ दिनों में।

बैठक का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब पांच बज गये हैं। आप कितने मिनट और लेंगे?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं समझता हूं कि पंद्रह बीस मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो उसके लिये प्रस्ताव कर दीजिये कि पन्द्रह बीस मिनट और बैठें।

श्री चरण सिंह--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आध घंटे तक और बैठे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन आध घंटे और अपनी बैठक का समय आज बढ़ा देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (क्रमागत)

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--दो बातें मैंने अर्ज की थीं एक तो यह कि बाढ़ हमेशा खुदाई नहीं होती है। ऐसा भी है कि लोग बाढ़ चाहते हैं और उससे पैदावार बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ मैंने यह कहा था कि यह बात ठीक है कि अभी ज्यादातर जगहों में लोगों को बाढ़ से तकलीफ होती है लेकिन जो तकलीफ होती है वह भी इतनी नहीं है जितनी कि हम समझे बैठे हैं। लेकिन खैर माननीय गेंदा सिंह जी का ख्याल, रामकुमार शास्त्री जी का ख्याल और कुछ दोस्तों का ख्याल है कि नहीं, बहुत तकलीफ होती है। मानलीजिये कि वह तकलीफ होती है। क्या इलाज है उसका? उसका इलाज बतलाया जाय। कहा गया कि हजारों जानवर हैं, उनके जाने की जगह नहीं है, हजारों आदमी हैं उनके जाने की जगह नहीं है। मैंने तो अर्ज किया कि हजारों आदमी अपने मकान छोड़ते नहीं हैं। मेरे पास रिपोर्टस हैं। अफसरान गये और लोगों से कहा कि मकान खाली कीजिये तो उन्होंने कहा कि नहीं जायेंगे। और देवरिया की रिपोर्ट खास तौर से है कि जितनी भी आबादी है वह अधिकतर ऊंचे स्थान पर बनी हुई है बाढ़ का असर आबादियों पर नहीं होता। मकानों में पानी आया और निकल गया। मकान गिरते नहीं। तो आबादी इस तरह से बनी हुई है कि वह ऊपर रहती है। दो चार दिन पानी ठहरा मवेशियों को देखा कि पानी आने वाला है तो उनको जंगलों में, रिस्तेदारों के पास

[श्री चरणसिंह]

कहीं भेज दिया। वर्ना मैं आपकी इजाजत से फिर दोहराता हूं कि लाखों एकड़ जमीन और हजारों गांव जलमग्न हैं और जल आया हुआ है मुझे इनकार नहीं है, तो उसकी वजह से जो हम अपने मानसिक चित्र में यह खींच लेते हैं कि बरबादी हो गयी, लाखों आदमी मर गये, मकान सब ढह गये, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी तकलीफ है और हजारों आदमी मर गये और जानवर बह गये तो क्या इलाज उनके लिये है ? गांव गांव में एक भंडार भुस का खोला जाय ? और वह भी ऊंची जगह खोला जाय जहां पानी न पहुंच सके और उसके लिये एक पुख्ता मकान बनाया जाय, क्योंकि वह मकान भी गिर सकता है। क्या इलाज किया जाय ? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी है लिहाजा सब काम असम्भव वह कर सकती है। कैसे कर सकती है ?

४,७७४ गांवों पर इस बाढ़ का असर पड़ता है। हो सकता है कि बाढ़ इससे ज्यादा भी आ सकती थी। तो इन सब गांवों में पहले से भूसा, चारा, कपड़ा इकट्ठा किया जाय गांव गांव, वह नहीं हो सकता। यही हो सकता था कि इन-इन गांवों के आस पास जो ऊंची जगह हैं उन में सामान इकट्ठा किया जाय। जिन जिलों में इस तरह का अन्देशा था वहां किया गया। फ्लड पोस्ट्स वह कहलाती हैं। जब अफसरान ने देखा कि आशंका है तो उस से कुछ रोज पहले हैं। उन्हों ने इन्तजाम कर लिया, बजाय इसके कि मुस्तकिल तरीके से गांव-गांव में तमाम इन्तजामात साधनों जाते और हर मवेशी, हर व्यक्ति के लिये, हर बच्चे के लिये इन्तजाम हो वह नामुमकिन देखना यह है कि अपने रिसोर्सेज और साधन कितने हैं उन्हीं के मुताबिक काम हो सकता है। उन के होते हुये अगर गवर्नमेंट ने, राजकर्मचारियों ने कोई कोताही की हो तो उसके लिये मैं कसूरवार अपने को मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन हमारे मौलाना शाहिद फाखरी ने एक जनरल स्पीच दे डाली कि राजकर्मचारियों को चाहिये कि पहले जैसा काम नहीं चलेगा और अब उनको जानना चाहिये और बहुत बातें कहीं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कुल सदन के सामने कि अगर वह मुझको कहीं बतला दें कि राज कर्मचारी फलां जगह जा सकता था, उसको उन्होंने कहा या उसके ऊपर के अफसर ने उसको हुक्म दिया और उससे ज्यादा जरूरी काम उसके पास होते हुये भी वह नहीं गया, अगर ऐसी बात हो और मेरे नोटिस में आयेगी तो उसको सख्त सजा दी जायगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ कहना है इसलिये कह दिया जाता है। अभी रामजी सहाय जी और दुबे जी ने देवरिया और गोरखपुर की जो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि उनके यहां के राज कर्मचारी जितना संभव है उतना कर रहे हैं।

तो अब रहा यह कि कुल कितना नुक्सान हुआ है और उसके लिये गवर्नमेंट ने क्या किया है। पहले तो, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि प्रिकाइनरी मेजर्स, एहतियाती कार्रवाई, सब जगह कर दी गयी थी। २० जून का जो खत है वह मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पढ़ कर सुना देता हूं।

"Sir,

In view of the approach of the rainy season, I am directed to impress upon you the urgent necessity of taking prompt and energetic measures for the relief of distress in the areas which may be affected by floods in your district. In this connexion your attention is invited to printed G. O. No. 2784/1-S-26-1949, dated June 23, 1949 which contains detailed instructions for combating the menace of floods. Government are glad to note that prompt action was taken by you last year on the lines indicated in the above G.O. and it proved to be effective. It is hoped that similar action will be taken this year also so that succour reaches those in need without any avoidable delay.

I am also to request that Government in the Scarcity Department may be kept constantly informed of the flood situation in your district with particular referrence to relief measures taken by you."

यह २० जून को यहां से लेटर गया। इसकी मंशा यह है कि क्योंकि वर्षा आ रही है इसलिये मैं आपका ध्यान इन जरूरतों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन इलाकों में बाढ़ आने का अंदेशा है आपके जिलें में, उसमें आप पहले से एहतियाती कार्यवाही करें और मैं आपका ध्यान जी० ओ० नं० २७८४/१ एस–२६–४९–तारीख जून २३, १९४९ में भेजे गये आदेश की ओर भी जिसमें कि तफसीली बातें इस तरह की दी हुई हैं, उसकी ओर आकर्षित करता हूं। गवर्नमेंट यह जानकर खुश है कि आपने पिछले साल इस सिलसिले में जो काम किया था, प्राम्प्ट ऐक्शन लिया था, वह बहुत प्रभावशाली हुआ। इस साल भी आशा की जाती है कि इसी तरह की एहतियाती और जरूरी कार्यवाही आप करेंगे।

अब अमल हुआ या नहीं हुआ और जहां तक आजमगढ़ की बात कही गई तो उसके लिये मैं अभी बस्ती, गोरखपुर, और देवरिया जहां कि बाढ़ का ज्यादा असर है वहां कब और कौन सी कार्यवाही हुई वह मैं सब पढ़कर सुनाने वाला हूं। लेकिन जहां तक आजमगढ़ की बात है मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय और झारखंडेराय जी को बताना चाहता हूं कि यह आजमगढ़ उन १३ जिलों में शामिल नहीं है जो कि आमतौर पर बाढ़ के जिले कहलाते हैं। तो अगर उन्होंने पहले से कोई इस तरह की एहतियात नहीं बरती तो इसमें जिले के अधिकारियों का कोई दोष नहीं और जहां तक वहां की बाढ़ का ताल्लुक है तो जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चिट्ठी आयी है, उससे साबित होता है कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ नहीं आई है और वह उसके लिये जरूरी कार्यवाही भी कर रहे हैं। वह लिखते हैं।

"About 40 villages near Dubari of Tahsil Ghosi and about 73 villages of tahsil Sagri have been affected by floods. The affected area is approximately 110 sq. miles.

Relief measures: Adequate number of boats were rushed to the area needing immediate attention along with the S. D. O. and other Revenue staff. About 3,000 persons were assisted in evacuation and more than 5000 cattle had to be evacuated.

A. P. Shops had been set up at Dubari. Suggi Chauri and Dohrighat.

तो तीन जगहों पर उन्होंने दुकानें पहले ही कायम कर दीं और तीन हजार आदमियों को भी उन्होंने पानी से बचाया और ५ हजार मवेशियों को और जो उन्होंने लिखा है कि और रुपये की उन्होंने मदद मांगी है।

श्री रामसूरत पांडेय (जिला आजमगढ़)––मैं निवेदन करना चाहता था कि क्या इसकी जांच कराई जा सकती है कि ३१ तारीख तक कितने आदमी निकाले गये थे।

श्री चरण सिंह––हां, अगर आप यह चाहते हैं कि किस तारीख में आदमी निकाले गये तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

जहां तक टेहरी-गढ़वाल का ताल्लुक है तो टेहरी गढ़वाल भी उन जिलों में नहीं है कि जहां बाढ़ आती है और यह बात आमतौर पर सही है कि टेहरी गढ़वाल में जो कि पहाड़ी जगह है वहां पर इस तरह बाढ़ नहीं आती और जो उनका लेटेस्ट लेटर है उससे साफ होता है कि वहां बाढ़ नहीं है। अगर माननीय बालेन्दुशाह जी चाहें तो मैं इन्फार्मेशन उनको दिखा दूंगा और अगर इसमें कोई शिकायत पायेंगे तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जांच करने के लिये तैयार हूं। जहां तक गोरखपुर बस्ती और देवरिया का ताल्लुक है, बस्ती के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखते हैं कि:––

"Precautionary measures to afford flood relief had been taken in the district and the S. D. Os. were stationed at their respective Tahsil headquarters from the very beginning of July, 1953."

"Ten Governmeut boats in the district were not sufficient to cope with the situation and 37 boats were engaged on hire and 78 boats were made available through local efforts,,

[श्री चरणसिंह]

तो १२५ नावें वहां इस वक्त काम कर रही हैं। गवर्नमेंट के पास तो इतनी नावें हो ही नहीं सकती हैं कि वे बाढ़ के लिये काफी हों। इसलिये जो प्राइवेट नावें होती हैं उनको रिक्वीजिशन कर लिया जाता है और उनसे सहायता पहुंचायी जाती है।

"Fourteen flood posts were opened in the danger zones. All these posts were well stocked with foodgrains, salt, kerosene oil, gram, gur match-boxes and prophylactic medicines and the rescue parties operated from these posts carrying all the essential commodities on boats to the distressed people for sale and for free distribution to the poor and helpless."

तो १४ ऐसे गांव थे जहां वह सामान इकट्ठा कर सकते थे और वहां नाव के जरिये जो पीड़ित लोग थे उन तक पहुंचाने की कोशिश की गयी। इसी तरीके से देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखते हैं:--

"A meeting to discuss flood arrangements and take all necessary steps well in time was held on June 15, 1953 in the collectorate."

१५ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मीटिंग की। इंस्ट्रक्शन्स के मातहत २० जून का जो हमारा शासकीय आदेश था उसके लिये उन्होंने इन्तजार नहीं किया।

"All the S. D. Ms. and tahsildars attended. Every S. D. M. was provided with funds."

इसी तरह से गोरखपुर से वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखते हैं:--

"Instructions for rescue, evacuation and relief envisaged in Part II which comes in operation at flood level 243.45, were issued on 23. 7. 53. when flood level was 242.1."

वहां फ्लड लेविल का डेन्जर प्वाइन्ट २४३.४५ है लेकिन जब फ्लड लेविल २४२.१ था तब ही उन्होंने जो जरूरी इंस्ट्रक्शन्स थे उनको जारी कर दिये। मेरा मतलब यह है कि जितना गवर्नमेंट आफिसर्स पहले से कर सकते थे उतना उन्होंने किया। २० जून के बाद उनसे वैसे भी बराबर टेलीफोन वगैरह पर बातचीत होती रही। २३ जुलाई को यहां से एक तफसील में क्वैशचनेर गया और उसका जवाब उन्होंने दिया। बस्ती और गोरखपुर से रोजाना वे डिटेल्स भेजते रहे।

अब रहा टेस्ट वर्क्स के बारे में। टेस्ट वर्क्स अगर जरूरत हुयी तो बाद में खोले जायेंगे। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह इच्छा प्रकट की कि उसमें मजदूरी बढ़ा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त से कहना चाहता हूं कि उसमें ६ आने, ८ आने या १० आने मजदूरी नहीं रखी गयी है, मजदूरी की कोई लिमिट नहीं मुकर्रर है। मजदूरी का जो मियार है वह पैसा या आना नहीं है बल्कि इतनी मजदूरी दी जायगी जिससे १८ छटांक गल्ला एक आदमी रोजाना खरीद सकता हो अगर वह गल्ला २ रुपये का आता होगा तो २ रुपये दिये जायेंगे। अगर दो आने में १८ छटांक गल्ला आता होगा तो २ आने दिये जायेंगे। माननीय गेंदा सिंह जी और सब लोग फ्लड फेमीन कोड की दुहाई दिया करते हैं। उस फेमीन कोड में जो रेट लिखा हुआ है वह यह है कि १८ छटांक एक अडल्ट मेल को, १६ छटांक एक स्त्री को और १४ छंटांक एक बच्चे को जितने पैसे से मिल सके उतना दिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह माकूल पैमाना है। अगर कोई आदमी भूखा है तो वह जरूर १८ छटांक गल्ले पर मजदूरी करने के लिये तैयार होगा। यह सीधी सी बात है।

एक सदस्य--कपड़ा ?

श्री चरणसिंह--कपड़ा तो एक महीने में या दो महीने में खत्म नहीं हो जाता है और फिर १८ छटांक खाने वाले भी कम हैं। उसमें कपड़ा दियासलाई वगैरह भी आ सकती है। खाने का औसत मुश्किल से एक आदमी का १० छटांक पड़ता है।

माननीय गेंदा सिंह ने एक बात और कही कि रेवेन्यू स्टाफ की जहनियत यह रहती है कि नुकसान कम दिखायें क्योंकि अगर नुक्सान दिखलाया तो उनको बहुत स्टेटमेंट तैयार करने पड़ेंगे। इसलिये उन्होंने नतीजा यह निकाला कि वे नुकसान कम दिखाते हैं और इसलिये लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है। इस संबंध में उन्होंने यह बतलाया कि जहां पहले ओला पड़ा था वहां कोई रिलीफ लोगों को नहीं पहुंचा। मैं उनकी इत्तला के लिये बता देना चाहता हूं कि तीन जिलों में जहां ओलाबारी हुयी वहां मालगुजारी में जितना रिलीफ दिया गया वह इस प्रकार है :– देवरिया में २,८१३६ रु० की छूट दी गयी, गोरखपुर में ३,५९,१८० रु० की छूट दी गयी और बस्ती में १,५१५८९ रु० की छट दी गयी, इसी रबी में, जोकि रबी की फस्ल अब गुजर रही है। केवल हेल स्टार्म के कारण यह छूट दी गई। इन आंकड़ों से तो यह साबित होता है कि रेवेन्यू आफिसर्स जो हैं उनको कुछ काम न करना पड़े इसलिये वह नुकसान कम दिखाते हैं, यह ठीक नहीं है। उनको काम तो तबभी करना पड़ेगा। ऐसा करने पर भी तो उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनांचे हमने देखा है कि आठ आने से कम भी जहां नुकसान था यानी ६ आने भी वहां भी हमने छूट दी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पांच आने भी नुक्सान हो और जहां सात आने या आठ आने नुक्सान हो, वहां सब जगह छूट दी जाय। छूट तो सबको अच्छी लगती है लेकिन सवाल यह है कि रुपया कहां से लाया जाय। अगर छूट ही छूट हो, तकाबी ही तकाबी दी जाय, यह इमदाद हो जाय और वह इमदाद हो जाय तो यह बुरा किसको लगता है। वह हमारे आदमी हैं, हम जानते हैं कि उनको तकलीफ है और उनकी तकलीफ से हमारे दिल को भी तकलीफ होती है। खास तौर से हम जानते हैं कि पूर्वी जिलों में खासतौर से कुछ इलाकों में ३, ४ सालों से काफी तकलीफ है। लेकिन उनसे यह कहा जाय कि हम यह गवर्नमेंट से करायेंगे, गवर्नमेंट से वह करवायेंगे और गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह ऐसा करे, इससे डिमोरेलाइजेशन होता है। इससे उनमें आत्मविश्वास नहीं रहेगा। वह अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे और अपनी तकलीफों को खुद मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी क्वार्टर से भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो पहले आत्मनिर्भरता और भावना जन सेवकों में थी, अंग्रेजों के जमाने में, वह आज नहीं है। अगर यह बाढ़ पहले आती अंग्रेजी जमाने में तो क्या यह वाकया नहीं है कि हम लोग कमेटियां बनाते और हम लोग दर दर जाते, गरीब और अमीर के पास जाते और रुपया इकट्ठा करते और लोगों की तकलीफों को कम करने की कोशिश करते लेकिन आज कारण जो कुछ भी हों मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन आज वह बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जनसेवकों की यह मनोवृत्ति होगी कि हर बात के लिये गवर्नमेंट का खजाना देखेंगे तो यह समस्या हल नहीं होने वाली है। बल्कि हम अपनी मनोवृत्ति बिगाड़ कर समस्यायें पैदा करेंगे। कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो कुछ इलाकों में तकलीफ कम करने के लिये और लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिये गये लेकिन मैं समझता हूं कि वे अगर अपने सीने पर हाथ रखेंगे तो तस्लीम करेंगे कि जिलों में जितने काम नान आफिशल एजेंसीज के जरिये से होने चाहिये थे उतने नहीं हुये। यह सोचने की बात है और मैं समझता हूं कि जितना हमको करना चाहिये उतना हम नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय बहुत सी और बातें कही गई हैं। उनका जबाब देना नहीं चाहता हूं। मेरा अपना विश्वास है जैसा कि श्री दुबे जी ने कहा कि राज कर्मचारी यथा शक्ति और यथा सम्भव काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने ऐलान किया था और अब फिर कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोताही होगी और मेरे दोस्त मेरे नोटिस में लायंगे तो उसको दूर किया जायगा।

बस्ती के सिलसिले में कहा गया कि वहां के लिये केवल ३० हजार रुपया दिया गया है। तीस हजार रुपया नहीं बल्कि ४५ हजार रुपया दिया गया है। यह ग्रेचुट्स रिलीफ फंड से है। आगे जितनी तकाबी की जरूरत पड़ेगी, टेस्टवर्क की जरूरत पड़ेगी, जितने की रिपोर्ट करेंगे और जितना रुपया चाहेंगे वह उनको जरूर दिया जायगा। माननीय कृपा शंकर जी बस्ती और

[श्री चरणसिंह]

गोरखपुर में खुद गये हैं। जैसी उनकी रिपोर्ट आयगी और जरूरत होगी वह किया जायगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा गया है कि ४५ हजार रुपया खर्च हो जाय तो वह फौरन मंगा लें। ४५-५० हजार या लाख दो लाख रुपया जितनी जरूरत हो मंगा ल। रुपया लखनऊ में रखा रहे या बस्ती में रखा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखना यह है कि जितनी मांग है या जितना रुपया पहुंचाया जा रहा है उसमें काम हो रहा है या नहीं। किसी दोस्त ने न तो निजी तौर पर और न सदन में ही मुझे यह बताया कि किस तरह से काम होना चाहिये। केवल तकलीफें बतलाई वह मुझे तस्लीम है लेकिन जो साहब कान्सट्रक्टिव सजेशन्स दे सकेंगे उस पर अमल करने में गवर्नमेंट नहीं चूकेगी।

माननीय बालेन्दुशाह जी इस समय नहीं है, मैं समझता था कि वे मामूली टेम्पटेशन से जरूर ऊपर हैं लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जैसे पटवारियों का अध्यापकों का जिक्र था वैसे ही आज हमारे सूबे में जिक्र है क्लर्कस का और बाई इलेक्शन्स का। जहां तक पटवारियों और अध्यापकों की बात है सबको मालूम है कि हम किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे अपने आदमी हैं, हम उनकी तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे और उनको सहूलियत देना चाहते थे। आज अध्यापकों की तनख्वाह तिगुनी और साढ़े तीन गुनी हो गयी है। माननीय सदस्यों को मालूम है ७६ लाख रुपया अध्यापकों की तनख्वाह पर खर्च होता था लेकिन अब ३ करोड़ २१ लाख रुपया प्राइमरी टीचर्स की तनख्वाह पर खर्च होता है। फिर भी उनकी इच्छा थी कि तनख्वाह बढ़ाई जाय। तनख्वाह कब काफी होगी इसकी कोई लिमिट नहीं है। १०० रुपये हो जायेंगे तो वह भी काफी नहीं होंगे। हम तो चाहते हैं कि जितनी तनख्वाह बढ़ सके उतना ही अच्छा है लेकिन सवाल यह है कि रुपया कहां से आये और हमारे पास साधन क्या है। मैं इसकी सारी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। क्लर्क्स के बारे में मैंने आपको सब बातें बतला दी हैं। जो रिपोर्ट है उससे उनका समर्थन मालूम नहीं होता है क्योंकि कोई नहीं कह सकता है कि टेहरी में ऐसी जगह है जहां बाढ़ आती है। अब रही बाई इलेक्शन की बात जो जीत कर यहां आये हैं, बड़ा अच्छा है। हम उनके मशविरे से भी फायदा उठायेंगे लेकिन चार आदमी जीत गये और कांग्रेस हार गयी, इससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता है और न निकालना चाहिये। जो लोग इसके लिये उतावले हैं उनके संबंध में सोचना चाहिये कि खाली घड़े के लिये जो बात कही जाती है वही उन पर चरितार्थ होती है।

श्री अध्यक्ष---अब विवाद समाप्त होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं दो शब्द कहना चाहता हूं एक तो यह कि माल मंत्री ने अपने प्रस्ताविक भाषण में कहा था कि दो जिले ऐसे हैं जहां खरीफ की फसल पर कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं उनका नाम जानना चाहता था और यह भी चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अतिरिक्त सदन के सम्मानित सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय और वह उन जिलों को जांच करले कि वहां नुकसान हुआ या नहीं।

दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ के संबंध में जो माल मंत्री जी ने कहा है कि जो बाढ़पीड़ित जिले हैं उनमें आजमगढ़ का नाम नहीं आता है। मैं यह चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ित जिले किस जमाने में मुकर्रर हुये थे और आजमगढ़ बाढ़ के एरिया में है या नहीं।

श्री चरणसिंह---जहां तक बाढ़ के जिलों में आजमगढ़ के शामिल किये जाने का सवाल है तो उस पर मैं फिर गौर कर लूंगा। अगर उनका ख्याल है और हमारे विशेषज्ञ भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जिला ऐसे जिलों में आता है जहां आमतौर पर बाढ़ आती है तो उसे शामिल कर लेंगे। उसके शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। पांच हजार रुपया हमेशा रहता ही है।

जहां तक उनके दूसरे सवाल का ताल्लुक है मैं यह कह देना चाहता हूं कि आजमगढ़ के बारे में रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जहां के डी० एम० ने यह लिखा हो कि नुक्सान नहीं हुआ। नुक्सान हुआ है लेकिन उनका ख्याल है कि अगर अब भी उतर जाय तो शायद कुछ ऐसी फसलें हैं जो बोई जा सकें।

एक बात मैं और थोड़ी सी अर्ज करना भूल गया था वह कहना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह चाहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से यह एलान हो जाय कि नवम्बर तक जहां की मालगुजारी और गवर्नमेंट के मतालबात की वसूलयाबी स्थगित कर दी गयी है उसके लिये यह कह दिया जाय कि नवम्बर से पहले वसूल नहीं की जायगी। तो मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जहां भी वसूलयाबी रोकी गयी है वहां नवम्बर से पहले वसूलयाबी नहीं की जायगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं यह कहना चाहता था कि नवम्बर तक जो और भी वसूली जहां पर इस वक्त हो रही है हालांकि वह वाकई हो नहीं रही है, सिर्फ स्टाफ रखा गया है, वहां भी नवम्बर से पहले वसूल न की जाय।

श्री चरणसिंह--आपका मतलब है कि जिन जगहों में बाढ़ आयी है उनमें वे जगहें जो वाकई बाढ़ से ग्रस्त नहीं हैं वहां भी नवम्बर से पहले न हो?

श्री गेंदासिंह--जी हां।

श्री चरणसिंह--तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई आवश्यक बात हो और सदस्य लोग बतावें तो उस पर भी विचार करेंगे तो कम से कम फीस के लिये जो मैंने कहा है उसको स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा था कि जहां तक हो सकेगा हम मदद करेंगे।

श्री चरणसिंह--यह तो बाद में हमारी आपकी बातचीत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--अब उसके ऊपर विचार समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १६५३ की प्रवर समिति के सदस्यों का निर्वाचन

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १६५३ की प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य रखे जायं।

१--श्री चरण सिंह
२--श्री बलवन्त सिंह
३--श्री विशम्बर सिंह
४--श्री मही लाल
५--श्री शिव प्रसाद (देवरिया)
६--श्री शिवकुमार शर्मा
७--श्री धनुषधारी पांडेय
८--श्री केशव पांडेय
९--श्री बंशीधर मिश्र
१०--श्रीमती चन्द्रवती

११--श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१२--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
१३--श्री नारायणदास (फैजाबाद)
१४--श्री महमूद अली खां (सहारनपुर)
१५--श्री दीन दयालु शास्त्री
१६--श्री गेंदा सिंह
१७--श्री रामनारायण त्रिपाठी
१८--श्री नारायणदत्त तिवारी
१९--श्री हनुमान प्रसाद मिश्र
२०--श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ की प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य रखे जायं।

१--श्री चरण सिंह
२--श्री बलवन्त सिंह
३--श्री विशम्बर सिंह
४--श्री मही लाल
५--श्री शिव प्रसाद (देवरिया)
६--श्री शिवकुमार शर्मा
७--श्री धनुषधारी पांडेय
८--श्री केशव पांडेय
९--श्री बंशीधर मिश्र
१०--श्रीमती चन्द्रवती
११--श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१२--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
१३--श्री नारायण दास (फैजाबाद)
१४--श्री महमूद अली खां (सहारनपुर)
१५--श्री दीनदयालु शास्त्री
१६--श्री गेंदा सिंह
१७--श्री रामनारायण त्रिपाठी
१८--श्री नारायणदत्त तिवारी
१९--श्री हनुमान प्रसाद मिश्र
२०--श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं निश्चित करता हूं कि उद्योग मंत्री इस प्रवर समिति के सभापति होंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित होगया।)

लखनऊ;
६ अगस्त, १९५३

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ··· २३० ··पर।)

सोसाइटियों के कमीशन व गन्ने के बकाया मूल्य का वितरण

क्र० सं०	मिल का नाम	लाख रुपये में — इस वर्ष मिल बन्द होते समय तक — १९५१–५२ के हेतु गन्ने का मूल्य	१९५१–५२ के हेतु कमीशन	१९५२–५३ के हेतु गन्ने का मूल्य	१९५२–५३ के हेतु कमीशन	लाख रुपये में — इस समय तक — १९५१–५२ के हेतु गन्ने का मूल्य	१९५१–५२ के हेतु कमीशन	१९५२–५३ के हेतु गन्ने का मूल्य	१९५२–५३ के हेतु कमीशन	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	बेगमाबाद	..	.०४	.०१	.२३	..	.०४	..	..	१५–७–५३ तक
२	मोहिउद्दीनपुर	३.१०	१.२४	.६५	.४४	३.१०	१.२४	.६५	.४४	,, ,,
३	मलियाना (जसवन्त)	.१०	२.००	६.६१	.९६	.०२	२.००	६.०४	.९६	,, ,,
४	सिम्भौली	.०१	..	.०१	.८५	.०१	..	.	.३६	,, ,,
५	सखौती टांडा	..	१.३५	.०३	.११	..	१.३५	.०२	.०७	,, ,,
६	शामली	..	..	१.१३	.१७	..	..	..	..	,, ,,
७	खतौली	..	..	.३२	.९९	..	..	.१०	.४७	,, ,,
८	रोहाना	..	..	१.१४	१.१०	..	..	.४३	.६३	,, ,,
९	मन्सूरपुर	..	..	१.८५	.८८	..	..	.७४	.९५	,, ,,
१०	सहारनपुर	..	..	१८.३८	१.८२	..	..	१३.८८	१.८२	,, ,,
११	लक्सर	..	..	.०३	..	..	..	.०३	..	,, ,,

सोसाइटियों के कमीशन व गन्ने के बकाया मूल्य का विवरण

क्र०सं०	मिल का नाम	लाख रुपये में				लाख रुपये में				टिप्पणी
		इस वर्ष मिल बन्द होते समय तक				इस समय तक				
		१९५१–५२ के हेतु		१९५२–५३ के हेतु		१९५१–५२ के हेतु		१९५२–५३ के हेतु		
		गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१२	देवबन्द	..	..	५.०८	१.३४	..	..	३.४३	१.२५	,, ,,
१३	डोईवाला	..	..	२.४४	.३३	..	..	.७५	.२९	,, ,,
१४	अब्दुल्लापुर (पू० पंजाब)	..	..	.९९	.२८	..	..	..	.०१	,, ,,
१५	बरेली	.३८	.५४	९.१२	१.०१	.२०	.५४	६.१८	१.०१	१५–७–५३ तक
१६	बहेरी	.१३	.१२	१.०२	१.६०	.१३	.१२	.७२	१.६०	,, ,,
१७	बिलारी	.०१	.६८	.१७	१.४०	.०१	.६८	.०८	१.४०	३०–६–५३ तक
१८	अमरोहा	.२३	.०१	.५०	१.४८	.२१	.०१	.०८	१.४८	,, ,,
१९	बिजनौर	.४०	२.५३	३.४५	१.८६	..	२.५३	५.५८	१.८६	,, ,,
२०	धामपुर	..	.५८	२.९८	१.५९	..	.५८	२.०७	१.५९	,, ,,
२१	सिवहारा	.१५	.६५	१.२३	२.३४	.१५	.६५	.७६	२.३४	,, ,,
२२	काशीपुर	..	..	८.०१	.६२	..	..	७.१७	.६२	,, ,,
२३	गोकुलनगर	१०.७४	१.०१	८.७९	१.०७	९.६३	१.०१	८.७९	१.०७	,, ,,
२४	पीलीभीत	.३३	..	७.६१	१.२९	.१५	..	२.२२	१.२९	१५–७–५३ तक
२५	रामपुर	.७९	.०२	३.१६	२.११	.३६	..	१.३८	१.८६	३०–६–५३ तक
२६	रोजा	..	..	१२.८८	.७७	..	..	६.३६	.७७	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा Digitized by eGangotri

२७	नेवली	.०६	..	१.९९	.३०	.०४	..	.०२	.१६	३०–६–५३	तक
२८	गोला	.७१	..	६.२७	१.७९	.५६	..	१.५०	..	,,	,,
२९	ऐरा	१.०९	..	१०.०९	.४४	.१६	..	१.८०	.१५	,,	,,
३०	हरगांव	.३२	..	.३७	२.०२	.२९	..	.३०	२.०२	,,	,,
३१	महोली	.२९	..	३.५९	१.१६	.२९	..	२.१९	१.१६	,,	,,
३२	बिसवां	..	..	१.९३	.९९	.	..	..	.९७	,,	,,
३३	बुढवल	..	..	.११	.०२	..	..	.११	.०१	१५–७–५३	तक
३४	बाराबंकी	.३५	१.२२	१.२२	.९९	.२८	१·२२	.८५	.९९	,,	,,
३५	मसोधा	.३६	..	१.१३	.८०	.३६	..	.११	.७९	,,	,,
३६	शाहगंज	.०१	..	२.३४	.९४	.०१	..	.८३	.८०	,,	,,
३७	हरदोई	..	..	..	१.०३	..	..	..	१.०३	,,	,,
३८	नवाबगंज	.१८	..	.१९	.६२	.१०	..	.१०	.४७	,,	,,
३९	बलरामपुर	.०४	..	१.१४	..	.०३	..	.६२	..	,,	,,
४०	तुलसीपुर	.०३	..	५.४४	.६०	.०१	..	४.४४	.०२	,,	,,
४१	जमनान	..	..	.३५	१.१३	..	..	..	१.१३	,,	,,
४२	खलीलाबाद	..	..	.०१	.२३	..	..	.०१	..	३०–६–५३	तक
४३	मुंडेखा	..	..	१.८६	.७२	..	..	.०६	..	,,	,,
४४	बस्ती	..	..	.०१	.३५	..	..	.०१	..	,,	,,
४५	वाल्टरगंज	..	..	१.६१	.८३	..	..	१.११	..	,,	,,
४६	जरवल रोड	३.२५	१.४९	१.७४	.९३	३.००	१.४९	.५५	.९३	१५–७–५३	तक
४७	सिसवा	.०४	.५८	४.५०	.५७	.०४	.५८	२.३१	.५७	३०–६–५३	तक
४८	फरेंदा	.०५	..	१.६६	.८०	.०५	..	२.२३	.८०	,,	,,
४९	धुधली	.०६	..	१.५०	.३१	.०६	..	२.८७	.३१	,,	,,
५०	पिपराइच	..	..	८.३८	१.२४	..	..	६.०५	१.२४	,,	,,
५१	सरदारनगर	.०१	..	२.९०	१.६८	..	..	६.०५	१.६३	,,	,,

{ १ मई, १९५३ के बाद सप्लाई किये गये गन्ने का मूल्य शामिल नहीं है।

सोसाइटियों के कमीशन व गन्ने के बकाया मूल्य का विवरण

क्रम० सं	मिल का नाम	लाख रुपये में — इस वर्ष मिल बन्द होते समय तक				लाख रुपये में — इस समय तक				टिप्पणी
		१९५१–५२ के हेतु		१९५२–५३ के हेतु		१९५१–५२ के हेतु		१९५२–५३ के हेतु		
		गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	गन्ने का मूल्य	कमीशन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
५२	छितौनी	..	.०९	८.६२	.२१	.०७	..	२.१८	.२१	३०–६–५३ तक
५३	खड्डा	..	..	५.६८	१.०२	..	..	३.६८	१.०२	१५–७–५३ तक
५४	कप्तानगंज	..	..	५.१२	१.३७	..	..	३.२१	१.३६	,, ,,
५५	लक्ष्मीगंज	..	..	७.६८	.९५	..	..	६.४३	.९५	,, ,,
५६	पड़रौना	४.४८	.८०	२०.०४	.८६	३.७९	..	११.६०	.८६	,, ,,
५७	सिवराही	.०४	..	१.६०	.३६	.०४	..	.६९	.०३	,, ,,
५८	रामकोला (खेतान)	.१०	.७७	५.८०	.७७	.१०	.७७	१.६२	.७७	,, ,,
५९	रामकोला (पंजाबी)	..	..	१.६१	१.६४	..	..	.५७	.८४	,, ,,
६०	कठकुइयां	.०४	..	१४.९१	.६३	.०४	..	१४.९०	.६२	,, ,,
६१	देवरिया (पंजाबी)	.०८	.०६	.६८	१.१०	.०७	.०७	.२४	.७२	,, ,,
६२	गौरीबाजार	.०१	..	१.०६	..	.०१	..	.५३	..	,, ,,
६३	बैतालपुर	.१७	..	२.३७	१.२७	.०९	..	.९५	.९७	,, ,,
६४	प्रतापपुर	.२०	..	१.१६	..	.१७	..	.५५	..	,, ,,

सन् १९५१–५२ और १९५२–५३ में बकाया केन सेस का विवरण

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५१–५२ का बकाया						१९५२–५३ का बकाया					
		३१–५–५२ तक			३०–६–५२ तक			३१–५–५३ तक			३०–६–५३ तक		
१	२	३			४			५			६		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	सरदारनगर	६,३२,२७३,	०	०	६,३२,२७३,	०	०	२,००,७४४	१३	०	१२,००,७४४	१३	०
२	पिपराइच (डी)	—			—			४,४२,७४९,	४	९	४,४२,७४९	४	९
३	घुघली	—			—			२,५१,८५६,	११	०	२,५१,८५६	११	०
४	सिसवा बाजार	—			—			२,१२,६१५,	११	६	२,१२,६१५	११	६
५	फरेंदा	—			—			२,५१,४६३	०	०	२,५१,४६३	०	०
६	बैतालपुर	१,५७,८९२	१०	०	१,५७,८९२	१०	०	३,६८,४७०	२	०	३,६८,४७०	२	०
७	देवरिया (पी)	१,९०,०४२	१३	६	१,३२,६५९	६	०	३,३४,९९०	०	०	३,३४,९९०	०	०
८	कैप्टेनगंज	१,३५,१९५	५	३	१,३५,१९५	५	३	४,०४,४३४	३	९	४,०४,४३४	३	९
९	खड्डा	—			—			४,०३,१८४	८	९	४,०३,१८४	८	९
१०	छितौनी	—			—			७०,२९०	१२	६	१८७	८	०
११	लक्ष्मीगंज	२,०४,९९२	१४	०	१,४४,९९२	१४	०	३,८७,८९०	४	०	३,८७,८९०	४	०
१२	रामकोला (पी)	१,२६,८०७	१४	३	१,२६,८०७	१४	३	४,९६,५९६	१५	६	३,८७,८६४	१२	०
१३	रामकोला (के)	२,६३,५६७	१०	३	—			३,८७,८६४	१२	०	४,४६,५९६	१५	६
१४	पड़रौना	—			—			४,०७,६८४	३	०	४,०७,६८४	३	०
१५	कठकुइया	३,२४,४७३	४	६	३,२४,४७३	४	६	२,६७,५६०	१५	३	२,६७,५६०	१५	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५१–५२ का बकाया				१९५२–५३ का बकाया			
		३१–५–५२ तक		३०–६–५२ तक		३१–५–५३ तक		३०–६–५३ तक	
१	२	३		४		५		६	
		रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०
१६	सिवराही	—		—		१,४८,१०९	८ ०	१,४८,१०९	८ ०
१७	नवाबगंज	—		—		१,००,७५७	८ ०	१,००,७५७	८ ०
१८	शेरमानी	—		—		—		—	
१९	मुंडेरा	—		—		—		—	
२०	बस्ती	—		—		—		—	
२१	वाल्टरगंज	—		—		—		—	
२२	बभनान	—		—		९,४४७	१५ ०	९४७	१५ ०
२३	जरवल रोड	—		—		२,००,७७५	१० ०	२,००,७७५	१० ०
२४	मसोधा	२८,७४४,	६ ३	२८,७४४	६ ३	१,१६,०७४	७ ३	१,१६,०७४	७ ३
२५	बुढ़वल	२,५६,३००	५ ९	२,५६,३००	५ ९	२,७५,३५१	८ ९	२६,४००	० ९
२६	बलरामपुर	—		—		—		—	
२७	तुलसीपुर	—		—		४३,०७९	० ३	४३,०७९	० ३
२८	गौरी बाजार	—		—		—		—	
२९	प्रतापपुर	—		—		—		—	
३०	शाहगंज	—		—		२,०७,६४२	१२ ९	१,७७,६४२	१२ ९
३१	हरदोई	—		—		३,१७,४९८	१० ०	३,१७,४९८	१० ०

कोई बकाया नहीं।

३२	बाराबंकी	८,७३३	६	६	—			४,१२,५८२	७	६	४,१२,५८२	७	६	
३३	बिसवां	१,४५,३२६	१२	६	१,४५,३२६	१२	६	३,०८,५२१	११	०	२,९८,५११	११	०	
३४	महोली	२,८७,५२५	६	०	२,८७,५२५	६	०	५,४४,८२१	९	९	५,४४,८२१	९	९	
३५	हरगांव	११,१३,९८७	१४	०	११,१३,९८७	१४	०	१०,८८,८१४	१३	९	१०,८८,८१४	१३	९	
३६	गोला गोकरन नाथ	—			—			९,०७,३५०	४	०	९,०७,३५०	४	०	
३७	ऐरा	—			—			१,५२,४५५	११	६	१,५२,४५५	११	६	
३८	रोज़ा	—			—			२,२५, ०७४	०	६	१,१२,६६९	२	९	
३९	एच० आर० बरेली	—			—			३,८१,५०२	१५	०	३,८१,५०२	१५	०	
४०	बहेरी	—			—			३,४४,७५९	,१४	९	३,४४,७५९	१४	९	
४१	पीलीभीत	—			—			८,४८,४०३	३	०	४,४८,४०३	३	०	
४२	बिजनौर	—			—			६,४०,८५१	१	०	४,२५,७५१	१	०	
४३	धामपुर	३,५०,३५१	१०	३	३,००,३५१	१०	३	६,२३,८२६	१३	६	६,२३,८२६	१३	६	
४४	डोईवाला	२४,९४८	०	०	—			२,५३,४६०	१५	३	२,५३,४६०	१५	३	
४५	अमरोहा	—			—			—			—			
४६	बिलारी	—			—			—			—			
४७	रामपुर (रजा और बुलन्द)	६२,२४५	७	९	६२,२४५	७	९	३,०२,४७७	९	९	३६,५९८	१	३	
४८	शिवहारा	—			—			११,४५,३२३	७	०	९,५३,६३०	१४	३	
४९	सहारनपुर	—			—			४,२०,६२९	३	०	४,२०,६२९	३	०	
५०	देवबन्द	६४,२२४	१४	३	६४,२२४	१४	३	१,९४,८७९	१	९	१,९४,९७९	१	९	
५१	लक्सर	—			—			१,०००	०	०	१,०००	०	०	
५२	अब्दुल्लापुर	—			—			—			—			
५३	मंसूरपुर	५८६	०	०	—			२,४१,९००	०	०	४४,०००	०	०	
५४	खतौली	—			—			२,८५,८००	०	०	—			
५५	रोहाना कलां	—			—			२,९०,७१२	३	०	३८,५००	०	०	
५६	शामली	—			—			१,०५,९७४	१५	०	—			
५७	सखौती टांडा	५०,०००	०	०	५०,०००	०	०	५५,४२०	१०	९	५५,४२०	१०	०	

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५१–५२ का बकाया						१९५२–५३ का बकाया					
		३१–५–५२ तक			३०–६–५२ तक			३१–५–५३ तक			३०–६–५३ तक		
१	२	३			४			५			६		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
५८	दौराला	४,३०'६९२	६	०	४,३०,६९२	६	०	—			—		
५९	मलियाना (जसवन्त)	३,२७,५४४	१४	०	३,२७,५४४	१४	०	८४,२०३	६	०	४४,२०३	६	०
६०	मोहीउद्दीनपुर	११,७०,००७	८	३	११,७०,००७	८	३	६०,०२४	२	३	११,४३५	५	९
६१	बेगमाबाद (मोदी)	६५,६५२	२	०	६५,६५२	२	०	९,३१३	१३	९	९,३१३	१३	९
६२	सिम्भौली	९६,२२८	१४	०	९६,२२८	१४	०	—			—		
६३	मवाना	—			—			९,६९७	०	६	९,६९७	०	६
६४	नेवली	—			—			—			—		
६५	किच्छा	४,२२,६७१	८	३	२,६७,०७१	८	३	४,२५,३९६	४	९	४,२५,३९६	४	९
६६	काशीपुर	२,५५,२९१	२	६	२,५५,२९१	२	६	१,९७,५२७	४	९	१,७२,५७३	०	३
	योग...	७१,९६,३०८	२	०	६५,७५,४८९,	९	९	१,८०,३९,८३५	१५	९	१,५४,०४,०७५	१४	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५६ एल० ए०–१९५३—८५०।